

## नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान

### प्रेस—नोट

राजस्थान मॉडल भवन विनियम—2024 (प्रारूप) पर  
आमजन/हित धारको से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रण।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा वर्तमान में राजस्थान मॉडल भवन विनियम—2020 लागू हैं, जिनमें समय—समय पर विभिन्न अधिसूचनाएँ, आदेश, परिपत्र जारी कर प्रावधानों को प्रतिस्थापित/विलोपित संशोधित एवं नवीन प्रावधान जोड़े गये हैं। उक्त संशोधनों/नवीन प्रावधानों के कारण नगर निकायों में भ्रांति/विसंगतियां बनी हुई हैं।

अतः शहरी विकास के दृष्टिगत भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों के निरस्तारण में सुगमता एवं सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाये जाने तथा भवन निर्माण हेतु तकनीकी एवं सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान लागू भवन विनियमों में आवश्यक संशोधन कर “राजस्थान भवन विनियम—2024 (प्रारूप)” तैयार किया गया है, जिसमें मुख्यतः भवन की ऊँचाई, बहुमंजिला भवनों की परिभाषा, सैटबैक, भू—आच्छादन, बी.ए.आर., पार्किंग आदि के प्रावधानों में संशोधन किये गये हैं।

यह प्रारूप आमजन/हित धारको से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रण किये जाने हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की वेबसाईट <https://urban.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 29.06.2024 से उपलब्ध होगा।

उक्त प्रारूप पर आमजन/हित धारक द्वारा आपत्ति एवं सुझाव दिनांक 13.07.2024 तक मुख्य नगर नियोजक राजस्थान को ई—मेल [ctp-rj@gov.in](mailto:ctp-rj@gov.in) पर प्रेषित किये जा सकते हैं।

राजस्थान सरकार

मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2024

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

## (CONTENTS)

क्र. सं.	विषय—विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ	
2.	परिभाषाएँ	
3.	नगरीय क्षेत्र एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु मापदण्ड	
4.	भवन निर्माण की श्रेणिया एवं मानदण्ड	
5.	बहुमंजिला भवनों के निर्माण हेतु मापदण्ड	
6.	भवन निर्माण हेतु आवश्यक आंतरिक मापदण्ड	
7.	भवन निर्माण हेतु आवश्यक सर्विसेज	
8.	पर्यावरण संरक्षण नियम	
9.	विशेष योग्यजनों हेतु प्रावधान	
10.	अन्य प्रावधान	
11.	भवन निर्माण स्वीकृति हेतु सक्षम संस्था / स्तर	
12.	विशेष शक्तियाँ	
13.	भवन निर्माण स्वीकृति की अनुमति, प्रक्रिया एवं वैद्यता	
14.	निर्माण के दौरान अपनाई जानी वाली प्रक्रिया	
15.	पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण—पत्र	
16.	भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु पंजीकृत तकनीकीविज्ञः अर्हताएँ एवं पंजीकरण	
17.	दण्डात्मक व्यवस्था	
18.	निरसन तथा व्यावृति	
	अनुसूचियाँ	
	अनुसूची—1 विभिन्न गतिविधियाँ एवं कार्य संगत के आधार पर आवश्यक भवनों का विवरण	
	अनुसूची—2 भवन निर्माण संबंधित दरें	
	अनुसूची—3 आवश्यक आनापत्ति प्रमाण—पत्र/ सर्टिफिकेट	
	अनुसूची—4 भवन निर्माण से संबंधित पर्यावरणीय शर्तें	
	अनुसूची—5 भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रक्रिया	
	अनुसूची—6 पंजीकृत तकनीकीविद् द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मानचित्र अनुमोदन हेतु वांछित दस्तावेज की चैकलिस्ट	
	अनुसूची—7 पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु वांछित दस्तावेजों की चैक लिस्ट	
	अनुसूची—8 भवन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु सामान्य निर्देश	
	अनुसूची—9 स्थानीय निकाय से 500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रक्रिया	
	अनुसूची—10 पंजीकृत वास्तुविद् से 500 व.मी. से अधिक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अधिकतम 15 मी. ऊँचाई के भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रक्रिया	
	अनुसूची—11 भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु भवन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु पंजीकृत तकनीकीविज्ञः की अर्हताएँ, सक्षमता एवं पंजीकरण की प्रक्रिया	
	अनुसूची—12 स्थानीय निकाय से पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रक्रिया	
	Checklist and documents	

**नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर**

**जयपुर, ..... 2024**

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा ...., राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की.....जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा....., जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा\_ एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, की धारा\_ (जैसा भी लागू हो) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र.....(शहर का नाम)} भवन विनियम, 2024 लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र.....(शहर का नाम)} भवन विनियम, 2024 संबंधित निकाय द्वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उनके अधिसूचित नगरीय क्षेत्र (माउण्ट आबू एवं जैसलमेर को छोड़कर) में प्रभावी होंगे।

इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि से संबंधित नगरीय निकाय द्वारा पूर्व में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र भवन विनियम (विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर) लागू नहीं रहेंगे।

**नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर**

**मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र.....(शहर का नाम)} भवन विनियम, 2024**

**Model Rajasthan {Urban Area..... (Name of City)} Building Regulations, 2024**

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ**

1.1 ये भवन विनियम (Building Regulations) मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र.....(शहर का नाम)} भवन विनियम, 2024 [Model Rajasthan {Urban Area.....(Name of City)} Building Regulations, 2024] कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम संबंधित नगरीय निकाय द्वारा राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

## 2. परिभाषाएँ (Definitions)

---

इन विनियमों में जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :—

- 2.1 “अधिनियम” (**Act**) से जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970, अभिप्रेत है।
- 2.2 ‘नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय’ (**Urban Body/Local Body**) से विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, अभिप्रेत है।
- 2.3 ‘ग्राम पंचायत’ (**Village Panchayat/Rural Local Body**) से राजस्थान पंचायत अधिनियम संशोधन, 1994 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत, अभिप्रेत है।
- 2.4 ‘सक्षम संस्था’ (**Competent Authority**) से भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम के क्षेत्र में संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यासों में संबंधित न्यास का प्राधिकृत अधिकारी, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर विकास प्राधिकरण में संबंधित विकास प्राधिकरणों के प्राधिकृत अधिकारी, रीको एवं आवासन मण्डल के योजना क्षेत्रों में रीको एवं आवासन मण्डल के प्राधिकृत अधिकारी या अन्य किसी विशिष्ट क्षेत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा विनियम संख्या 11 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ, अभिप्रेत है।
- 2.5 ‘सक्षम अधिकारी’ (**Competent Officer**) से विनियम –11 में वर्णित अधिकारी अथवा विनियम 16 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत तकनीकीविज्ञ, अभिप्रेत है।
- 2.6 ‘बड़े शहर’ (**Large Cities**) से इन विनियमों हेतु जारी मौजूदा जनगणना के अनुसार 1.00 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, अभिप्रेत है।
- 2.7 ‘मध्यम एवं लघु शहर’ (**Small and Medium Towns**) से इन विनियमों हेतु विनियम 2.6 में परिभाषित बड़े शहरों को छोड़कर राजस्थान के अन्य सभी शहर, अभिप्रेत है।
- 2.8 ‘नगरीय क्षेत्र’ (**Urban Area**) से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाला अधिसूचित क्षेत्र तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र, अभिप्रेत है।
- 2.9 “योजना क्षेत्र” (**Scheme Area**) से नगरीय क्षेत्र की सीमा में कार्यरत संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत गठित नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/राजस्थान आवासन मण्डल/रीको/ग्राम पंचायत/अन्य राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्था द्वारा

प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित / विकसित योजना क्षेत्र, अभिप्रेत है। जिसमें निम्न योजना क्षेत्र सम्मिलित होंगे :—

- (क) नगरीय निकाय / विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास / राजस्थान आवासन मण्डल / रीको / ग्राम पंचायत / अन्य राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्था की स्वीकृत योजनाएँ।
- (ख) राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों / नीतियों यथा उपाविभाजन नियम—1975 अथवा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी—2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 आदि सहित समय—समय पर जारी अन्य नियमों / नीतियों के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाएँ।

**2.10 'परिसर' (Campus) :**— परिसर (संस्थागत / आवासीय / वाणिज्यिक / औद्योगिक) से ऐसा क्षेत्र (कैम्पस प्लान) जिसमें मुख्य उपयोग / गतिविधि यथा संस्थागत / आवासीय / वाणिज्यिक / औद्योगिक से संबंधित (Incidental) अन्य आवश्यक उपयोग / गतिविधियां यथा आवासीय, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, कार्यालय आदि भी विकसित की गई हो, अभिप्रेत है।

उदाहरणार्थ — इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर (कैम्पस), विश्वविद्यालय परिसर (कैम्पस) में प्रमुख शैक्षणिक गतिविधियों के साथ—साथ प्रशासनिक कार्यालय, हॉस्टल, संकाय आवास, दुकानें, ऑडिटोरियम एवं औद्योगिक परिसर (कैम्पस) में मुख्य उपयोग औद्योगिक के साथ—साथ आवासीय कार्यालय, शैक्षणिक, दुकानें आदि भी स्थित हो।

**2.11 'मास्टर प्लान / मास्टर ड्वलपमेंट प्लान' (Master Plan/Master Development Plan)**

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, और यथास्थिति, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गयी प्रारूप योजना को सम्मिलित करते हुए कोई मास्टर प्लान या मास्टर ड्वलपमेंट प्लान या जोनल ड्वलपमेंट प्लान, जैसा भी लागू हो, अभिप्रेत है।

**2.12 'भू—उपयोग निर्धारण एवं नियंत्रण गाईडलाईन्स (Land Use Determination Control Guidelines)'** से शहरों / कस्बों की मास्टर विकास योजना में सम्मिलित अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी गाईडलाईन्स, अभिप्रेत है।

**2.13 'नेशनल बिल्डिंग कोड' (National Building Code)** से भारतीय मानक व्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रचलित संस्करण, अभिप्रेत है।

**2.14 'भवन' (Building)** से किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी सामग्री से निर्मित कोई संरचना जिसमें नींव, प्लिन्थ, दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियाँ, स्थित चबूतरे, बरामदे, बालकॉनियाँ, कार्निसें या बहिर्गत भाग या किसी भवन का कोई भाग या उससे संसक्त कोई वस्तु या किसी भूमि की चारदीवारी करती हुई या चारदीवारी करने के लिए आशयित कोई भी दीवार (तीन मीटर से कम ऊँचाई की सीमा दीवार को छोड़कर), चिह्न या बाह

अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है, (किन्तु इसमें कोई अस्थायी निर्माण यथा तम्बू शामियाना या तिरपाल—आश्रय सम्मिलित नहीं है) अभिप्रेत है।

- 2.15 'भवन निर्माण' (**Building Construction**) से नये भवन का निर्माण, निर्मित भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, निर्मित भवन को आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जाकर पुनर्निर्माण, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवन का आंशिक या पूर्ण रूप से निर्माण कराना, अभिप्रेत है।
- 2.16 'भूखण्डधारी' (**Land/Plot Owner/Holder**) से भूखण्ड का विधिसम्मत मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, प्राईवेट एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, एचयूएफ एवं पार्टनरशिप फर्म, प्रोपराइटर फर्म अभिप्रेत है।
- 2.17 'आवासीय भवन' (**Residential Building**) से ऐसा कोई भवन जिसका उपयोग अनुसूची-1 के क्रं. सं. 1 में वर्णित आवासीय गतिविधियों से जो मुख्य रूप से मनुष्यों के आवासन के लिये काम आता हो या अधिकलिप्त हो, अभिप्रेत है।
- 2.18 'निवास इकाई' (**Dwelling Unit**) से भवन या उसका भाग जिसमें न्यूनतम एक वास योग्य कमरा, रसोई, शौचालय, हो जो पूर्णतः/मुख्यतः निवास प्रयोजन के लिए अधिकलिप्त हो या उपयोग में लिया जाता हो, अभिप्रेत है।
- 2.19 'स्वतंत्र आवास' (**Independent Residence**) से ऐसा आवासीय भवन जिसमें अधिकतम 04 निवास इकाईयाँ प्रस्तावित/निर्मित हो, अभिप्रेत है।
- 2.20 'बहु निवास इकाई' (**Multiple Dwelling Units**) 500 व.मी. से अधिक एवं 750 व.मी. तक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर प्रस्तावित/निर्मित ऐसा आवासीय भवन जिसमें अधिकतम 08 आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित/निर्मित हो, अभिप्रेत है।
- 2.21 'फ्लैट्स' (**Flats**) 750 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर प्रस्तावित/निर्मित ऐसा आवासीय भवन जिसमें 04 से अधिक निवास इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित/निर्मित हो, अभिप्रेत है।
- 2.22 'ग्रुप हाउसिंग' (**Group Housing**) से 5000 व.मी. व इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर स्वतंत्र आवासों/बहुनिवास इकाइयों/फ्लैट्स के समूहों का ऐसा आवासीय परिसर, जिसमें कि आवास सुविधा के साथ—साथ अन्य आवश्यक सुविधाएँ यथा पार्क, सामुदायिक सुविधा आदि स्थित हों एवं परिसर की सुरक्षा की दृष्टि से भूखण्ड के चारों ओर बाउण्डी वॉल (**Gated Community**) प्रस्तावित/निर्मित हो, अभिप्रेत है।
- 2.23 'स्टुडियो अपार्टमेंट' (**Studio Apartment**) से ऐसी फर्नीशड/अनफर्नीशड निवास इकाई जिसमें अधिकतम एक शयनकक्ष, कॉमन हॉल, रसोई एवं शौचालय हो, अभिप्रेत है।
- 2.24 'फार्म हाउस' (**Farm House**) से नगरीय क्षेत्र सीमा में रूपान्तरित भूमि पर ऐसा भूखण्ड जो कि मुख्य रूप से कृषि/बागवानी के उपयोग के साथ—साथ आंशिक भाग पर आवासीय भवन हेतु भी निर्मित/प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।
- 2.25 'हॉस्टल' (**Hostel**) से ऐसे भवन अभिप्रेत है, जिसका उपयोग भवन स्वामी के स्वयं के निवास के अतिरिक्त छात्रों/वेतन भोगी कर्मचारियों के अस्थाई निवास हेतु निर्मित किया जाना अथवा उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो।

- 2.26 **रिटार्डमेन्ट हॉम्स (Retirement Homes)** से ऐसे भवन अभिप्रेत हैं, जिसका उपयोग 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के निवास हेतु निर्मित किया जाना अथवा उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो।
- 2.27 **मुख्यमंत्री जन आवास योजना/अर्फोडेबल हाउसिंग** से ऐसे भवन जो कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना/अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत निर्धारित हो।
- 2.28 'वाणिज्यिक भवन' (**Commercial Building**) से ऐसा कोई भवन जिसका उपयोग अनुसूची-1 के क्रं. सं. 2 में वर्णित वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया गया हो अथवा किया जाना प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।
- 2.29 'मल्टीप्लेक्स' (**Multiplex**) से ऐसा भवन जिसमें एक या एक से अधिक सिनेमा, थियेटर, सभा स्थल के साथ मनोरंजन, रेस्टोरेंट एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ जैसे— शौरूम, रिटेल शॉप्स प्रस्तावित/निर्मित हो, अभिप्रेत है।
- 2.30 'होटल' (**Hotel**) से 20 या अधिक व्यक्तियों के भोजन सहित या रहित अस्थाई तौर पर ठहराने के काम में आने वाला भवन, अभिप्रेत है।
- 2.31 'रिसोर्ट' (**Resort**) से ऐसा भवन, जिसमें पर्यटकों के ठहराने की व्यवस्था के साथ-साथ आमोद प्रमोद, खानपान, खरीददारी एवं मनोरंजन की सुविधाएं हो, अभिप्रेत है।
- 2.32 'मोटल' (**Motel**) से ऐसा भवन जिसमें यात्रा करने वालों के लिए ठहराने, वाहन पार्किंग एवं वाहन रिपेयरिंग, रिटेल शॉपिंग एवं खानपान की सुविधाएं हो, अभिप्रेत है।
- 2.33 गेस्ट हाउस (**Guest House**) पर्यटकों/व्यक्तियों के भोजन सहित या रहित अस्थाई तौर पर ठहराने के लिए काम में आने वाला भवन, अभिप्रेत है।
- 2.34 'संस्थागत भवन' (**Institutional Building**) से ऐसा भवन जो कि अनुसूची-1 के क्रं. सं. 4 में वर्णित सांस्थानिक गतिविधियों हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित हो/लिया गया हो, अभिप्रेत है।
- 2.35 'कोचिंग सेंटर' (**Coaching Centre/Institute**) से कोई व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित किये जाने वाला शैक्षणिक केन्द्र, जिसमें 10 से अधिक अभ्यार्थी अध्ययन करते हों, अभिप्रेत है।
- 2.36 'औद्योगिक भवन' (**Industrial Building**) से कोई भवन या किसी भवन की संरचना का भाग (अनुसूची-1 के क्रं. सं. 5 पर उल्लेखित भवनों की प्रकृति के अनुसार प्रस्तावित/निर्मित भवन) जिसमें किसी भी प्रकार की सामग्री बनाई, संयोजित या प्रसंस्कृत की जाती हो, अभिप्रेत है।
- 2.37 'मिश्रित उपयोग' (**Mixed Use**) से ऐसा भवन/भूखण्ड अथवा भवन परिसर जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक व संस्थागत उपयोग साथ अथवा पृथक-पृथक मंजिलों पर निर्मित/प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।
- 2.38 'सैटबैक' (**Setback**) से उन न्यूनतम दूरियाँ जो भू-खण्ड की सीमा रेखाओं से भू-खण्ड के अन्दर विधिपूर्वक किसी भवन की कुर्सी का निर्माण किया जा सकता है, अभिप्रेत है।

- (i) सामने के सैटबेक – किसी भू-खण्ड के सामने स्थित सबसे चौड़ी सड़क की तरफ लगने वाली सीमा से भवन रेखा की दूरी अभिप्रेत है।
  - (ii) पार्श्व सैटबेक – किसी भू-खण्ड के पार्श्व सीमा से भवन रेखा की दूरी अभिप्रेत है।
  - (iii) पीछे के सैटबेक – किसी भू-खण्ड के पीछे की सीमा से भवन रेखा की दूरी अभिप्रेत है।
- 2.39 'भवन रेखा' (**Building Line**) से वह रेखा जहां तक भवन कुर्सी का विधि पूर्वक विस्तार हो सकता है, अभिप्रेत है।
- 2.40 'सकल निर्मित क्षेत्र' (**Gross Builtup Area**) से किसी भी भवन की समस्त मंजिलों पर प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र का कुल योग, अभिप्रेत है।
- 2.41 'गणना योग्य निर्मित क्षेत्र' (**Net Builtup Area**) से विनियम संख्या-4.12 के अनुसार सकल निर्मित क्षेत्र में से अनुज्ञेय छूट के पश्चात् प्राप्त निर्मित क्षेत्र अभिप्रेत है।
- 2.42 'बी.ए.आर.' (**Builtup Area Ratio**) से सभी मंजिलों के विनियम संख्या-4.12(viii) के अनुसार गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल को भूखण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राप्त भागफल, अभिप्रेत है।
- 2.43 'भू-आच्छादन' (**Ground Coverage**) से विनियम 4.11 के अनुसार भूमि का आच्छादित क्षेत्र जो कुर्सी तल के एवं यदि भवन स्टिल्ट अथवा पोडियम पर निर्मित/प्रस्तावित है तो ठीक उसके ऊपर भवन द्वारा आच्छादित तल क्षेत्र, अभिप्रेत है।
- 2.44 'भवन की ऊँचाई' (**Building Height**) का निर्धारण सामने की सड़क के तल (Road Level) से समस्त मंजिलों की ऊँचाई (प्लिंथ/स्टिल्ट/पार्किंग/सर्विस फ्लोर सहित) को सम्मिलित करते हुए भवन की अंतिम छत (टेरेस) तक की ऊँचाई से, अभिप्रेत है।
- 2.45 'बहुमंजिला भवन' (**Hightrise Building**) ऐसा भवन जिसकी रोड लेवल से टेरेस तल तक की ऊँचाई 15 मी. (प्लिंथ/स्टिल्ट/पार्किंग फ्लोर/सर्विस फ्लोर सहित) से अधिक हो अभिप्रेत है।
- 2.46 'रोड लेवल' (**Road Level**) से भूखण्ड के सामने की मुख्य सड़क के मध्य की ऊँचाई का लेवल अभिप्रेत है जिस पर भूखण्ड स्थित है, यदि भूखण्ड के सामने की सड़क ढलान में है तो भूखण्ड के सामने स्थित रोड का उच्चतम लेवल, अभिप्रेत है।
- 2.47 'सड़क की चौड़ाई' (**Road Width/Road Right of Way**) से भूखण्ड के सामने स्थित विद्यमान सड़क की लंबाई में एक छोर से दूसरे छोर तक की औसत चौड़ाई अथवा मार्स्टर प्लान में प्रस्तावित मार्गाधिकार, अभिप्रेत है।
- 2.48 'भूमि स्तर' (**Ground Level**) से भूखण्ड या स्थल का औसत तल, अभिप्रेत है।
- 2.49 'कुर्सी' (**Plinth**) से भू-तल फर्श के धरातल और भूखण्ड के सामने के मुख्य सड़क के तल के बीच की संरचना का भाग, अभिप्रेत है।
- 2.50 'कुर्सी क्षेत्र' (**Plinth Area**) से भवन के बेसमेन्ट की छत या भू-मंजिल के फर्श के स्तर पर निर्मित आच्छादित क्षेत्र, अभिप्रेत है।
- 2.51 'बेसमेन्ट' (**Basement**) से भवन का ऐसा भाग जिसे पूर्णतः या आंशिक रूप से भू-सतह के नीचे निर्मित किया गया हो, अभिप्रेत है।

- 2.52 'मंजिल' (**Floor Level**) से किसी भवन का वह भाग जो किसी फर्श की सतह और उसके ठीक ऊपर के फर्श की सतह के मध्य स्थित है अथवा जहां उसके ऊपर कोई फर्श नहीं, वहां किसी फर्श तथा ठीक उसके ऊपर की छत के मध्य का स्थान, अभिप्रेत है।
- 2.53 'मैजनाइन फ्लोर' (**Mezzanine Floor**) से भूतल अथवा किसी भी तल एवं इससे ऊपर की किन्हीं दो तलों के बीच एक मध्यवर्ती मंजिल जो कि भूमि तल से ऊपर हो एवं जिसका प्रवेश केवल निचली मंजिल से हो तथा जिसका फर्श क्षेत्र संबंधित कमरे के एक तिहाई से अधिक न हो एवं स्पष्ट ऊँचाई 2.4 मी. से कम न हो, अभिप्रेत है।
- 2.54 'सर्विस फ्लोर' (**Service Floor**) से किसी बहुमंजिला भवन में स्थित किन्हीं दो मंजिलों के बीच अधिकतम 2.4 मीटर ऊँची मंजिल/फ्लोर जो कि केवल भवन से संबंधित पाइप, सर्विस डक्ट, रख-रखाव कार्यालय अथवा भवन के उपयोग संबंधित सुविधाओं के भण्डारण इत्यादि के उपयोग में लिया जाये, अभिप्रेत है।
- 2.55 'स्टिल्ट फ्लोर' (**Stilt Floor**) से खम्बों पर बना हुआ एवं खुला भू-तल जो कि मुख्य रूप से पार्किंग प्रयोजन हेतु निर्मित/प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।
- 2.56 'पार्किंग फ्लोर' (**Parking Floor**) से भवन में केवल पार्किंग उपयोग हेतु प्रस्तावित बेंसमेंट, भूतल स्टील्ट या भवन के अन्य किसी भी तल से है जिसमें न्यूनतम 70 प्रतिशत क्षेत्र केवल पार्किंग, सीढ़ियाँ, लिफ्ट व सर्कुलेशन आदि हेतु एवं अधिकतम 30 प्रतिशत क्षेत्र विनियमों में अनुज्ञेय भवन की सर्विसेज, सुविधाओं व भूतल स्टील्ट पर अनुज्ञेय अन्य गतिविधियों के लिए दिया गया हो, अभिप्रेत है।
- 2.57 'पार्किंग स्थल/क्षेत्र' (**Parking Site/Area**) से वाहनों को पार्क करने के लिये पर्याप्त आकार का स्थल/क्षेत्र जो किसी गली या रास्ते/रैम्प से जोड़ने वाले वाहन मार्ग सहित अहातायुक्त/अहातारहित कोई क्षेत्र चाहे वह आच्छादित हो अथवा खुला हो, अभिप्रेत है।
- 2.58 'समतुल्य कार इकाई' (**Equivalent Car Unit**) से एक समतुल्य कार इकाई यानि एक कार या तीन स्कूटर के बराबर, अभिप्रेत है।
- 2.59 'मेकेनिकल पार्किंग' (**Mechanical Parking**) से वाहनों की रोबोटिक अथवा नवीनतम तकनीकी रूप से निर्मित संरचना में संचालित पार्किंग, अभिप्रेत है।
- 2.60 'वास योग्य कमरा' (**Habitable Room**) से ऐसा कमरा जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अध्ययन, रहवास, सोने या खाने के प्रयोजनार्थ अधिवास में लिया हुआ हो या अधिवास हेतु परिकल्पित हो किन्तु इसमें स्नानघर, शौचालय, लॉन्ड्री, भोजन सेवा, भण्डारण, गेलेरी, रसोई, जिनका ज्यादातर समय उपयोग नहीं किया जाता है सम्मिलित नहीं होंगे, अभिप्रेत है।
- 2.61 'शौचालय' (**Toilet**) से ऐसा स्थान, जो कि मल या मूत्र त्यागने के लिए या दोनों के लिए हो, उसमें मनुष्यमल के लिये संयोजिकृत पात्र यदि कोई हो, के साथ की संरचना, अभिप्रेत है।
- 2.62 'खुला स्थान' (**Open to Sky**) से भूखण्ड का वह भाग जो आकाश की ओर खुला हो या पारदर्शी अथवा अर्धपारदर्शी मटिरियल से ढका हो, अभिप्रेत है।

- 2.63 'ऐट्रियम' (**Atrium**) से किसी भी प्रकार के भू-उपयोग के भूखण्ड पर किसी भी तल पर प्रस्तावित निर्माण जिसमें एक केन्द्रीय कक्ष जिसकी ऊँचाई 10 मीटर या उससे अधिक हो एवं उक्त क्षेत्र को स्काई लाईट/ट्रस्स अथवा डोम (अस्थाई स्ट्रकचर) से ढका गया हो, अभिप्रेत है।
- 2.64 'छज्जा' (**Projection/Chajja**) से सामान्यतया बाहरी दीवारों पर खुलने वाले स्थानों के ऊपर धूप तथा वर्षा से बचाव के प्रयोजनार्थ बनाये जाने वाली ढलवा अथवा क्षैतिज संरचना, अभिप्रेत है।
- 2.65 'प्रोजेक्शन' (**Projection**) से किसी भी भवन से बाहर निकली हुई कोई संरचना, (जो किसी भी सामग्री की हो) अभिप्रेत है।
- 2.66 'बालकनी' (**Balcony**) से आने जाने या बाहर बैठने के स्थान के रूप में काम आने वाला रेलिंग सहित क्षैतिज आगे निकला भाग जो कि न्यूनतम एक ओर से खुली हो, अभिप्रेत है।
- 2.67 'डबल हाईट टेरेस' (**Double Height Terrace**) से बहुमंजिला आवासीय भवनों में आवासीय इकाई के किसी भी कमरे के बाहर स्थित ऐसा खुला क्षेत्र जो कि न्यूनतम 5.5 मीटर की ऊँचाई (डबल हाईट) का हो एवं दो ओर से रेलिंग सहित खुला हो, अभिप्रेत है।
- 2.68 'बरामदा' (**Verandah**) से ऐसा आच्छादित क्षेत्र जिसका कम से कम एक पार्श्व बाहर की ओर खुला हो व ऊपर की मंजिलों में खुले पार्श्व की ओर अधिकतम 1 मीटर ऊँचाई की पैरापेट खड़ी की गई हो, अभिप्रेत है।
- 2.69 'पैरापेट' (**Parapet Wall**) से रेलिंग सहित या रहित छत या फर्श के सिरे के साथ-साथ निर्मित नीची दीवार जो 1.5 मीटर से अधिक तथा 0.75 मी. से कम ऊँचाई की नहीं हो, अभिप्रेत है।
- 2.70 'पार्टीशनवाल' (**Partition Wall**) से भार सहन न करने वाली आन्तरिक दीवार, ऊँचाई में एक मंजिल या उसका भाग, अभिप्रेत है।
- 2.71 'पोर्च' (**Porch/Portico**) से भवन के प्रवेश द्वार पर पैदल या वाहनों के लिये केन्टीलिवर/खम्बों पर निर्मित संरचना, अभिप्रेत है।
- 2.72 'ग्रीन एरिया/हरित क्षेत्र' (**Green Area**) से ऐसा क्षेत्र जिसे हरियाली यथा ग्रास, पेड़-पौधे, वृक्षारोपण, आदि हेतु उपयोग में लिया गया हो, अभिप्रेत है।
- 2.73 'हैजार्डस भवन' (**Hazardous Building**) से कोई ऐसा भवन या किसी भवन का कोई भाग जो अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों या उत्पादकों के जो अत्यधिक तेजी से जल उठने वाले अथवा जो विषैला धुंआ या विस्फोटक उत्पन्न करने वाले हो अथवा ऐसे भण्डारण उठाई, धराई, निर्माण या प्रसंस्करण के लिये जिसमें बहुत अधिक संक्षारक, विषैला या हानिकारक क्षार, अम्ल या कोई ऐसा अन्य द्रव्य अथवा रसायन काम आता हो जो ज्वाला, धुंआ और विस्फोट उत्पन्न कर सकते हो, विषैला प्रदाहजनक या संक्षारण गैस उत्पन्न कर सकते हो, अथवा ऐसी सामग्री जिसके भण्डारण उठाई, धराई या प्रसंस्करण से धूल का विस्फोटक मिश्रण उत्पन्न होता हो या पदार्थ को स्वतः ज्वलनशील सूक्ष्म अंशों में विभाजित करता हो, के भण्डारण, उठाई, धराई, निर्माण या प्रसंस्करण के लिये उपयोग में लिया जाता हो, अभिप्रेत है।

- 2.74 'अग्निशमन अधिकारी' (**Fire Officer**) से संबंधित निकाय द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, अभिप्रेत है।
- 2.75 'शरण क्षेत्र' (**Refuge area**) :— से भवन के अन्दर ऐसा क्षेत्र जो कि फायर और स्मॉक से सुरक्षा हेतु निकास के समय अस्थायी रूप से Staging Area (मचान क्षेत्र) के रूप में उपयोग में आता हो, अभिप्रेत है।
- 2.76 'फायर टॉवर' (**Fire Tower**) से आग प्रतिरोधक हेतु ऐसा परिवृत (Enclosed) क्षेत्र जो कि सीधा निकास से जुड़ा हो व भवन की संरचना से पृथक हो जिसमें संरक्षित लॉबी, सीढ़ी और फायरमैन की लिफ्ट सम्मिलित हो, अभिप्रेत है।
- 2.77 'ग्रीन बिल्डिंग्स' (**Green Buildings**) :— से ऐसा भवन जिसका निर्माण पूर्ण कर लिया गया हो तथा लीडरशिप इन एनर्जी एण्ड एन्वायरमेन्टल डिजाईन (LEED)/IGBC /GRIHA/ASSOCHAM GEM के प्रावधानों के लिये प्रश्नगत भवन की अनुशंसा की गई हो अथवा ऐसी समतुल्य संस्थाएँ/तकनीकी विशेषज्ञ जिनकों ग्रीन बिल्डिंग के प्रमाणिकरण हेतु अधिकृत किया गया हों द्वारा प्लेटिनम/गोल्ड/सिल्वर रेटिंग दी गई हो, अभिप्रेत है।
- 2.78 'टीडीआर' (**Transferable Development Right**) से ऐसा अधिकार पत्र जो कि टी.डी आर पॉलिसी/नियमों के अंतर्गत सम्बन्धित निकाय द्वारा जारी किया गया हो, अभिप्रेत है।
- 2.79 'पूर्णता प्रमाण—पत्र' (**Completion Certificate**) से अभिप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है, जो विनियम संख्या 15 के प्रावधानों की पालना पूर्ण करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावे।
- 2.80 'अधिवास प्रमाण—पत्र' (**Occupancy Certificate**) से अभिप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है जो विनियम संख्या—15 की पालना पूर्ण करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाये।
- 2.81 'अनुसूची' (**Annexure**) से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची, अभिप्रेत है।

**नोट :-**

- (i) वे शब्द और अभिव्यक्तियों जो इन विनियमों में लिखी गई हैं किन्तु इनमें परिभाषित नहीं की गई हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि उनके लिए अधिनियम में निर्धारित किया गया है।
- (ii) अन्य परिभाषायें जो यहां उल्लेखित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जैसा उनके लिये राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) में निर्धारित किया गया है।

### 3. नगरीय क्षेत्र (Urban Area) में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु मापदण्ड

नगरीय क्षेत्र को निम्न वर्णित क्षेत्रों के अनुसार छः क्षेत्रों में विभाजित किया गया है :-

क्षेत्र एस-1 (Area S-1)	नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों का आबादी क्षेत्र जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रबन्धित है।
क्षेत्र एस-2 (Area S-2)	नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला चार दीवारी क्षेत्र।
क्षेत्र एस-3 (Area S-3)	नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित चार दीवारी क्षेत्र को छोड़कर अन्य गैर योजनागत सघन आबादी क्षेत्र अथवा नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने से पूर्व ग्राम पंचायत के अधीन रहा सघन आबादी क्षेत्र।
क्षेत्र एस-4 (Area S-4)	इन विनियमों के प्रभाव में आने से पूर्व के स्वीकृत योजना क्षेत्र।
क्षेत्र एस-5 (Area S-5)	विशिष्ट क्षेत्र/सड़के यथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान व निषेध क्षेत्र, पुरातात्त्विक महत्व के संरक्षित स्थल, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल, झील संरक्षित क्षेत्र, अधिसूचित अभ्यारण्य क्षेत्र, हैरिटेज स्थल के आस-पास एवं पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आदि संरक्षित क्षेत्र।
क्षेत्र एस-6 (Area S-6)	एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 एवं एस-5 को छोड़कर शेष समस्त नगरीय क्षेत्र।

उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु मापदण्ड :-

- 3.1 एस-1 क्षेत्रों में भवन विनियम 3.3(2) के अनुसार मापदण्ड निर्धारित करते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेंगी।
- 3.2 एस-2 क्षेत्रों अर्थात् चार दीवारी क्षेत्र हेतु संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यदि पृथक से कोई मापदण्ड निर्धारित कर स्वीकृत किये हुये हो तो तदानुसार मापदण्ड रखते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेंगी। चार दीवारी क्षेत्र हेतु स्थानीय निकाय द्वारा पृथक से मापदण्ड निर्धारित करते हुए राज्य सरकार की स्वीकृति से लागू किये जा सकेंगे। चार दीवारी क्षेत्र हेतु पृथक से मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जाने की अवस्था में भवन विनियम 3.3(2) के अनुसार मापदण्ड निर्धारित करते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेंगी।

3.3 एस-3 क्षेत्रों (सघन आबादी क्षेत्र) में भवन निर्माण हेतु मानदण्ड :-

1. परम्परागत रूप से विकसित गैर नियोजित क्षेत्र, सघन आबादी क्षेत्रों, कच्ची बस्ती क्षेत्रों का निर्धारण हेतु संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा सर्वे किया जायेगा तथा ऐसे गैर नियोजित क्षेत्र जिनमें नगर पालिका अधिनियम लागू होने से पूर्व अथवा इन भवन विनियमों के लागू होने से पूर्व 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में परम्परागत रूप से सघन

आबादी विकसित हुई हो, की सूची उनकी सीमाओं का निर्धारण करते हुए, तैयार की जावेगी तथा उक्त सूची को संबंधित निकाय की मण्डल/बोर्ड बैठक में अनुमोदित करवाया जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। इसकी प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जावेगी। उक्त कार्यवाही इन भवन विनियमों के प्रभाव में आने के तुरंत पश्चात संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा की जावेगी। इस प्रकार निर्धारित सघन आबादी क्षेत्रों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा मौके की स्थिति अनुसार भवन मानदण्ड व भवन रेखा निर्धारित करते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेंगी। स्वीकृत योजनाओं के क्षेत्र को इन विनियम के अन्तर्गत सघन आबादी क्षेत्र नहीं माना जावेगा।

2. उक्त क्षेत्रों में मौजुदा भवन रेखा व क्षेत्र के आस-पास के स्वरूप, भवन रेखा सैटबेक इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सैटबेक व ग्राउण्ड कवरेज का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा अर्थात् आस-पास के क्षेत्र में यदि शून्य सैटबेक पर निर्माण हो तो शून्य सैटबेक रखते हुए शत प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार प्रावधान रखते हुए दी जा सकेगी :—
  - (i) भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 9 मीटर तक होने पर आवासीय उपयोग हेतु अधिकतम ऊँचाई 9 मीटर (भूतल+2 मंजिल) तक के निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी। भूतल पर परम्परागत व्यवसाय की गतिविधियाँ अनुज्ञेय होगी।
  - (ii) भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 9 मीटर से अधिक होने पर आवासीय उपयोग हेतु अधिकतम ऊँचाई 12 मीटर (भूतल+3 मंजिल) तक के निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी। स्टील्ट फ्लोर केवल पार्किंग हेतु प्रस्तावित करने पर स्टील्ट फ्लोर के ऊपर के तल को भू-तल माना जावेगा।
  - (iii) 9 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर यदि परम्परागत रूप से वाणिज्यिक/मिश्रित भू-उपयोग निर्माण स्थित हो तो केवल भूतल पर भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई के बराबर गहराई तक वाणिज्यिक/मिश्रित भू-उपयोग निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी। ऊपर की अधिकतम दो मंजिलों पर केवल आवासीय उपयोग हेतु निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी। वाणिज्यिक निर्माण हेतु इन विनियमों के अनुसार पार्किंग उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हो तो संबंधित निकाय द्वारा प्रति ईसीयू पार्किंग दर निर्धारित कर शुल्क वसूल किया जा सकेगा।
  - (iv) ऐसी किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक गतिविधि यथा थोक व्यापार, गोदाम, ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण आदि हेतु स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी, जिनके कारण भारी वाहनों का आवागमन होता हो या ध्वनि प्रदूषण या यातायात प्रभावित होने की संभावना होती हो अथवा क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता हो।
  - (v) बिन्दु संख्या (i), (ii) व (iii) में उल्लेखित ऊँचाई/प्रावधानों के अलावा अधिक ऊँचाई या वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोग प्रस्तावित किये जाने पर **विनियम-3.6** के अनुसार इन विनियमों में नवीन योजनाओं हेतु प्रस्तावित तालिका -1 के अनुसार सैटबेक व अन्य समस्त प्रावधान रखते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकती है।

(vi) एस-3 क्षेत्रों में यदि किसी सड़क के मार्गाधिकार में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है तो विद्यमान निर्माण को पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर इन विनियमों के तहत नया भवन प्रस्तावित किया जाने पर प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क केन्द्र से तदानुसार भूमि सर्वपण किये जाने के पश्चात भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी। अन्यथा विद्यमान भवन रेखा के अनुरूप निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी।

### 3.4 एस-4 क्षेत्र (पूर्व स्वीकृत योजना क्षेत्रों) में भवन निर्माण हेतु मानदण्ड :—

1. पूर्व स्वीकृत योजना के रिक्त भूखण्ड/निर्मित भवन को ध्वस्त कर नवीन निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर :—

(i) इन भवन विनियम के जारी होने से पूर्व स्वीकृत योजनाओं के भूखण्डों पर वर्तमान में भवन निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर योजना मानचित्र/भूखण्ड के स्थल मानचित्र में दर्शित सैटबैक तदानुसार ही रखे जाने अनिवार्य होगे।

(ii) भूखण्ड के स्थल मानचित्र में अंकित एफ.ए.आर./बी.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर./बी.ए.आर. माना जाकर अतिरिक्त प्रस्तावित बी.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।

(iii) भू-आच्छादन, ऊँचाई एवं अन्य समस्त तकनीकी मापदण्ड इन विनियम के अनुसार रखे जाने होंगे।

2. पूर्व में जारी एकल पट्टे के रिक्त भूखण्ड/निर्मित भवन को ध्वस्त कर नवीन निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर :—

(i) इन भवन विनियम के जारी होने से पूर्व स्वीकृत एकल पट्टे के भूखण्डों पर वर्तमान में भवन निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर एकल भूखण्ड के स्थल मानचित्र में सड़क की ओर दर्शित सैटबैक को यथावत रखते हुऐ अन्य सैटबैक इन विनियमों के अनुसार रखे जा सकेंगे।

(ii) भूखण्ड के स्थल मानचित्र में अंकित एफ.ए.आर./बी.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर./बी.ए.आर. माना जाकर अतिरिक्त प्रस्तावित बी.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।

(iv) भू-आच्छादन, ऊँचाई एवं अन्य समस्त तकनीकी मापदण्ड इन विनियम के अनुसार रखे जाने होंगे।

3. पूर्व स्वीकृत योजना जिनमें टाईप डिजाईन निर्धारित हो :—

जिन योजनाओं में टाईप डिजाईन निर्धारित है, उनमें टाईप डिजाईन के आधार पर ही निर्माण स्वीकृति दी जावेगी। यदि ऐसी पूरानी योजनाओं में वर्तमान परीपेक्ष्य में नवीन निर्माण किया जाना प्रस्तावित हो तो ऐसी योजनाओं का पुनर्विकास प्लान (Re-development Plan) तैयार किया जाकर ही तदानुसार नवीन भवन निर्माण स्वीकृतियां जारी की जानी होगी। एकल रूप में टाईप डिजाईन से भिन्न स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

4. पूर्व में नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर वर्तमान में भवन निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर :—

इन भवन विनियम के जारी होने से पूर्व नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर नीलामी की शर्तों के अनुसार ही समस्त मापदण्ड यथा सैटबैक, एफ.ए.आर / बी.ए.आर, भू-आच्छादन, ऊँचाई आदि रखे जाना अनिवार्य होगे। यदि ऐसे भूखण्ड पर नीलामी की शर्तों में जिन मापदण्डों का उल्लेख नहीं किया गया हो उन्हे इन विनियम के अनुसार रखे जाने होंगे।

5. पूर्व स्वीकृत विशिष्ट योजनाओं के रिक्त भूखण्ड/निर्मित भवन को ध्वस्त कर नवीन निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर :—

पूर्व स्वीकृत विशिष्ट योजनाएँ जैसे जयपुर की विद्याधर नगर योजना अथवा जोधपुर की शास्त्री नगर योजना आदि जिसके लिए विशिष्ट वास्तुविदिक मापदण्ड संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित हो, उस योजना में संबंधित विशिष्ट वास्तुविदिक मापदण्ड ही लागू होंगे।

6. पूर्व स्वीकृत योजनाओं/एकल भूखण्ड के स्थल मानचित्र में मापदण्ड दर्शित नहीं होने पर :—

इन भवन विनियम के जारी होने से पूर्व स्वीकृत योजनाओं/एकल भूखण्डों में सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊँचाई, एफ.ए.आर / बी.ए.आर. आदि किसी मापदण्ड या मापदण्डों का उल्लेख/निर्धारण नहीं हो तो जिन मापदण्डों का उल्लेख नहीं है वो सभी मापदण्ड इन भवन विनियमों के मापदण्डों के अनुसार देय होंगे।

7. पूर्व नियमों के अनुसार निर्मित भवन में संशोधन/विस्तार चाहे जाने पर :—

पूर्व में निर्मित भवन में संशोधन/विस्तार चाहे जाने पर तत्समय प्रचलित नियमों/प्रावधानों के आधार पर ही भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जानी होगी।

8. पूर्व में किसी परियोजना का निर्माण विभिन्न चरणों में प्रस्तावित होने पर :—

पूर्व में किसी परियोजना का निर्माण विभिन्न चरणों में प्रस्तावित होने पर एक चरण पूर्व में लागू विनियमों के तहत पूर्ण होने पर अगले चरण की भवन निर्माण स्वीकृति इन भवन विनियम के अनुसार दी जा सकेगी।

9. इन भवन विनियमों के लागू होने से पूर्व आवेदित प्रकरणों में :—

इन भवन विनियमों के लागू होने से पूर्व आवेदित भवन मानचित्र अनुसोदन के प्रकरण पूर्व नियमों के प्रावधानों के अनुसार अथवा आवेदक द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करने पर इन विनियमों के अंतर्गत निस्तारित किये जा सकेंगे।

**नोट :—**

- (i) किसी भूखण्ड के पूर्व में जारी स्थल मानचित्र में उल्लेखित किसी भी मापदण्ड में परिवर्तन प्रस्तावित होने पर तदानुसार संशोधित स्थल मानचित्र जारी किया जाना होगा तत्पश्चात ही भवन मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (ii) राजस्थान रियल एस्टेट (डबलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) रूल्स-2017 के अन्तर्गत पंजीकृत परियोजनाओं में संशोधन हेतु आवेदन करने पर संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- (iii) उपरोक्तानुसार प्रकरणों में भवन मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण स्वीकृति दिये जाने पर समस्त शुल्क इन भवन विनियम/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार देय होंगे।

### **3.5 एस-5 क्षेत्र (विशेष क्षेत्रों) में भवन निर्माण हेतु मानदण्ड :—**

#### **1. विशेष क्षेत्रों में भवन निर्माण किये जाने पर —**

विशिष्ट क्षेत्रों यथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों व निषेध क्षेत्रों पुरातात्त्विक महत्व के संरक्षित स्थलों, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों, झील संरक्षित क्षेत्र, अधिसूचित अभ्यारण्य क्षेत्रों हैरिटेज स्थलों के आस-पास एवं पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों आदि संरक्षित क्षेत्रों जिनके लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पृथक से भवन की संरचना, अभिकल्पन, डिजाईन, ऊँचाई आदि हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, ऐसे क्षेत्रों में उक्त मानदण्ड इन भवन विनियमों के प्रावधानों से सर्वोपरी होंगे; तथा ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही स्वीकृति दी जा सकेगी। स्थानीय निकाय के प्रस्ताव पर ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण एवं उनके लिए विशिष्ट मापदण्डों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस प्रकार विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में भवन निर्माण स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इन विशिष्ट मापदण्डों के अनुसार ही दी जा सकेगी।

#### **2. विशेष सड़को पर भवन निर्माण किये जाने पर —**

विशिष्ट सड़को का निर्धारण स्थानीय निकाय की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस प्रकार विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में भवन निर्माण स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विशिष्ट मापदण्डों के अनुसार दी जावेगी तथा इन मानदण्डों में विशेष परिस्थितियों में शिथिलता राज्य सरकार के स्तर दी जा सकेगी।

#### **3. आर्मी कन्टोनमेन्ट एरिया के समीप भवन निर्माण किये जाने पर —**

रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/ Installations) के निकट स्थानीय मिलट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के संबंध में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्थित रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/ Installations) की सीमा से 500 मीटर तक की परिधि क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकृति बाबत् रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

**नोट:-** विशेष क्षेत्रों/सड़कों पर निर्धारित मापदण्डों के अतिरिक्त जिन मापदण्डों का उल्लेख नहीं है वो सभी मापदण्ड इन भवन विनियमों के अनुसार देय होंगे।

**3.6 एस–6 क्षेत्र अर्थात् एस–1, एस–2, एस–3, एस–4 व एस–5 को छोड़कर शेष समस्त नगरीय क्षेत्र व नई प्रस्तावित योजनाओं में भवन निर्माण हेतु मानदण्ड :–**

एस–6 क्षेत्र अर्थात् एस–1, एस–2, एस–3, एस–4 व एस–5 को छोड़कर शेष समस्त नगरीय क्षेत्र व नई प्रस्तावित योजनाओं में इन भवन विनियमों के तहत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रावधान रखते हुए स्वीकृति दी जा सकेगी। किसी विशिष्ट योजना हेतु योजना अनुमोदित करते समय इन विनियमों के प्रावधानों, से भिन्न मानदण्ड राज्य सरकार की स्वीकृति से निर्धारित किये जा सकेंगे।

#### **4. भवन निर्माण की श्रेणियां एवं मापदण्ड :-**

**4.1** भवन निर्माण की श्रेणिया नगरीय क्षेत्र की मास्टर विकास योजना / डबलपमेंट प्रमोशन एवं कन्ट्रोल रेगुलेशन में वर्णित विभिन्न भू-उपयोगों के लिए आवश्यक भवनों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने की दृष्टि से निम्न सात श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रत्येक वर्ग में आने वाली गतिविधियों की अनुसूची इन विनियमों के साथ सलंगन अनुसूची-1 में दी गई है।

##### **1. आवासीय भवन :-**

- (i) स्वतंत्र आवास
- (ii) बहु-आवासीय
- (iii) फ्लेट्स
- (iv) ग्रुप हाउसिंग
- (v) स्टुडियो अपार्टमेंट
- (vi) फार्म हाउस
- (vii) हॉस्टल
- (viii) रिटार्यमेन्ट हॉम्स
- (ix) मुख्यमंत्री जनआवास योजना / आफोर्डेबल हाउसिंग

##### **2. वाणिज्यिक भवन :-**

- (i) लघु व्यावसायिक प्रतिष्ठान / दुकानें
- (ii) वाणिज्यिक परिसर
- (iii) सिनेमा / मल्टीप्लेक्स / मिनीप्लेक्स
- (iv) थोक व्यापार केन्द्र
- (v) रिटेल फ्यूल फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पम्प / सीएनजी / एलपीजी)
- (vi) इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन
- (vii) विवाह / पार्टी स्थल
- (viii) वेयर हाउसिंग / गोदाम
- (ix) गैस गोदाम
- (x) धर्म कांटा (वे-ब्रिज)
- (xi) उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूची-1 के क्रम संख्या 2 में वर्णित अन्य गतिविधियां / उपयोग

##### **3. पर्यटन ईकाई भवन :-**

राजस्थान पर्यटन नीति के अंतर्गत पंजीकृत निम्न उपयोग-

- (i) होटल
- (ii) रिसोर्ट / रिसोर्ट स्कीम
- (iii) मोटेल

(iv) गेस्ट हाउस

**4. संस्थागत भवन**

- (i) शैक्षणिक (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी एवं अन्य शिक्षण संस्थान)
- (ii) कॉर्चिंग सेंटर
- (iii) चिकित्सा (डिस्पेंसरी, अस्पताल, नर्सिंग होम, वेटनरी अस्पताल)
- (iv) सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय
- (v) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ (यथा सामुदायिक केन्द्र, पुलिस थाना, पुस्तकालय, क्लब, पोस्ट व टेलीग्राफ ऑफिस, आदि)
- (vi) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक भवन
- (vii) सभा भवन (Assembly building)/Convention Centre/प्रदर्शनी केन्द्र/कला दीर्घा
- (viii) उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूची-1 के क्रम संख्या 4 में वर्णित अन्य गतिविधियां/उपयोग

**5. मिश्रित उपयोग के भवन :-**

आवासीय, वाणिज्यिक, पर्यटन इकाई, संस्थानिक आदि उपयोगों में से एक से अधिक उपयोग यथा आवासीय-वाणिज्यिक, आवासीय-संस्थानिक, आवासीय-वाणिज्यिक-पर्यटन इकाई-संस्थानिक आदि।

**6. औद्योगिक भवन :-**

अनुसूची-1 के क्रम संख्या 5 में वर्णित गतिविधियां/ उपयोग

**7. अमोद-प्रमोद उपयोग हेतु भवन :-**

- (i) एम्बूजमेंट पार्क
- (ii) स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

**8. विशेष प्रकृति के भवन**

अनुसूची-1 के क्रम संख्या 7 में वर्णित गतिविधियां/उपयोग

#### 4.2 भवन निर्माण के मापदण्ड :—

भूखण्ड के क्षेत्रफल / उपयोग के आधार पर नवीन प्रस्तावित योजनाओं में भवन निर्माण किये जाने हेतु सैटबेक की न्यूनतम आवश्यकता, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र, भवन की अधिकतम ऊँचाई व मानक बी.ए.आर. तालिका-1 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

#### तालिका-1

**भूखण्डों पर (आवासीय, वाणिज्यिक, पर्यटन इकाई, संस्थागत, मिश्रित) भवन निर्माण हेतु मानदण्ड**

क्र. सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	अधिकत म भू-आच्छ दन	न्यूनतम सैटबैक (मीटर)			अधिकतम ऊँचाई (मी.) (सड़क मार्गाधिकार के अनुसार)			मानक बी.ए.आर
			पाश्व	पार्श्व	पीछे	9 मी.	12 मी.	18 मी. व अधिक	
1.(i)	90 व.मी. तक	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	---	---	---	10.0 भूतल+2	10.0 भूतल+2	10.0 भूतल+2	जो भी प्राप्त हो
(ii)	90 व.मी. से अधिक तथा 167 व.मी. तक	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	---	---	1.5	10.0 भूतल+2	10.0 भूतल+2	12.5 भूतल+3	2.00
(iii)	167 व.मी. से अधिक तथा 225 व.मी. तक	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	---	---	2.0	10.0 भूतल+2	10.0 भूतल+2	12.5 भूतल+3	2.00
(iv)	225 व.मी. से अधिक तथा 500 व.मी. तक	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	3.0	---	3.0	10.0 भूतल+2	12.5 भूतल+3	15.0 भूतल+4	2.00
(v)	500 व.मी. से अधिक तथा 750 व.मी. तक	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	30	3.0	3.0	10.0 भूतल+2	12.5 भूतल+3	15.0 भूतल+4	2.00
(vi)	750 व.मी. से अधिक तथा 1000 व.मी. तक	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	4.5	4.5	4.5	12.5 भूतल+3	15.0 भूतल+4	15.0 भूतल+4	2.00
(vii)	1000 व.मी. से अधिक तथा 1500 व.मी. तक	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	4.5	4.5	4.5	12.5 भूतल+3	15.0 भूतल+4	15.0 भूतल+4	2.00
(viii)	1500 व.मी. से अधिक तथा 2500 व.मी. तक	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	6.0	6.0	6.0	12.5 भूतल+3	15.0 भूतल+4	सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा + अग्र सैटबैक	2.00
(ix)	2500 व.मी. से अधिक तथा 10,000 व.मी. तक	40%	9.0	9.0	9.0	12.5 भूतल+3	15.0 भूतल+4	सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा + अग्र सैटबैक	2.00

(x)	10,000 व.मी. से अधिक	35%	9.0	9.0	9.0	12.5 भूतल+3	15.0 भूतल+4	सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा + अग्र सैटबेक	2.00
2.	फार्म हाउस	भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमी. जो भी कम हो	3.0	3.0	3.0	अधिकतम भूतल +1 (10 मीटर)			जो भी प्राप्त हो
4.	रिसोर्ट/रिसोर्ट स्कीम	20%	9.0	9.0	9.0	—	—	15.0 भूतल+2	0.75
5.	मोटल	20%	9.0	9.0	9.0	—	—	15.0 भूतल+2	0.75
6.	एम्यूजमेन्ट पार्क	10%	9.0	9.0	9.0	—	—	10.0 भूतल+2	जो भी प्राप्त हो
7.	पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन/ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन	20%	3.0	3.0	3.0	8.0			0.25
8.	स्पॉट्स कॉम्प्लैक्स स्कीम	25%	9.0	9.0	9.0	15.0			0.40

### विशिष्ट नोट :-

- 90 व.मी. व उससे अधिक के भूखण्डों पर भूतल पर पार्किंग हेतु स्टील्ट फ्लोर देय होगा।
- 1500 व.मी. तक के भूखण्डों पर स्टील्ट फ्लोर तालिका-1 में उल्लेखित मंजिलों के अतिरिक्त देय होगा, जिसकी अधिकतम ऊँचाई 3.0 मीटर अनुज्ञेय होगी, परन्तु भवन की कुल ऊँचाई स्टील्ट सहित 15 मी. से अधिक देय नहीं होगी।
- 1500 व.मी. से अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने पर अधिकतम ऊँचाई "मुख्य सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा + अग्र सैटबेक" देय है। ऊँचाई की गणना हेतु अग्र सैटबैक लीजडीड/पट्टे के साथ जारी साईट प्लान में दर्शित अनुसार अथवा योजनानुसार माना जावेगा। लीजडीड/पट्टे के साथ जारी साईट में अग्र सैटबैक दर्शित नहीं होने पर इन विनियमों में तालिका-05 के अनुसार माना जावेगा।
- किसी भी सड़क का मार्गाधिकार 9 मी., 12 मी. व 18 मी. एवं उससे अधिक की श्रेणी में ही माना जायेगा अर्थात् यदि मौके पर सड़क की चौड़ाई 9 मी. से अधिक किन्तु 12 मी. से कम है तो उस सड़क का मार्गाधिकार 9 मी. की श्रेणी में माना जावेगा इसी प्रकार यदि 15 मी. है तो उस सड़क का मार्गाधिकार 12 मी. श्रेणी में माना जावेगा। इसी प्रकार यदि 20 मी. है तो उस सड़क का मार्गाधिकार 18 मी. श्रेणी में माना जावेगा।

सड़क का मार्गाधिकार अनुमोदित ले—आउट प्लान में दर्शाये अनुसार मान्य होगा। इन विनियमों में सरलीकरण की दृष्टि से 3 मी., 6 मी., 9 मी., 12 मी., 18 मी. व 24 मी. की गणना जहाँ आवश्यक हो क्रमशः 10, 20, 30, 40, 60 व 80 फीट के रूप में मान्य होगी।

5. किसी भी भवन की अधिकतम ऊँचाई विनियम संख्या 4.14, तालिका—01 में निर्धारित ऊँचाई व प्रतिबंधित क्षेत्रों में विनियम संख्या 3.5 के अनुसार निर्धारित ऊँचाई में से जो भी कम हो देय होगी।
6. मूल भूखण्ड पर बहुमंजिला भवनों (15 मी. से अधिक ऊँचाई) में अग्र, पाश्व एवं पृष्ठ सैटबैक तालिका—1 एवं तालिका—5 अथवा न्यूनतम 6.0 मी. अथवा भवन ऊँचाई का  $1/4$  जो भी अधिक हो रखा जाना अनिवार्य होगा।
7. पूर्णगठित भूखण्डों पर बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने पर विनियम 5.3 के अनुसार न्यूनतम सैटबैक एवं अन्य मापदण्ड रखे जाने होंगे।

### 4.3 आवासीय भवन (Residential Building)

#### 1. सामान्य नियम (General Rules) :-

- (i) आवासीय भवनों के लिये भवन निर्माण के मापदण्ड यथा सैटबैक, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र, अधिकतम ऊँचाई एवं बी.ए.आर. की सीमायें योजना होने की स्थिति में योजना/भूखण्ड के साइट प्लान अनुसार अन्यथा तालिका—1 के अनुसार देय होंगे।
- (ii) स्वतंत्र आवास भूखण्डों में किसी भी मंजिल अथवा मंजिल के आंशिक भाग/बेसमेन्ट पर स्वयं के निवास का 35 प्रतिशत अथवा 150 वर्ग मीटर जो भी कम हो, निम्न प्रकार के स्वानियोजन व्यवसाय के लिए उपयोग में लिया जा सकता है:—  
 (क) एडवोकेट (ख) इंजीनियर (ग) डॉक्टर (घ) वास्तुविद (ड) चार्टड एकाउन्टेंट/वित्तीय सलाहकार (च) मीडिया प्रोफेशनल का कार्यालय (छ) आइ.टी. प्रोफेशनल का कार्यालय (ज) नगर नियोजक का कार्यालय एवं (झ) अन्य प्रकार के स्वनियोजन व्यवसाय यथा (i) प्रदूषण रहित घरेलू कुटीर उद्योग (ii) ब्यूटी-पार्लर (iii) सिलाई-बुनाई-कढाई केन्द्र (iv) ई-मित्र कियोस्क (v) वर्चुअल कार्यालय, वर्चुअल क्लास रूम, योगा/ध्यान केन्द्र (अधिकतम 20 व्यक्तियों के लिये) आदि परन्तु ऐसी गतिविधियां जो भवन में निवासकर्ताओं के लिये हानिकारक एवं संकटमय हो कि अनुमति नहीं दी जायेगी।

उक्त उपयोग हेतु पार्किंग का प्रावधाना भूखण्ड के अन्दर ही किया जाना होगा जिससे की आस-पास के रहवासीयों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उक्त उपयोग बाबत डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

- (iii) फ्लेट्स एवं ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में उक्त गतिविधियां, परिसर में प्रस्तावित वाणिज्यिक/रिटेल एरिया में ही अनुज्ञेय होगी एवं किसी फ्लेट में अनुज्ञेय नहीं होगी।

- (iv) बहु आवासीय /फ्लैट्स/ग्रुप हाउसिंग जिनमें पृथक—पृथक स्वामित्व की ऐसे आवास इकाईयों की छत (टैरेस) को कॉमन फेसिलिटी यथा मम्टी, लिफ्ट मशीन रूम, पानी की टंकी, सोलर पैनल, डिश एंटिना, एयर कांडिशनिंग आउटडोर यूनिट्स आदि हेतु उपयोग में लिये जाने के पश्चात टैरेस के शेष भाग का अधिकतम 25 प्रतिशत निजी टैरेस एवं शेष कॉमन टैरेस के रूप में अनुज्ञेय होगा। निजी टैरेस अंतिम मंजिल के फ्लैट धारकों को हस्तांतरित किया जा सकेगा। टैरेस प्लान में कॉमन फेसिलिटी, निजी टैरेस एवं कॉमन टैरेस को भवन मानचित्र अनुमोदन के समय स्पष्ट दर्शाया जाना आवश्यक होगा। निजी टैरेस के कुल क्षेत्र का 50 प्रतिशत क्षेत्र बी.ए.आर. की गणना में शामिल होगा एवं तदानुसार उक्त क्षेत्र पर पार्किंग भी देय होगी।
- (v) आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर एवं निम्न आय वर्ग हेतु राज्य सरकार की अर्फ़ेडेबल हाउसिंग पॉलिसी अथवा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी पॉलिसी/दिशा—निर्देशों के अनुसार प्रावधान रखे जाने होंगे।
- (vi) आवासीय बहुमंजिला भवन 1500 व.मी. से अधिक के भूखण्डों एवं न्यूनतम 18 मी. चौड़ाई की सड़क पर ही देय होंगे।
- (vii) समस्त आवासीय उपयोग के भवन आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित भूखण्डों पर अनुज्ञेय होंगे एवं समस्त शुल्क व मापदण्ड तदानुसार आवासीय के ही लागू होंगे।

## 2. स्वतंत्र आवास (Independent House) :-

- (i) स्वतंत्र आवास के भूखण्डों पर अधिकतम चार निवास इकाई ही अनुज्ञेय होगी।
- (ii) स्वतंत्र आवास के भूखण्डों पर तालिका—01 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति दी जानी होगी।

## 3. बहु निवास इकाई (Multiple Dwelling Units)

- (i) बहु—निवास इकाई (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधिक तथा 750 व.मी. तक के भूखण्ड जो कि ऐसी स्वीकृत आवासीय योजनाओं में स्थित हो, जिनमें पार्क, सुविधा क्षेत्र एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पानी आदि की सुनिश्चितता हो, पर ही अनुज्ञेय होंगे।
- (ii) बहु निवास इकाई न्यूनतम 12 मीटर सड़क पर ही अनुज्ञेय होगी। 12 मीटर से कम चौड़ाई की सड़कों पर स्थित भूखण्डों पर स्वतंत्र आवासीय भवन ही अनुज्ञेय होंगे।
- (iii) बहु निवास इकाई के भूखण्डों पर पार्किंग का प्रावधान तालिका—16 के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा। बहु निवास इकाई के सभी भूखण्डों में पार्किंग हेतु स्टिल्ट पार्किंग का प्रावधान अनिवार्य होगा।
- (iv) बहु निवास इकाई को अग्निशमन शुल्क के संबंध में फ्लैट्स की श्रेणी में माना जावेगा एवं अग्निशमन के संबंध में नियमानुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।

#### **4. फ्लेट्स (Flats) :-**

- (i) 750 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 04 से अधिक आवासीय ईकाइयों प्रस्तावित / निर्मित होने पर ऐसी परियोजना को फ्लेट्स की श्रेणी में माना जावेगा।
- (ii) फ्लेट्स हेतु सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होना आवश्यक होगा।
- (iii) फ्लेट्स हेतु प्रस्तावित परियोजना में गणना योग्य निर्मित क्षेत्र का न्यूनतम 2 प्रतिशत क्षेत्र सोसाइटी कार्यालय, स्वागत कक्ष, प्रतिक्षायल, कॉमन / विशेष योग्यजन हेतु टॉयलेट सुविधाओं आदि रखा जाना आवश्यक होगा एवं इसके अतिरिक्त अधिकतम 5 प्रतिशत क्षेत्र परियोजना की अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ हेतु यथा सामुदायिक हॉल, कॉमन स्टोर, पुस्तकालय, क्लब, जिम, इनडोर गेम्स / स्विमिंग पूल / योगा—मेडिटेशन हॉल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं आदि अनुज्ञेय होगा।

उक्त क्षेत्र केवल भवन निवासियों की सुविधाओं के लिए ही आरक्षित रहेगा, जिसका विक्रय नहीं किया जा सकेगा तथा विकासकर्ता द्वारा उक्त सुविधा क्षेत्र विकसित कर इसको रख—रखाव हेतु आर.डब्ल्यू.ए को हस्तान्तरित करना होगा। उक्त सुविधाएँ केवल भवन निवासियों के उपयोग हेतु ही रखी जावेगी एवं परियोजना के बाहर किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को उपयोग हेतु नहीं दी जा सकेगी।

उक्त सुविधाएँ भूखण्ड मे किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक में किसी भी तल पर अथवा पृथक भवन अथवा भवन ईकाइयों के रूप में भी अनुज्ञेय होंगी।

#### **5. ग्रुप हाउसिंग (Group Housing) :-**

- (i) 5000 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 04 से अधिक आवासीय ईकाइयों प्रस्तावित / निर्मित होने पर ऐसी परियोजना को ग्रुप हाउसिंग की श्रेणी में माना जावेगा।
- (ii) ग्रुप हाउसिंग हेतु सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होना आवश्यक होगा।
- (iii) ग्रुप हाउसिंग हेतु प्रस्तावित परियोजना में गणना योग्य निर्मित क्षेत्र का न्यूनतम 2 प्रतिशत क्षेत्र सोसाइटी कार्यालय, स्वागत कक्ष, प्रतिक्षायल, कॉमन / विशेष योग्यजन हेतु टॉयलेट एवं उक्त के अतिरिक्त अधिकतम 5 प्रतिशत क्षेत्र परियोजना की अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ हेतु यथा सामुदायिक हॉल, कॉमन स्टोर, पुस्तकालय, क्लब, जिम, इनडोर गेम्स / स्विमिंग पूल / योगा—मेडिटेशन हॉल तथा अधिकतम 3 प्रतिशत शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं आदि रखा जाना आवश्यक होगा।

उक्त क्षेत्र केवल भवन निवासियों की सुविधाओं के लिए ही आरक्षित रहेगा, जिसका विक्रय नहीं किया जा सकेगा तथा विकासकर्ता द्वारा उक्त सुविधा क्षेत्र विकसित कर इसको रख—रखाव हेतु आर.डब्ल्यू.ए को हस्तान्तरित करना होगा। उक्त सुविधाएँ केवल भवन निवासियों के उपयोग हेतु ही रखी जावेगी एवं

परियोजना के बाहर किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को उपयोग हेतु नहीं दी जा सकेगी।

उक्त सुविधाएँ भूखण्ड मे किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक में किसी भी तल पर अथवा पृथक भवन अथवा भवन ईकाइयों के रूप में भी अनुज्ञेय होगें।

(iv) कुल प्रस्तावित गणना योग्य क्षेत्र का न्यूनतम 1 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र अथवा 1000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र, जो भी कम हो, खुदरा व्यवसायिक (दैनिक उपभोग हेतु) दुकानों के लिए (साईर्ज-अधिकतम 45 वर्गमीटर) रखा जाना अनिवार्य होगा। उक्त खुदरा व्यवसायिक सहित कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्र का अधिकतम 5 प्रतिशत तक निर्मित क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा। इस व्यवसायिक प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र का उपयोग ग्रुप हाउसिंग के निवासियों के दैनिक प्रयोजन हेतु उपयोगी व्यवसाय हेतु ही अनुज्ञेय होगा। इन दुकानों में ऐसी कोई गतिविधि अनुज्ञेय नहीं होगी जो भवन निवासियों के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।

व्यवसायिक उपयोग के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत शुल्क देय होगा।

## 6. स्टुडियो अपार्टमेंट (Studio Apartment) :-

- (i) स्टुडियो अपार्टमेंट हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर एवं सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होना आवश्यक होगा।
- (ii) 5000 व.मी से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर स्टुडियो अपार्टमेंट प्रस्तावित होने पर फ्लेट्स हेतु निर्धारित नियम लागू होंगे एवं 5000 व.मी से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग हेतु निर्धारित नियम लागू होंगे।
- (iii) स्टुडियो अपार्टमेंट प्रस्तावित होने पर पार्किंग का प्रावधान तालिका-16 के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

## 7. फार्म हाउस (Farm House)/पर्यावरण मैत्री आवास (Eco Friendly House) :-

- (i) फार्म हाउस/पर्यावरण मैत्री आवास के एकल पट्टा प्रकरण में भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 व.मी. होगा एवं योजना में भूखण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर आवश्यक होगा। फार्म हाउस/पर्यावरण मैत्री आवास की एकल पट्टा प्रकरण में न्यूनतम पहुँच मार्ग 9.0 मीटर आवश्यक होगा।
- (ii) फार्म हाउस/पर्यावरण मैत्री आवास के निर्माण हेतु मापदण्ड तालिका-1 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार रखे जाने होंगे।
- (iii) फार्म हाउस/पर्यावरण मैत्री आवास के भूखण्डों पर निर्मित आवासीय भवन के अतिरिक्त खुले क्षेत्र का उपयोग कृषि/कृषि आधारित उपयोग/ वृक्षारोपण /नर्सरी/ऑर्चाड आदि हेतु किया जाना अनिवार्य होगा।

#### **8. हॉस्टल (Hostel) :-**

- (i) हॉस्टल भवन हेतु 500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों एवं सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होने पर अनुज्ञेय होंगे।
- (ii) भवन मापदण्ड तालिका-1 के अनुरूप देय होंगे।

#### **9. रिटार्डमेन्ट हॉम्स (Retirement Homes) :-**

- (i) रिटार्डमेन्ट हॉम्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 व.मी. एवं सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होना आवश्यक है।
- (ii) भवन मापदण्ड तालिका-1 के अनुरूप देय होंगे।
- (iii) पार्किंग के प्रावधान तालिका-16 के अनुसार रखे जाने होंगे।
- (iv) रिटार्डमेन्ट हॉम्स का आवंटन 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के निवास हेतु ही किया जा सकेगा। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को इसी शर्त पर आवंटन किया जा सकेगा कि वह 60 वर्ष की आयु के पश्चात् ही ऐसे आवास को रहवास हेतु उपयोग में ले जाए।
- (v) रिटार्डमेन्ट हॉम्स के आवासों को 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को ही किराये पर दिया जा सकेगा।

#### **10. मुख्यमंत्री जनआवास योजना/अफोर्डेबल हाउसिंग :-**

- (i) राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जनआवास योजना/अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अनुसार समस्त मापदण्ड रखे जाने आवश्यक होंगे।
- (ii) पॉलिसी में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त भवन निर्माण से संबंधित समस्त तकनीकी मापदण्ड इस विनियमों/NBC के अनुसार रखे जाने होंगे।

#### **4.4 वाणिज्यिक भवन (Commercial Building) :-**

##### **1. सामान्य नियम (General Rules) :-**

- (i) वाणिज्यिक भूखण्ड किसी स्वीकृत योजना का हिस्सा होने पर योजना के प्रावधान/पैरामीटर्स लागू होंगे व सड़क की चौड़ाई योजना अनुसार ही मान्य होगी अर्थात् किसी योजना में 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर यदि दुकाने प्रस्तावित हैं तो उस पर निर्माण स्वीकृति दी जा सकती है। योजना में यदि किसी भूखण्ड पर भूतल पर शत प्रतिशत निर्माण अनुज्ञेय है तथा योजना में सार्वजनिक पार्किंग का प्रावधान रखा गया है तो वहाँ पृथक से पार्किंग का प्रावधान करना आवश्यक नहीं होगा एवं पार्किंग की पूर्ति हेतु कोई शुल्क भी देय नहीं होगा।
- (ii) जहाँ वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु टाईप डिजाईन स्वीकृत है वहाँ उसी स्वीकृत टाईप डिजाईन के भवन मानदण्ड लागू होंगे। आंतरिक संरचना टाईप डिजाईन से भिन्न भी हो सकती है।

- (iii) वाणिज्यिक परिसर (Commercial Complex) न्यूनतम 18.0 मी. चौड़ी सड़कों पर ही अनुज्ञेय होगे।
- (iv) वाणिज्यिक बहुमंजिला भवन न्यूनतम 1500 वर्गमीटर के भूखण्ड एवं सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 24 मीटर होने पर ही देय होंगे।
- (v) वाणिज्यिक भूखण्ड पर समस्त वाणिज्यिक/पर्यटन इकाई/आवासीय/संस्थागत/मिश्रित उपयोग के भवन अनुज्ञेय होंगे एवं समस्त शुल्क व मापदण्ड तदानुसार प्रस्तावित उपयोग के अनुसार ही लागू होंगे।

## 2. लघु व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें (Convenient shops/ Establishment) :-

- (i) लघु व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें योजना का भाग होने पर भवन के मापदण्ड वाणिज्यिक भवनों के सामान्य नियम (i) एवं (ii) के अनुसार लागू होंगे अन्यथा तालिका-01 के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे। यदि योजना में सार्वजनिक पार्किंग का प्रावधान रखा गया हो तो 50 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में पृथक से पार्किंग प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा। 50 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों में भूखण्ड के अन्दर तालिका-16 के अनुसार पार्किंग प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) मुख्य सड़क से लगते हुए पंक्तिबद्ध (Row of Buildings/Plots) 500 व.मी. क्षेत्रफल तक वाणिज्यिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 मी. (भूतल + 2 मंजिलों) के निर्माण हेतु साइड सेटबैक छोड़ा जाना अनिवार्य नहीं होगा एवं अग्र सेटबैक में बाउण्ड्री वॉल का निर्माण नहीं किया जावेगा। पार्किंग का प्रावधान तालिका-16 के अनुसार रखा जाना होगा।

## 3. वाणिज्यिक परिसर :-

किसी भी प्रकार वाणिज्यिक परिसर, कार्यालय परिसर, रेस्टोरेन्ट, बैंक आदि हेतु के मापदण्ड योजना होने पर योजना के अन्यथा तालिका-01 के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।

## 4. सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/मिनीप्लेक्स (Cinema/Multiplex/Miniplex) :-

- (i) सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/मिनीप्लेक्स का निर्माण ‘राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) एक्ट 1952’ एवं ‘राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- (ii) सिनेमा/मल्टीप्लेक्स हेतु प्रवेश व निकास द्वार पृथक—पृथक होंगे तथा इनकी संख्या का निर्धारण इस प्रकार किया जावेगा कि निकटतम द्वार किसी सीट से 15 मीटर से अधिक दूरी पर ना हो। न्यूनतम 2 प्रवेश तथा 2 निकास द्वार दिये जाने आवश्यक होंगे। मिनीप्लेक्स हेतु न्यूनतम एक प्रवेश द्वार एवं एक निकास

द्वार के अतिरिक्त कम से कम एक आपातकालीन निकास द्वार सिनेमाटोग्राफी एक्ट के प्रावधान अनुसार दिया जाना आवश्यक होगा।

- (iii) 150 सीटों तक के मिनीप्लेक्स/सिनेमा हेतु भूखण्ड बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क, 150 सीटों से अधिक 300 सीटों तक हेतु भूखण्ड बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क तथा 300 सीटों से अधिक हेतु भूखण्ड न्यूनतम बड़े शहरों में न्यूनतम 30 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 24 मीटर चौड़ी सड़क पर होना आवश्यक है।
- (iv) पार्किंग तालिका 8 व सिनेमा/मिनीप्लेक्स/मल्टीप्लेक्स हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होंगे।
- (v) किसी भूखण्ड पर एक से अधिक सिनेमा स्क्रीन निम्न तालिका के अनुसार कुल सीटों हेतु न्यूनतम मापदण्डों की पूर्ति करने पर देय होगी।
- (vi) सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/मिनीप्लेक्स निर्माण हेतु तकनीकी मानदण्ड निम्नानुसार होगे :—

### तालिका—2

#### सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/मिनीप्लेक्स हेतु तकनीकी पैरामीटर्स

क्र. सं.	ऑडिटोरियम की क्षमता	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	सैटबेक (न्यूनतम)	ऊँचाई (अधिकतम)
1.	अधिकतम 50 सीटों तक	400 वर्गमीटर	अग्र -6.0 मी. अन्य -3.0 मी. प्रत्येक	12 मीटर
2.	50 से अधिक किन्तु अधिकतम 100 सीटों तक	600 वर्गमीटर	अग्र -7.5 मीटर अन्य -4.5 मीटर प्रत्येक	12 मीटर
3.	100 से अधिक किन्तु अधिकतम 150 सीटों तक	750 वर्गमीटर	अग्र -9.0 मीटर अन्य -4.5 मीटर प्रत्येक	15 मीटर
4.	150 सीटों के पश्चात् प्रत्येक 25 सीटों हेतु	750 व.मी. के अतिरिक्त 75 व. मी.	तालिका 1 के अनुसार	*15 मीटर

\*2000 वर्गमीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों एवं बड़े शहरों में न्यूनतम 30 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर स्थित भूखण्ड पर मल्टीप्लेक्स हेतु भवन की ऊँचाई विनियम 4.14 के अनुसार देय होगी।

#### 5. थोक व्यापार केन्द्र (Whole Sale Market) :—

- (i) भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 व.मी. होगा
- (ii) सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 24 मी. होगी।
- (iii) थोक व्यापार के नियम योजना अनुसार अन्यथा तालिका—01 के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।

**6. रिटेल प्यूल फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन/सीएनजी/एलपीजी) :-  
तालिका-3**

पेट्रोल पम्प/सीएनजी/ एलपीजी फिलिंग स्टेशन	भूखण्ड का न्यूनतम आकार (चौड़ाई X गहराई)
दो पहिया व चौपहिया वाहनों हेतु	20 मीटर X 20 मीटर
केवल दो पहिया व तीन पहिया वाहनों के लिए	18 मीटर X 15 मीटर
सर्विस स्टेशन के साथ	36 मीटर X 30 मीटर

- (i) सड़क की न्यूनतम चौड़ाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर होगी।
- (ii) ऑयल कंपनियों द्वारा जारी एल.ओ.आई./स्वीकृत ले—आउट प्लान में वर्णित तकनीकी मापदण्ड उपरोक्त वर्णित न्यूनतम क्षेत्रफल, माप एवं तालिका-1 में वर्णित तकनीकी मानदण्ड से भिन्न होने पर न्यूनतम क्षेत्रफल, माप एवं तकनीकी मानदण्ड एल.ओ.आई./स्वीकृत ले—आउट प्लान के अनुसार मान्य होंगे।
- (iii) उपरोक्त न्यूनतम क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प/सीएनजी/एलपीजी फिलिंग स्टेशन प्रस्तावित होने पर अतिरिक्त भूमि पर इन गतिविधियों से संबंधित गतिविधि ही अनुज्ञेय होगी, ऐसी कोई गतिविधि जिस पर ज्वलनशील सामग्री का उपयोग होता हो अनुज्ञेय नहीं की जायेगी।
- (iv) पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा एवं इस सम्बन्ध से सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन के स्वामी (L.O.I धारक) की होगी।
- (v) स्कूल, हॉस्पिटल (10 बेड एवं अधिक) और आवासीय क्षेत्र से नये पेट्रोल पम्प (फिल पॉइन्ट/डिस्पेन्सिंग यूनिट/वैन्ट पाईप जो भी नजदीक हो) की न्यूनतम 50 मी. दूरी आवश्यक है, यदि 50 मी. की दूरी रखा जाना संभव नहीं हो तो PESO द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे। किन्तु किसी भी दशा में स्कूल, हॉस्पिटल (10 बेड एवं अधिक) और आवासीय क्षेत्र से नये उक्तानुसार पेट्रोल पम्प की न्यूनतम दूरी 30 मी. से कम नहीं हो। पेट्रोल पम्प भूखण्ड के ऊपर से हाई टेंशन लाईन नहीं गुजर रही हो।

**7. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicles Charging Station) :-**

- (i) दो पहिया/तीन पहिया/चौपहिया वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशन के मापदण्ड :-**

भूखण्ड की न्यूनतम मापें	13.5 मी. X 9.1 मी.
सड़क की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर

- (ii) बस/ट्रक आदि भारी वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशन के मापदण्ड :-**

भूखण्ड की न्यूनतम मापें	20 मी. X 20 मी.
सड़क की न्यूनतम चौड़ाई	18 मीटर

तकनीकी मानदण्ड तालिका-01 के अनुसार रखे जाने होंगे।

#### 8. विवाह/पार्टी स्थल (Marriage/Party Place) :-

विवाह/पार्टी स्थल हेतु भवन मानदण्ड राज्य सरकार द्वारा लागू विवाह स्थल उपविधियों के अनुरूप होंगे एवं विवाह उपविधियां लागू नहीं होने पर निम्नानुसार होंगे :—

- (i) विवाह स्थल हेतु सड़क की न्यूनतम चौड़ाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर अनिवार्य है।
- (ii) भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर होगा। विवाह/पार्टी स्थल की अनुमति चिकित्सालय (न्यूनतम 20 बेड) से 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित होगी।
- (iii) सुरक्षा की दृष्टि से भूखण्ड में वाहनों के प्रवेश—निकास हेतु दो रास्ते प्रस्तावित किये जाने अनिवार्य हैं।
- (iv) भूखण्ड का न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल पार्किंग हेतु आरक्षित किया जाना अनिवार्य होगा। भवन मानचित्र अनुमोदन के समय मानचित्र में पार्किंग ले—आउट प्लान दर्शया जाना अनिवार्य होगा।
- (v) विवाह/पार्टी स्थल पर कुल भूखण्ड का अधिकतम 10 प्रतिशत क्षेत्र बैंकिंग हॉल, रसोई, शौचालय, आदि के उपयोग में लिया जा सकेगा एवं शेष क्षेत्र लेण्डस्केपिंग/गार्डन के रूप में विकसित किया जाना होगा।
- (vi) भूखण्ड के सैटबैक तालिका-01 एवं तालिका-05 के अनुसार देय होंगे।
- (vii) भूखण्ड पर अधिकतम एक मंजिल (अधिकतम ऊँचाई 15 मी.) अनुज्ञेय होगी।
- (viii) राज्य सरकार द्वारा विवाह स्थल के संबंध में जारी नियमों/नितियों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

#### 9. वेयर हाउस/गोदाम (Warehouse/Godown)

- (i) कृषि आधारित वेयर हाउसिंग/गोदाम उपयोग हेतु
  - भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल— 3000 व. मी.।
  - सड़क की न्यूनतम चौड़ाई— 18 मी.।
  - भवन की अधिकतम ऊँचाई — 15 मी.।
  - अधिकतम देय भू—आच्छादन— सैटबैक क्षेत्र के अन्दर।
- (ii) सामान्य वेयर हाउसिंग/गोदाम उपयोग हेतु
  - भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल— 500 व. मी.।
  - सड़क की न्यूनतम चौड़ाई— 18 मी.।

- भवन की अधिकतम ऊँचाई – 15 मी।
- अधिकतम देय भू-आच्छादन— सैटबैक क्षेत्र के अन्दर।

वेयर हाउसिंग / गोदाम हेतु भूखण्ड योजना का भाग होने पर योजना के प्रावधान (यथा भूखण्ड का क्षेत्रफल, सड़क की चौड़ाई एवं अन्य मापदण्ड) लागू होंगे अन्यथा उपरोक्त वर्णित मापदण्डों के अतिरिक्त मापदण्ड तालिका-1 के अनुसार एवं इन विनियमों के अनुसार देय होंगे।

## 10. गैस गोदाम (Gas Godown) :-

तालिका-04  
गैस गोदाम हेतु पैरामीटर

क्र. सं.	गैस भण्डारण क्षमता	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	सैटबैक (चारों ओर)
1.	800 किलो तक	500	3 मीटर
2.	800 से अधिक 2000 तक	1000	3 मीटर
3.	2000 से अधिक 3000 तक	1000	4 मीटर
4.	3000 से अधिक 4000 तक	1000	5 मीटर
5.	4000 से अधिक 6000 तक	1000	6 मीटर
6.	6000 से अधिक 8000 तक	1000	7 मीटर
7.	8000 से अधिक 10,000 तक	1000	8 मीटर
8.	10,000 से अधिक 12,000 तक	1200	9 मीटर
9.	12,000 से अधिक 15,000 तक	1500	12 मीटर
10.	15,000 से अधिक 20,000 तक	2000	15 मीटर
11.	20,000 से अधिक तक	2500	15 मीटर

- (i) अग्र सेटबैक तालिका-05 के अनुसार अथवा उपरोक्त तालिका अनुसार जो भी अधिक हो देय होंगे।
- (ii) स्टोरेज गोदाम के निर्मित क्षेत्र की लम्बाई गोदाम की चौड़ाई के 1.5 गुण से अधिक ना हों एवं प्रत्येक 1000 किलो भण्डारण क्षमता पर 10 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित किया जा सकता है।
- (iii) स्टोरेज गोदाम में प्रस्तावित/स्वीकृत अग्र सेटबैक के अतिरिक्त मुख्य सड़क से लगती हुए 9 मीटर गहराई की भू-पट्टी लोडिंग व अनलोडिंग क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की जानी होगी।
- (iv) गैस गोदाम हेतु निर्मित स्टोरेज के निकट न्यूनतम 100 मीटर की परिधि में पेट्रोल पम्प एवं प्रस्तावित भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन/पावर ट्रांसमिशन लाईन/टेलीफोन लाईन नहीं गुजर रही हो।
- (v)

## **11. धर्म कांटा (Weigh-Bridge) :—**

- (i) भूखण्ड की न्यूनतम क्षेत्रफल 525 वर्ग मीटर (नाप 25 मीटर सड़क के साथ एवं 21 मीटर गहराई) रहेगी जिसमें पृष्ठ व पाश्व सैटबैक 3 मीटर छोड़कर 4 मीटर  $\times$  5 मीटर का कमरा देय होगा।
- (ii) धर्म कांटा हेतु सड़क की चौड़ाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर अनिवार्य हैं।

## **4.5 पर्यटन इंकार्झ भवन (Tourism Unit Building) :—**

### **1. सामान्य नियम (General Rules) :—**

- (i) होटल, रिजोर्ट, मोटल आदि परियोजना का राज्य सरकार की पर्यटन नीति में पंजीयन होने पर ही नियमानुसार छूट/आवश्यक लाभ आदि देय होगे।
- (ii) पर्यटन इंकार्झों यथा होटल, रिजोर्ट, मोटल आदि के भूखण्ड पर कुल प्रस्तावित बी.ए.आर. का अधिकतम 10 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग हेतु उस भूखण्ड में अनुज्ञेय किया जा सकेगा। प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग के निर्मित गणना योग्य क्षेत्रफल पर नियमानुसार भू-उपयोग शुल्क देय होगा। वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु नियमानुसार पार्किंग का प्रावधान रखा जाना आवश्यक होगा।
- (iii) पर्यटन व्यवसाय में निवेश को आकर्षित करने एवं असंगठित क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता की संभावनाओं के दृष्टिगत न्यूनतम क्षेत्रफल में शिथिलता राज्य सरकार द्वारा दी जा सकेगी।

### **2. होटल (Hotel) :—**

- (i) होटल व्यावसायिक/मिश्रित/होटल प्रयोजनार्थ जारी लीजडीड पर अनुज्ञेय होगा।
- (ii) होटल निर्माण हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 व.मी. होगा।
- (iii) सड़क की चौड़ाई बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मी. व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 12 मीटर होने पर ही अनुज्ञेय होगा।
- (iv) राज्य सरकार की पर्यटन नीति के तहत पंजीकृत होटल हेतु प्रस्तावित भवनों में मानक बी.ए.आर. 4.00 देय होगा तथा अन्य तकनीकी मानदण्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊँचाई आदि तालिका-1 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।

### **3. रिसोर्ट (Resort) :—**

- (i) रिसोर्ट के एकल भूखण्ड के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर होना आवश्यक है।
- (ii) रिसोर्ट हेतु न्यूनतम पहुंच मार्ग 18 मी. होना आवश्यक होगा।
- (iii) रिसोर्ट हेतु तकनीकी मानदण्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊँचाई आदि तालिका-1 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।

- (iv) रिसोर्ट के भूखण्ड पर मानक बी.ए.आर. 0.75 देय होगा। भवन की अनुज्ञेय ऊँचाई के अन्तर्गत मानक बी.ए.आर. से अधिक बी.ए.आर. प्रस्तावित किये जाने पर नियमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।
- (v) रिसोर्ट में यदि कमरों/कोटेजेस्/विला का बेचान किया जाना प्रस्तावित हो तो न्यूनतम 25 प्रतिशत विक्रय योग्य क्षेत्र (मय कॉमन फैसिलिटी) का स्वामित्व विकासकर्ता/भू-स्वामी को रखा जाना होगा एवं शेष निर्मित कमरों/कोटेजेस्/विला का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा किया जा सकेगा।
- (vi) क्रेता द्वारा क्रय किये गये कमरों/कोटेजेस्/विला की संरचना में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जावेगा।
- (vii) विकासकर्ता द्वारा कमरों/कोटेजेस्/विला का बेचान इसी शर्त पर किया जावेगा कि रिसोर्ट स्कीम में समस्त विकास/निर्माण कार्य एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता/भू-स्वामी की होगी।
- (viii) रिसोर्ट में कमरों/कोटेजेस्/विला आदि का बेचान हेतु प्रचार-प्रसार एवं बेचान करने से पूर्व राजस्थान, रेसा में योजना का पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।

#### **4. मोटल (Motel) :-**

- (i) मोटल हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर होगा।
- (ii) मोटल बड़े शहरों में 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में 12 मीटर से कम प्रस्तावित सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे एवं सभी शहरों/कस्बों में रिसोर्ट हेतु न्यूनतम पहुंच मार्ग 12 मी. होना आवश्यक होगा।
- (iii) मोटल के भूखण्ड पर कुल प्रस्तावित बी.ए.आर. का अधिकतम 10 प्रतिशत क्षेत्र मोटर रिपेयरिंग वर्कशॉप हेतु आरक्षित किया जा सकेगा।
- (iv) अन्य तकनीकी मानदण्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊँचाई आदि तालिका-1 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।
- (v) मोटल के भूखण्ड पर मानक बी.ए.आर. 0.75 देय होगा। भवन की अनुज्ञेय ऊँचाई के अन्तर्गत मानक बी.ए.आर. से अधिक बी.ए.आर. प्रस्तावित किये जाने पर नियमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।

#### **5. गेस्ट हाउस (Guest House) :-**

- (i) गेस्ट हाउस व्यावसायिक/होटल/गेस्ट हाउस प्रयोजनार्थ जारी लीजडीड पर अनुज्ञेय होगा।
- (ii) गेस्ट हाउस हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होगा।
- (iii) गेस्ट हाउस बड़े शहरों में 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में 12 मीटर से कम प्रस्तावित सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे।

(iv) अन्य तकनीकी मानदण्ड यथा सैटबैक, बी.ए.आर., भू—आच्छादन, ऊँचाई आदि तालिका—1 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।

#### 4.6 संस्थागत भवन (Institutional Building) :-

##### 1. सामान्य नियम (General Rules) :-

- (i) संस्थागत भूखण्ड किसी स्वीकृत योजना का हिस्सा होने पर योजना के प्रावधान/पैरामीटर्स लागू होंगे व सड़क की चौड़ाई योजना अनुसार ही रखी जावेगी अन्यथा तालिका—01 के अनुसार रखे जाने होंगे।
- (ii) संस्थागत उपयोग के भवनों यथा मेडिकल कॉलेज/मेडिकल हेतु प्रशिक्षण संस्थान/ हॉस्पिटल/डिस्पैसरी व अन्य चिकित्सा संबंधी संस्थाओं हेतु मानक बी.ए.आर. 3.0 अनुज्ञेय होगा।
- (iii) शैक्षणिक संस्थाओं यथा स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय आदि में संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों की सुनिश्चितता की जानी होगी।
- (iv) 2 हैक्टेयर से बड़े शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय हेतु कैम्पस प्लानिंग होने पर मूल संस्थानिक उपयोग के साथ—साथ सहायक सुविधाएँ यथा हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर केन्टीन, लघु दुकाने, बैंक, एटीम आदि अनुज्ञेय होंगे। मूल उपयोग हेतु प्रस्तावित बी.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत हॉस्टल/स्टाफ क्वार्टर हेतु एवं अधिकतम 05 प्रतिशत वाणिज्यिक सुविधाओं हेतु रखा जाना होगा।
- (v) संस्थागत बहुमंजिले भवन 1000 व. मी. अथवा उससे अधिक बड़े भूखण्डों पर तथा सड़क की चौड़ाई सभी श्रेणी के शहरों में न्यूनतम 18 मीटर पर ही देय होंगे।

##### 2. कोचिंग सेन्टर (Coaching Centre) :-

- (i) जहां 100 से अधिक विद्यार्थी एक समय में उपस्थित होते हों में इन भवन विनियमों के अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ भवनों के मापदण्ड लागू होंगे।
- (ii) निम्न मानदण्ड ऐसे कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे जिनमें 10 से अधिक परन्तु 100 तक विद्यार्थी एक समय में उपस्थित होते हो।
- (iii) सड़क मार्गाधिकार —बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 12 मीटर।
- (iv) भूखण्ड का क्षेत्रफल — न्यूनतम 300 वर्गमीटर तथा प्रत्येक अभ्यर्थी (एक पारी के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर) हेतु न्यूनतम 4 वर्गमीटर गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल होना आवश्यक है।
- (v) पार्किंग हेतु प्रावधान विनियम संख्या 12.1 के अनुसार रखने होंगे।
- (vi) भूखण्ड में छात्र/छात्राओं हेतु पृथक—पृथक सुविधाओं यथा टॉयलेट व पेयजल आदि का प्रावधान प्रचलित नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार किया जाना होगा।

#### 4.7 मिश्रित उपयोग (Mixed Use) :-

- (i) मिश्रित उपयोग हेतु जारी लीजडीड के भूखण्ड पर एक व एक से अधिक उपयोग यथा वाणिज्यिक/पर्यटन इकाई/आवासीय/संस्थागत आदि सम्मिलित रूप से अनुज्ञेय होंगे, जिसमें व्यावसायिक उपयोग अधिकतम 50 प्रतिशत ही अनुज्ञेय होगा।
- (ii) यदि मिश्रित उपयोग के पट्टे पर आवासीय व वाणिज्यिक अनुपात अंकित है तो उस अनुपात में भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी।
- (iii) मानक गणना योग्य निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर बेटरमेंट लेवी वास्तविक प्रस्तावित उपयोग के अनुसार ही देय होंगी अर्थात् वणिज्यिक उपयोग के ऊपर की मंजिलों पर आवासीय उपयोग का निर्माण प्रस्तावित होने पर बेटरमेंट लेवी आवासीय उपयोग की दर से ली जावेगी। भवन निर्माण स्वीकृति व अन्य समस्त देय शुल्क भी भवन में प्रस्तावित उपयोग के अनुसार ही देय होंगे।
- (iv) पार्किंग हेतु प्रावधान संबंधित प्रस्तावित उपयोगों के अनुसार प्रस्तावित करने होंगे।
- (v) आवासीय उपयोग के अनुपात में भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात की गणना कर तदानुसार ग्रीन एरिया, सामुदायिक सुविधायें एवं खुदरा दुकानों का प्रावधान भी रखना अनिवार्य होगा जो कि भूखण्ड का अनुपातिक साईज 5000 वर्गमीटर से कम होने पर फ्लैट्स के प्रावधानुसार व इससे बड़े अनुपातिक साईज पर ग्रुप हाउसिंग के प्रावधानों अनुसार रखने होंगे अर्थात् कुल प्रस्तावित गणना योग्य निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत गणना योग्य निर्मित क्षेत्र आवासीय उपयोग के प्रस्तावित होने पर भूखण्ड क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत क्षेत्रफल को आवासीय फ्लैट्स/ग्रुप हाउसिंग का भूखण्ड मानते हुए तदानुसार आवश्यक ग्रीन एरिया रखना होगा।
- (vi) आवासीय उपयोग के लिए प्रवेश की व्यवस्था यथा संभव अन्य उपयोगों से पृथक् करनी होगी तथा मिश्रित उपयोगों का नियोजन एवं अभिकल्पन इस प्रकार किया जायेगा जिससे इन गतिविधियों से आवासीय इकाईयों के निवासी प्रभावित न हो। इसी प्रकार आवासीय उपयोग की पार्किंग के लिए अन्य उपयोगों/पब्लिक पार्किंग से पृथक् व्यवस्था करनी होगी, जिसे अनुमोदित मानचित्र पर भी दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

#### **4.8 औद्योगिक भवन (Industrial Building) :-**

- (i) एस-4, एस-5 व एस-6 क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक योजनाओं में औद्योगिक भवनों के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु “रीको” (RIICO) के प्रचलित नियमों/भवन विनियमों आदि के अनुसार स्वीकृति दी जा सकेगी।
- (ii) उक्त क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक के एकल भूखण्डों पर इन विनियमों के अनुसार सैटबैक रखे जाने होंगे एवं अन्य मापदण्ड ‘रीको’ (RIICO) के प्रचलित नियमों/भवन विनियमों आदि के अनुसार निर्धारित कर स्वीकृति दी जा सकेगी।
- (iii) उक्त क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक भवनों की भवन निर्माण स्वीकृति विनियम-11 में वर्णित सक्षम अधिकारी अधिकृत होंगे।

#### **4.9 आमोद—प्रमोद (Recreational) :-**

##### **1. एम्यूजमेन्ट पार्क (Amusement Park) :-**

- (i) भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होगा व सड़क की न्यूनतम चौड़ाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर होगी।
- (ii) खुले क्षेत्र में लगाये जाने वाले मनोरंजन के उपकरण/झूले, ऊंचाई तथा आच्छादन में शामिल नहीं किये जायेंगे। प्रत्येक 50 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम दो वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
- (iii) पार्किंग का प्रावधान तालिका—16 के अनुसार देय होंगे।

##### **2. स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स (Sports Complex) :-**

- (i) भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 व.मी. होना आवश्यक है।
- (ii) सड़क की न्यूनतम चौड़ाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर होगी।
- (iii) पार्किंग का प्रावधान तालिका—16 के अनुसार देय होंगे।

#### **4.10 विशेष प्रकृति के भवन (Special Category Building/Iconic Building) :-**

विशेष प्रकृति के ऐसे भवन जिनमें आर्किटेक्चरल अथवा भवन के महत्व के दृष्टिगत रखते हुए अथवा ऐसे भवन जो कि आवासीय/पर्यटन इकाई/वाणिज्यिक/संस्थागत/औद्योगिक भवन की प्रकृति में नहीं आते हैं एवं यहां मानदण्ड निर्धारित नहीं है, तो ऐसे भवनों में भवन निर्माण के विशिष्ट मापदण्ड भवन विनियम हेतु गठित कमेटी की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जा सकेंगे।

#### **4.11 सैटबैक (Set back) :-**

- (i) सैटबैक का निर्धारण भूखण्ड की सीमा से होगा।
- (ii) एस—4 एवं एस—5 क्षेत्र में भूखण्ड योजना का भाग होने पर भूखण्ड के न्यूनतम सैटबैक योजना अनुसार अथवा एकल भूखण्ड होने पर एकल साईट प्लान अनुसार ही देय होंगे एवं तदानुसार ही भवन निर्माण के स्वीकृति दी जावेगी।
- (iii) एस—6 क्षेत्र अर्थात् नवीन प्रस्तावित योजनाओं/एकल भूखण्डों में जिन भूखण्डों में एक से अधिक सड़क लगती हो, ऐसे भूखण्डों पर सामान्य तौर पर मुख्य सड़क अर्थात् भूखण्ड के सामने स्थित सबसे चौड़ी सड़क की ओर के सैटबैक को अग्र सैटबैक माना जावेगा। अन्य सड़कों की ओर के सैटबैक को पार्श्व सैटबैक माना जावेगा जिसका निधारण तालिका—05 के अनुसार होगा एवं योजना में उस भूखण्ड की लाइन में निर्धारित सैटबैक से कम नहीं होगा। भूखण्ड पर एक से अधिक मुख्य सड़क (समान चौड़ाई) स्थित होने पर उन सभी सड़कों की

ओर अग्र सैटबैक ही माना जायेगा। जिस ओर सड़क स्थित ना हो, उस ओर के पार्श्व एवं पृष्ठ सैटबैक तालिका-1 के अनुसार निर्धारित किये जावेंगे।

### तालिका-05 सैटबैक निर्धारण

(सड़कों की चौड़ाई के अनुरूप अग्र सैटबैक का निर्धारण)	
सड़क की चौड़ाई	न्यूनतम अग्र सैटबैक
18 मीटर से कम	3.0 मीटर
18 मी. से 24 मी.तक	4.5 मीटर
24 मी. से अधिक तथा 30 मी. तक	6.0 मीटर
30 मी.से अधिक	9.0 मीटर

- (iv) मूल भूखण्ड पर बहुमंजिला भवनों (15 मी. से अधिक ऊँचाई) में अग्र, पार्श्व एवं पृष्ठ सैटबैक तालिका-01 एवं तालिका-05 अथवा न्यूनतम 6.0 मी. अथवा भवन ऊँचाई का 1/4 जो भी अधिक हो रखा जाना अनिवार्य होगा।
- (v) पूर्णगठित भूखण्डों पर बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने पर विनियम 5.3 के अनुसार न्यूनतम सैटबैक एवं अन्य मापदण्ड रखे जाने होंगे।
- (vi) किसी भूखण्ड में बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने पर भिन्न-भिन्न ऊँचाई के बिल्डिंग ब्लॉक प्रस्तावित होने की स्थिति में अग्र, पार्श्व एवं पृष्ठ सैटबैक निकटतम बिल्डिंग ब्लॉक की भूखण्ड की चारदीवारी से न्यूनतम दूरी उस बिल्डिंग ब्लॉक की ऊँचाई का 1/4 रखा जाना होगा जो कि भूखण्ड के निर्धारित न्यूनतम सैटबैक से कम नहीं होंगे।
- (vii) यदि भूखण्ड का आकार इस प्रकार है जिससे भूखण्ड की बाउण्ड्री से अग्र सैटबैक की लाइन निर्धारित करने में समीपस्थ भूखण्डों के लिए निर्धारित अग्र सैटबैक लाईन से समरूपता नहीं बनती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसा किये गये अग्र सैटबैक आसपास के भवनों के अग्र सैटबैक को देखते हुए अलग से निर्धारित किया जा सकेगा।
- (viii) पूर्व में आवंटित/पट्टे शुद्धा भूमि में से अग्र सैटबैक भूमि समर्पण के पश्चात् समर्पित भूमि की चौड़ाई के बराबर कम माना जायेगा ताकि भवन रेखा पूर्वानुसार अर्थात् यथावत रहे।
- (ix) अग्र, पार्श्व व पृष्ठ सैटबैक में यदि कोई आर्किटेक्चरल एलीमेंट, जिसका उपयोग केवल भवन की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया गया हो, बनाया जा सकता है। इस प्रकार के एलीमेंट को किसी भी उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा एवं ऐसा एलीमेंट सैटबैक दूरी का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। परन्तु अग्निशमन

वाहन के आवागमन के लिए 6.0 मीटर के गलियारे के ऊपर किसी भी प्रकार का आर्किटेक्चरल एलीमेंट अनुज्ञेय नहीं होगा।

- (x) तालिका-06 में उल्लेखित संरचनायें (एट्रियम को छोड़कर) सैटबैक में अनुज्ञेय होगी। बशर्ते अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु न्यूनतम 6.0 मीटर स्पष्ट रास्ता भूतल पर उपलब्ध हो।
- (xi) 750 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों अग्र सैटबैक में भूमिगत (Underground) संरचनाएँ यथा पानी का टैंक, पम्प रूम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि भूखण्ड सीमा से मूल सैटबैक अथवा 6 मीटर जो भी कम हो छोड़ने के पश्चात् ही देय होंगे।
- (xii) बैसमेंट / पार्किंग फ्लोर में वाहनों के आवागमन हेतु रेम्प प्रस्तावित होने पर रेम्प का प्रवेश / निकास सड़क सीमा से 6 मी. छोड़कर ही देय होगा।
- (xiii) उप विभाजित भूखण्डों में मूल भूखण्ड के सैटबैक यथावत रहेंगे एवं शेष सैटबैक तालिका-1 के अनुसार रखे जावेगे। उप विभाजित भूखण्डों में ऊँचाई, बी.ए.आर, आच्छादित क्षेत्र मूल भूखण्डों में अनुज्ञेय प्रावधानों के अनुसार अथवा इन विनियम के प्रावधानानुसार, जो भी कम हो देय होंगे।
- (xiv) दो या दो से अधिक भूखण्डों का पुर्नगठन प्रस्तावित होने पर पुर्नगठित भूखण्ड में सैटबैक व अन्य मापदण्ड पुर्नगठित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर इन विनियमों के अनुसार होंगे।
- (xv) गैर योजना क्षेत्र होने अथवा मूल भूखण्ड में सैटबैक / अन्य भवन मानदण्ड निर्धारित नहीं होने की स्थिति में सैटबैक एवं अन्य भवन मानदण्ड इन विनियम के अनुसार अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये जा सकेंगे।
- (xvi) मास्टर प्लान / जोनल ड्वलपमेन्ट प्लान अनुसार प्रमुख सड़कों के दोनों ओर प्रस्तावित ग्रीन बफर (प्लान्टेशन कॉरिडोर) को भूखण्ड का अग्र सैटबैक माना जावेगा जिसमें निम्न गतिविधियां अनुज्ञेय की जा सकेगी :-
  - राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / बाईपास आदि प्रमुख सड़कों के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर चौड़े ग्रीन बफर का अधिकतम 30 प्रतिशत भाग अप्रोच रोड, सर्विस रोड, पार्किंग, ट्रांसफार्मर, गार्ड रूम, भवन का प्रोजेक्शन, पोर्च हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा लेकिन इसमें कोई अन्डर ग्राउण्ड संरचना या अन्य पक्का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
  - राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / बाईपास आदि प्रमुख सड़कों के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर बफर जोन में हाईवे पर वाहनों की सुविधा हेतु उपयोग / गतिविधि यथा – पेट्रोल पम्प (अधिकतम 35 मी. x 30 मी.), वे-ब्रिज, ऑटोमोबाईल वर्कशॉप आदि अनुज्ञेय किये जा सकेंगे तथापि ऐसे भूखण्डों पर निर्माण सड़क के मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ने के पश्चात् ही किये जा सकेंगे एवं इस 10 मी. बफर में न्यूनतम 6.0 मी. भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।

#### 4.12 भू—आच्छादन (Ground Coverage) :—

- (i) किसी भी प्रकार के भवन हेतु देय आच्छादन तालिका—1 के अनुरूप अथवा जहां सक्षम अधिकारी तय करने के लिए अधिकृत है वहां सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार देय होगा ।
- (ii) आच्छादित क्षेत्र की गणना में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जावेगा :—

**तालिका—06**

1	ऊपर से खुला	चबुतरा/प्लेटफार्म एवं इनके समरूप संरचना, उद्यान, रॉकरी, कुआ और कुएं की संरचना, खुला वाटरपूल/स्थिमिंग पूल/ फव्वारा एवं उनकी संरचनाएँ जो कि सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधिक ऊंचाई की नहीं हो, बैंच, स्लाईड, स्विंग, दूर—संचार टावर ।
2	अस्थाई रूप से कवर्ड	अस्थाई स्काई लाईट/ ट्रस/ डोम से कवर्ड एट्रियम (Atrium) ।
3	संरचनाएँ	प्रवेश एवं निकास द्वार पर गेट, कम्पाउण्ड वाल, बिना मंजिल पोर्च या पोर्टिको, फायरस्केप स्टेयर केस, फायर टावर, फायर लिफ्ट, कार लिफ्ट।
4	सैटबेक क्षेत्र/ खुले क्षेत्र में प्रस्तावित की गई सर्विसेज हेतु कवर्ड संरचनाएँ	ट्रान्सफार्मर रूम, जनरेटर रूम, इलेक्ट्रिक पैनल रूम, स्विच रूम, पी.बी.एक्स व वातानुकूलन उपकरण रूम, गैस बैंक/City Gas Distribution Station/ District Regulating Station/Matering and Regulating Station इत्यादि ।
5	सैटबेक क्षेत्र/ खुले क्षेत्र में प्रस्तावित की गई भूमिगत (Underground) संरचनाएँ	पानी का टैंक, पम्प रूम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज, कल्वर्ट, कन्ड्यूट, कैच, चेम्बर आदि ।
6	प्रोजेक्शन	विनियम 6.10 एवं 6.11 में वर्णित बालकनी, प्रोजेक्टेड कमरे, प्रोजेक्शनस् ।
7	रेम्प	बैसमेंट में जाने के लिए वाहन रैम्प, भूतल तक रैम्प (खुला), हॉस्पिटल में उपरी मंजिलों पर मरिजों को ले जाने हेतु रेम्प, निःशक्त व्यक्तियों के लिए छीलचैयर रैम्प (खुला) ।

8	निम्न क्षेत्रफल के भूखण्डों में प्रवेश/निकास द्वारों पर निम्नानुसार चौकीदार के कमरे देय होंगे:-	
	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)	चौकीदार का कमरा
	500 से अधिक व 750 वर्गमीटर से कम	6.25 वर्गमीटर
	750 व इससे अधिक व 5000 वर्गमीटर से कम	10.00 वर्गमीटर
	5000 वर्गमीटर से अधिक	20.00 वर्गमीटर

#### 4.13 (बी.ए.आर) / **Builup Area Ratio (BAR)** :-

(i) भूखण्ड पर भवन के उपयोग के आधार पर निम्नानुसार बी.ए.आर. देय होगा:-

**तालिका-07**

क्र.सं.	भवन का उपयोग	मानक बी.ए.आर.	अधिकतम बी.ए.आर.
1	राज्य सरकार की पर्यटन नीति के तहत पंजीकृत होटल	4.00	भवन की अधिकतम देय ऊँचाई के अन्दर जो भी प्राप्त हो।
2	मेडिकल कॉलेज/मेडिकल हेटु प्रशिक्षण संस्थान/हॉस्पिटल/डिस्पेंसरी व अन्य चिकित्सा संबंधी संस्थाओं	3.00	
3	रिसोर्ट एवं मोटल	0.75	
4	स्पॉट्स कॉम्प्लेक्स	0.40	
5	एम्बूजमेन्ट पार्क	जो भी प्राप्त हो	
6	फार्म हाउस/पर्यावरण मैत्री आवास	जो भी प्राप्त हो	
7	अन्य उपयोग	2.00	
8	रिटेल फ्यूल फिलिंग स्टेशन/इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन	0.25	

- (ii) पूर्व के भवन विनियमों के तहत निर्धारित मानक/अधिकतम एफ.ए.आर. उस समय के भवन विनियम में देय एफ.ए.आर. के 1.50 गुणा को मानक/अधिकतम बी.ए.आर में परिवर्तित माना जावेगा।
- (iii) पूर्व में यदि किसी भूखण्ड के स्थल मानचित्र में एफ.ए.आर./बी.ए.आर. उल्लेखित नहीं है तो मानक बी.ए.आर. एवं अधिकतम बी.ए.आर. इन विनियमों के अनुसार देय होगा।
- (iv) नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर मानक एफ.ए.आर./बी.ए.आर. एवं अधिकतम एफ.ए.आर./बी.ए.आर. नीलामी की शर्तों के अनुसार ही देय होंगे।
- (v) मानक बी.ए.आर से अतिरिक्त प्रस्तावित बी.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी की राशि लेय होगी।

- (vi) यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर का उपयोग करना प्रस्तावित हो तो 75 प्रतिशत टी.डी.आर. में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत टी.डी.आर. की एवज में बेटरमेन्ट लेवी की राशि लेय होगी।
- (vii) यदि सड़क की चौड़ाई बढ़ाने हेतु अथवा मास्टर प्लान/जोनल ड्वलपमेंट प्लान/सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क हेतु किसी पट्टे शुदा भूखण्ड की भूमि निशुल्क समर्पित कराई जाती है तो समर्पित करवायी जाने वाली भू-पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर बी.ए.आर. क्षेत्रफल उस शेष भूखण्ड पर अनुज्ञेय मानक बी.ए.आर. क्षेत्रफल के अतिरिक्त बिना बेटरमेंट लेवी देय होगा। यदि उक्त अतिरिक्त बी.ए.आर. का उपयोग भूखण्ड पर नहीं होता है तो इस अतिरिक्त बी.ए.आर. का उपयोग टीडीआर के प्रावधानों के अनुरूप भी किया जा सकेगा।
- (viii) गणना योग्य निर्मित क्षेत्र –किसी भूखण्ड पर प्रस्तावित सभी मंजिलों के कुल सकल निर्मित क्षेत्र में से निम्न वर्णित निर्माण क्षेत्र को छूट देकर प्राप्त निर्मित क्षेत्र इन विनियमों के अंतर्गत गणना योग्य निर्मित क्षेत्र होंगा :–

#### तालिका—08

1	चबूतरा/प्लेटफार्म एवं इनके समरूप संरचना, उद्यान, रॉकरी, कुआ और कुएं की संरचना, खुला वाटरपूल/स्विमिंग पूल/ फव्वारा एवं उनकी संरचनाएँ जो कि सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधिक ऊँचाई की नहीं हो, बैंच, स्लाईड, स्विंग, दूर-संचार टावर।
2	बेसमेन्ट, स्टिल्ट व किसी भी तल का वह भाग जो पार्किंग के लिए प्रस्तावित किया गया हो (पार्किंग फ्लोर/एरिया), पार्किंग क्षेत्र में वाहनों के जाने हेतु रैम्प, कार लिफ्ट।
3	प्रवेश एवं निकास द्वार पर गेट, गार्ड रूम, कम्पाउण्ड वाल, बिना मंजिल पोर्च या पोर्टिको।
4	सैटबेक क्षेत्र/खुले क्षेत्र में प्रस्तावित की गई सर्विसेज हेतु कवर्ड संरचनाएँ एवं भूमिगत (Underground) संरचनाएँ।
5	नियमानुसार छज्जा, सौन्दर्य वृद्धि (Architectural elements) हेतु निर्मित संरचनाएँ (डोम, छतरी, प्रक्षेप आदि)।
6	सर्विस फ्लोर, आग से बचाव हेतु खुली सीढ़ी (फायर स्टेयरकेस), लिफ्ट वैल, शॉफ्ट, गार्बेज शुट कवर, फायर टावर, रिफ्यूज एरिया।
7	भवन की छत पर पानी का टेंक और उनकी सहायक संरचनाएँ, लिफ्ट कक्ष एवं मशीन रूम, मस्टी, सौर ऊर्जा/वातानुकूलन संयंत्र, अन्य मशीनरी व संयंत्र आदि।

#### 4.14 ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन :–

- (i) ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किये जाने पर मानक बी.ए.आर. (BAR) के अतिरिक्त निम्नानुसार बी.ए.आर. (BAR) निःशुल्क (बिना बेटरमेंट लेवी) देय होगा:-

**तालिका-09**

क्र.सं.	निम्न श्रेणी अथवा समतुल्य श्रेणी	अतिरिक्त मानक बी.ए.आर.
1	प्लेटिनम रेटेड	0.30 बी.ए.आर.
2	गोल्ड रेटेड	0.20 बी.ए.आर.
3	सिल्वर रेटेड	0.10 बी.ए.आर.

- (ii) उपरोक्तानुसार ग्रीन बिल्डिंग हेतु निःशुल्क BAR से अधिक BAR प्रस्तावित होने पर नियमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।
- (iii) ग्रीन बिल्डिंग हेतु प्रस्तावित भवन को LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM GEM द्वारा प्लेटिनम/गोल्ड/सिल्वर अथवा समतुल्य श्रेणी हेतु प्रमाणित किये जाने/रेटिंग दिये जाने पर ही अतिरिक्त मानक बी.ए.आर. निःशुल्क अनुज्ञेय होगा।
- (iv) ग्रीन बिल्डिंग हेतु भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने के समय आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे की उनके द्वारा ग्रीन बिल्डिंग की जिस भी श्रेणी के लिये आवेदन किया गया है, उसी के अनुसार भवन का निर्माण पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय उस श्रेणी यथा प्लेटिनम/गोल्ड/सिल्वर अथवा समतुल्य श्रेणी हेतु उपरोक्त वर्णित संस्था द्वारा जारी सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर दिया जावेगा।
- (v) प्रस्तावित भवन का निर्माण पूर्ण होने पर आवेदक द्वारा तदानुसार ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट स्थानीय निकाय में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय प्रस्तुत किया जाना होगा अन्यथा निःशुल्क बी.ए.आर हेतु दी गई छूट की राशि ब्याज सहित जमा करवाई जानी होगी।
- (vi) 2500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवनों में न्यूनतम सिल्वर रेटिंग सर्टिफिटेक किसी भी उपरोक्त वर्णित संस्था से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

#### 4.15 ऊँचाई (Height) :-

- (i) भवन की ऊँचाई का निर्धारण सामने की सड़क के तल (Road Level) से समस्त मंजिलों की ऊँचाई को सम्मिलित करते हुए भवन की अंतिम छत (टेरेस) तक किया जायेगा। भवन की अधिकतम देय ऊँचाई में प्लिन्थ, स्टिल्ट, पार्किंग, सर्विस फ्लोर की ऊँचाई सम्मिलित होगी।
- (ii) भवनों की ऊँचाई का निर्धारण भूखण्ड के सामने की सड़क के उच्चतम स्तर अथवा जहाँ ये सम्भव ना हो वहाँ आसपास के औसत भूमितल के आधार पर किया जायेगा।
- (iii) जिन भूखण्डों में एक से अधिक सड़क लगती हो उनके लिए देय ऊँचाई एवं अन्य प्रावधान भूखण्ड के सामाने सबसे चौड़ी सड़क के आधार पर देय होंगे।

- (iv) मौके पर न्यूनतम 12 मी. चौड़ी सड़क उपलब्ध होने पर ही मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क के आधार पर भवन की ऊँचाई देय होगी।
- (v) पूर्व में स्वीकृत टाइप डिजाइन में जहाँ ऊँचाई का उल्लेख है, उनमें टाईप डिजाइन में निर्धारित ऊँचाई से अतिरिक्त ऊँचाई देय नहीं होगी।
- (vi) नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर नीलामी की शर्तों के अनुसार ही अधिकतम ऊँचाई देय होगी।
- (vii) एस-6 क्षेत्रों में भवन की अधिकतम ऊँचाई इन विनियम की तालिका-1 के अनुसार देय होगी।
- (viii) विशिष्ट क्षेत्रों एवं विशिष्ट सड़कों पर निर्धारित ऊँचाई से अतिरिक्त ऊँचाई देय नहीं होगी।
- (ix) निम्नलिखित संरचनाएँ भवन की अधिकतम देय ऊँचाई में सम्मिलित नहीं की जायेंगी

**तालिका-10**

क्र.सं.	भवन की छत/टेरेस पर निर्मित संरचनाएँ	अधिकतम ऊँचाई
1	सीढ़ी कक्ष की गुमटी	3.00 मीटर
2	छत पर पानी का टेंक और उनकी सहायक संरचनाएँ	3.00 मीटर
3	यदि पानी का टेंक सीढ़ी कक्ष की गुमटी पर बनाया जाता है तो (गुमटी को शामिल करते हुये)	5.00 मीटर
4	लिफ्ट कक्ष/मशीन रूम	7.75 मीटर
5	सौर ऊर्जा संयंत्र, संवातन, वातानुकूलन एवं अन्य सर्विस उपकरण/मशीनरी, एंटीना	4.50 मीटर
6	सौन्दर्य वृद्धि (Architectural elements) हेतु निर्मित संरचनाएँ (डोम, छतरी आदि)	4.50 मीटर
7	चिमनी और पैरापेट वाल (मुंडेर)	2.40 मीटर

- (x) जिन शहरों में एयरपोर्ट स्थित हैं उनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कलर कोडेड जोनिंग मैप (CCZM)/NOCAS में अनुमत ऊँचाई तक भवन की ऊँचाई प्रस्तावित करने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एयरपोर्ट एनओसी) की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त अनुमत ऊँचाई से अतिरिक्त ऊँचाई प्रस्तावित किये जाने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एयरपोर्ट एनओसी) प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

जिन शहरों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कलर कोडेड जोनिंग मैप (CCZM)/NOCAS जारी नहीं किया गया है उनमें एयरपोर्ट की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी तक के क्षेत्र में समस्त ऊँचाई के भवन एवं 2 कि.मी. से 20 कि.मी. के क्षेत्र में 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का भवन प्रस्तावित किये जाने पर भारतीय विमानपत्तन

प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एयरपोर्ट एनओसी) प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

भवन की कुल ऊँचाई (भवन की ऊँचाई + ix पर उल्लेखित संरचनाओं की ऊँचाई) CCZM/NOCAS/एयरपोर्ट एनओसी में अनुमत ऊँचाई से अधिक अनुज्ञेय नहीं होगी।

(xi) **हाईटेन्शन लाईन** के समीप स्थित भूखण्डों पर निम्नानुसार सड़क की चौड़ाई मानते हुए ऊँचाई अनुज्ञेय की जा सकती :—

हाईटेन्शन लाईन के सेफटी कॉरिडोर के दोनों ओर की सड़क की चौड़ाई (न्यूनतम 9 मी) को सम्मिलित करते हुए सड़क मार्गाधिकार के आधार पर भवनों की ऊँचाई एवं अन्य मापदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे।

**उदाहरण:**— 132 के.वी. हाईटेन्शन लाईन के 13.8 मी. सेफटी कॉरिडोर के पश्चात् यदि दोनों ओर 9—9 मी. सड़क स्थित है तो सामने की सड़क की चौड़ाई 18 मीटर मानते हुए भवन की ऊँचाई तदानुसार देय होगी।

(xii) **गैस पाईप लाईन** के समीप स्थित भूखण्डों पर निम्नानुसार ऊँचाई अनुज्ञेय की जा सकती :—

यदि गैस लाईन के सेफटी कॉरिडोर के दोनों ओर सड़क स्थित है (न्यूनतम 9 मी) तो सेफटी कॉरिडोर के दोनों ओर की सड़कों की चौड़ाई को सम्मिलित करते हुए सड़क मार्गाधिकार के आधार पर भवनों की ऊँचाई एवं अन्य मापदण्ड निर्धारित किये जा सकते हैं।

## 5. बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु मापदण्ड

### 5.1 बहुमंजिला भवनों के निर्माण बाबत जोन्स के चिन्हीकरण हेतु दिशा—निर्देश :—

समस्त प्राधिकरण/न्यास/नगरीय निकाय द्वारा संबंधित नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में बहुमंजिला भवनों के निर्माण हेतु निम्न तकनीकी मानदण्डों के आधार पर जोन चिन्हित किये जाएंगे ऐसे क्षेत्रों/योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाएं भी तैयार की जानी होगी।

### 5.2 बहुमंजिला भवन निम्न बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त ही अनुज्ञेय किये जाने होंगे मूल भूखण्ड (बिना पुनर्गठन)/उपविभाजित भूखण्ड

- (i) मूल/उपविभाजित भूखण्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 1500 व.मी. एवं इससे अधिक हो।
- (ii) मूल वाणिज्यिक भूखण्ड जिसमें सामने की सड़क का मार्गाधिकार न्यूनतम 24 मीटर एवं गैर वाणिज्यिक भूखण्ड जिनमें सामने की सड़क का मार्गाधिकार न्यूनतम 18 मीटर एवं इससे अधिक हो।

### 5.3 पुनर्गठित भूखण्ड

- (i) विद्यमान योजनाओं में भूखण्डों के पुनर्गठन पश्चात पुर्नगठित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 व.मी. से अधिक होने पर ही बहुमंजिला भवन अनुज्ञेय होंगे।
- (ii) बहुमंजिला वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु सामने की सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 24 मीटर एवं गैर वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु सामने की सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर होना आवश्यक होगा।
- (iii) ऐसे पुर्नगठित भूखण्ड में निम्नानुसार सैटबैक रखे जाने अनिवार्य होंगे:—

सड़क की ओर का सैटबैक	योजनानुसार/9 मी. अथवा भवन की ऊँचाई का 1/4 जो भी अधिक हो।
अन्य ओर का सैटबैक	12 मी. अथवा भवन की ऊँचाई का 1/4 जो भी अधिक हो।

- (iv) भू-आच्छादन एवं भवन की ऊँचाई – तालिका-01 के अनुसार।
- (v) बेटरमेंट लेवी – विद्यमान योजनाओं में ऐसे पुर्नगठित भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन प्रस्तावित किये जाने पर नियमानुसार देय बेटरमेंट लेवी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त बेटरमेंट लेवी देय होगी, इस राशि का उपयोग संबंधित योजना में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (Upgradation) हेतु ही उपयोग किया जावेगा।
- (vi) पार्किंग— 18 मी. से कम चौड़ी सड़क की ओर से भूखण्ड में सीधे पार्किंग किया जाना अनुज्ञेय नहीं होगा। पार्किंग हेतु शेष प्रावधान विनियम-6.13 के अनुसार रखे जाने होंगे।
- (vii) भूखण्ड के प्रवेश एवं निकास द्वार 18 मी. से कम चौड़ी सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे।
- (viii) राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में स्वतंत्र आवास के भूखण्डों पर पुनर्गठन उपरांत बहुमंजिले भवन राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात ही अनुज्ञेय होंगे।

#### 5.4 बहुमंजिला भवनों के निर्माण हेतु सामान्य नियमः—

- (i) बहुमंजिला भवन ऐसे विशेष क्षेत्रों/योजनाओं में अनुज्ञेय नहीं होगे जहाँ अधिकतम ऊँचाई 15 मी. तक ही निर्धारित की गयी हो।
- (ii) बहुमंजिले भवनों के समस्त मापदण्ड इन विनियमों के अनुसार रखे जाने होंगे एवं शेष प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड (N.B.C.) के अनुसार रखे जाने होंगे।
- (iii) 24 मी. एवं इससे अधिक के समस्त बहुमंजिला भवनों में शरण क्षेत्र (Refuge area) का निम्नानुसार प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा—
- संबंधित तल के सकल निर्मित क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत अथवा 15 वर्गमीटर जो भी अधिक हो।
  - 24 मी. एवं उससे अधिक 39 मी. तक भवन ऊँचाई पर 24 मी. से ऊपर वाली मंजिल (Floor Immediately above 24 Mtr) पर एक शरण क्षेत्र।
  - 39 मी. से अधिक भवन ऊँचाई पर 39 मी. से ऊपर वाली मंजिल (Floor Immediately above 39 Mtr) पर एक शरण क्षेत्र तथा उससे ऊपर ऊँचाई होने पर प्रत्येक 15 मी. ऊँचाई पर एक अतिरिक्त शरण क्षेत्र।
  - यदि एक से अधिक बिल्डिंग ब्लॉक को एक ही शरण क्षेत्र जोड़ता है तो प्रत्येक बिल्डिंग के लिए पृथक—पृथक शरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी तथापि शरण क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल सम्पूर्ण तल के सकल निर्मित क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत रखा जाना अनिवार्य होगा।
  - बहुमंजिला आवासीय भवनों में यदि प्रत्येक आवासीय इकाईयों में टेरेस अथवा बालकनी प्रस्तावित होने पर पृथक से शरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने पर समीपवर्ती दो ब्लॉक्स के बीच की दूरी उन दो ब्लॉक में से ऊँचे ब्लॉक की ऊँचाई का न्यूनतम  $1/4$  होगी। लेकिन यदि बिल्डिंग ब्लॉक्स में कमरों/रसोईघर/शौचालय आदि की खिड़कियां वातायान हेतु प्रस्तावित नहीं होने पर अर्थात Dead wall होने की अवस्था में दो ब्लॉक्स के मध्य उपरोक्तानुसार दूरी रखा जाना आवश्यक नहीं होगा।
- (v) बहुमंजिला भवनों में आग से बचाव हेतु सीढ़ियाँ (Fire Staircase) जो भवन की बाहरी सतह पर हो अथवा तीन ओर से खुली हो (निकटतम दिवार से न्यूनतम 1.0 मी. की दूरी) का प्रावधान किया जाना होगा। आग से बचाव हेतु सीढ़ियाँ हेतु अन्य प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार रखे जाने होंगे। अधिकतम 30 मीटर ऊँचाई के भवनों में प्रत्येक बिल्डिंग ब्लॉक के तल का सकल निर्मित क्षेत्र 500 वर्गमीटर से कम होने पर आग से बचाव हेतु सीढ़ियाँ (Fire Staircase) को सामान्य सीढ़ियों के रूप में भी काम में लिया जा सकता है परन्तु उक्त सीढ़ी सैटबैक क्षेत्र में देय नहीं होगी एवं भू—आच्छादन व बी.ए.आर. की गणना में शामिल की जावेगी।

- (vi) आवासीय भवनों को छोड़कर अन्य उपयोग यथा वाणिज्यिक, संस्थानिक, पर्यटन इकाईयां आदि हेतु प्रस्तावित बहुमंजिला भवनों में आग से बचाव हेतु प्रेशराईज्ड सीढ़ीयॉ (Pressurised Fire Staircase)/ फायर टावर (Fire Tower) अनुज्ञेय होंगे।
- (vii) अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 6.0 मीटर चौड़ा सुरक्षित गलियारा भवन के चारों ओर बिना अवरोध छोड़ा जाना अनिवार्य होगा। ऐसे गलियारों में किसी प्रकार की पार्किंग/अस्थायी निर्माण आदि अनुज्ञेय नहीं होंगे। यदि 6.0 मीटर चौड़ा रेम्प सैटबैक में बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह से ढका हुआ ना हो एवं प्रवेश/निकास (Entry/Exit) हेतु बिना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है।
- (viii) गैर आवासीय भूखण्डों में जिस ओर 9 मीटर व इससे अधिक चौड़ाई की सड़क उपलब्ध हो एवं यदि उस ओर बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित ना हो, तो उस तरफ अग्निशमन वाहन हेतु सुरक्षित गलियारा छोड़ा जाना अनिवार्य नहीं होगा।
- (ix) अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु 6.0 मीटर चौड़ा गलियारा के ऊपर बालकनी/छज्जा भूमि तल से 4.50 मीटर ऊँचाई पर ही देय होगा।
- (x) आग से बचाव हेतु हर समय पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भवन के छत पर समुचित क्षमता के दो टैंक बनाये जायेंगे। इसमें से एक टैंक अग्निशमन व्यवस्था के पाइपों की प्रणाली से जुड़ा होगा। दूसरा टैंक भवन के निवासकर्ताओं के लिये पानी की आपूर्ति के लिये बनाया जायेगा एवं इस टैंक को भरने हेतु अग्निशमन टैंक के ढक्कन के 30 सेंटीमीटर नीचे से पाइप इस टैंक में जोड़ा जायेगा। भवन के निवासकर्ताओं के लिए बनाये जाने वाले इस टैंक में पानी की आपूर्ति हेतु अन्य कोई कनेक्शन नहीं रखा जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अग्निशमन हेतु टैंक हमेशा भरा रहे।
- (xi) 15 मी. से अधिक ऊँचाई के बहुमंजिला भवनों के स्ट्रक्चरल डिजाइन मानचित्र मय रिपोर्ट को स्ट्रक्चरल इंजिनियर से प्रमाणित करवाया जाकर नगरीय निकाय में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय प्रस्तुत किये जाने होंगे।
- (xii) 30.0 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में अनुमोदित भवन मानचित्र जारी करने के पश्चात संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चरल डिजाइन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविधालय/ राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय प्रस्तुत किये जाने होंगे।
- (xiii) भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएं, वातानुकूल सेवाएं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाइन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के एम.ई.पी

- कन्सलटेन्ट (M.E.P Consultant) से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय प्रस्तुत किये जाने होंगे।
- (xiv) बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन संबंधित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड (N.B.C.) के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण—पत्र जारी करने से पूर्व स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (xv) उपरोक्त बिन्दु संख्या (xi) से (xiv) की सुनिश्चितता किये जाने हेतु भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने के समय आवेदक से शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
- (xvi) बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने पर N.B.C. के भूकम्परोधी प्रावधानों पालना किये जाने बाबत भू—स्वामी, वास्तुविद् एवं संरचना अभियन्ता का संयुक्त शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
- (xvii) राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन की सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी आदेश के अनुरूप नियमानुसार शुल्क देय होंगे।
- (xviii) बहुमंजिला भवनों के अनुज्ञाधारी/विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड से लगती हुई सभी सम्पूर्ण सड़कों का विकास फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जावेगा।

## 6. भवन निर्माण के लिए आवश्यक आंतरिक मानदण्ड

6.1 भवनों में कमरों/रसोई/शौचालय का न्यूनतम आकार व ऊँचाई निम्नानुसार होगी :—

तालिका—11

### भवन के विभिन्न अवयवों/उपयोग हेतु आवश्यक आंतरिक मानदण्ड

क्र.सं.	भवन के अवयव/उपयोग	न्यूनतम क्षेत्रफल (व.मी.)	न्यूनतम चौड़ाई (मी.)	न्यूनतम ऊँचाई (मी.)
(i)	वास योग्य कमरा*	9.5	2.4	2.75
(ii)	रसोई घर	4.5	1.5	2.75
(iii)	स्नान घर	1.8	1.2	2.2
(iv)	टायलेट	2.8	1.2	2.2
(v)	शौचालय	1.1	1.0	2.2
(vi)	पेन्ट्री	3.0	1.4	2.75
(vii)	स्टोर	3.0	1.2	2.2

\* आवासीय भवनों में अध्ययन कक्ष एवं घरेलू सेवा सहायक कक्ष (Domestic Service Assistant Room) का क्षेत्रफल 7.5 वर्ग मीटर अनुज्ञेय होगा।

#### टिप्पणी:

- (i) रिहायशी भवनों हेतु उपरोक्त मानदण्ड 50 व.मी. से ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों तथा 30 व. मी. से अधिक कारपेट एरिया (Carpet Area) (आवासीय इकाई की चारों ओर की बाहरी दीवारों के अंदर का क्षेत्रफल जिसमें ओपन टू स्काई, डक्ट, खुली बालकनी आदि शामिल नहीं होगी) की आवासीय इकाईयों पर ही लागू होंगे।
- (ii) छात्रावासों के एक व्यक्ति के निवास हेतु आवासीय कमरे के लिये न्यूनतम आकार 7.5 व.मी. होगा।
- (iii) रसोई घर/टायलेट/शौचालय की ऊँचाई उस भाग में 2.75 मी. से कम हो सकती है जहां ऊपर के फर्श में पानी के निकास हेतु ट्रेप (Sunkan slab) बनाया गया हो।

## 6.2 संवातन शैफ्ट के मापदण्ड :—

प्रत्येक स्नानघर, शौचालय, टायलेट इस प्रकार होगा कि उसकी कम से कम एक दीवार बाहरी की तरफ अथवा “संवातन शैफ्ट” की तरफ खुले और खुलने का स्थान खिड़की या वातायन के रूप में न्यूनतम 0.4 व.मी. हो परन्तु यह सीमा 50 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ही लागू रहेगी। फलश, शौचालय और स्नानघर संवातन हेतु यदि अग्र, पार्श्व, पृष्ठ और भीतरी खुले स्थानों में न खुले तो संवातन शैफ्ट में खुलेंगे, जिनका आकार निम्नलिखित से कम नहीं होगा :—

**तालिका-12**  
**संवातन शैफ्ट के मापदण्ड**

क्र.सं.	शैफ्ट की कुल ऊँचाई (मीटर में)	संवातन शैफ्ट का आकार (वर्ग मीटर में)	शैफ्ट की न्यूनतम भुजा (मीटर में)
1.	10 मी. तक	1.2	0.9
2.	12 मी. तक	2.8	1.2
3.	18 मी. तक	4.0	1.5
4.	24 मी. तक	5.4	1.8
5.	30 मी. तक	8.0	2.4
6.	30 मी. से अधिक	9.0	3.0

- (i) यदि रसोई, वास योग्य कमरा, अध्ययन कक्ष की कोई भी एक भुजा (फलश, शौचालय और स्नानघर को छोड़कर) सामने, पीछे व साईड सैटबेक में नहीं खुलती है तो वह आन्तरिक कोर्ट यार्ड में खुल सकती है जिसकी न्यूनतम भुजा 3 मीटर होनी चाहिए। आन्तरिक कोर्ट यार्ड का क्षेत्रफल भवन की ऊँचाई/कोर्ट यार्ड की भुजा के साथ लगती हुई उच्चतम दीवार की ऊँचाई का  $1/5$  भाग का वर्ग से कम नहीं होगा अर्थात् यदि भवन की ऊँचाई यदि 30 मीटर हो तो कोर्ट यार्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 36 वर्गमीटर होगा।
- (ii) वाणिज्यिक, संस्थागत एवं सर्विस्ड आपार्टमेन्ट भवनों जिनमें स्नानघर, शौचालय, टायलेट के संवातन के लिए मेकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम किया जाना प्रस्तावित होगा, वहाँ इनके वातायन के लिये संवातन शॉफ्ट में खुलने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- (iii) भवन की कुर्सी (Plinth) की ऊँचाई भूखण्ड के सामने स्थित सड़क से न्यूनतम 0.45 मीटर होगी। भूखण्ड के साथ एक से अधिक सड़कें लगती हुई हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी एक सड़क से कुर्सी की ऊँचाई न्यूनतम 0.45 मीटर रखी जा सकेगी। भूखण्ड के अन्दर आतंरिक सड़क (ड्राइवे-वे) प्रस्तावित होने पर ड्राइवे-वे लेवल से प्लिन्थ न्यूनतम 0.15 मीटर अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

### 6.3 सीढ़ियाँ (जीना) व गलियारा (कॉरिडोर) (Stairs and Corridor):—

- (i) निकासी के सभी बिन्दु यथा बरामदों, दरवाजों, सीढ़ियाँ, सीढ़ी का तल्ला व चढ़ाई, खुर्रा (ढलान) आदि की चौड़ाई व दूरी NBC के प्रावधानों के अनुसार होगी।
- (ii) सीढ़ियों व गलियारा की न्यूनतम चौड़ाई के मानदण्ड निम्न प्रकार से होंगे :—

**तालिका—13**  
**सीढ़ियों व गलियारा की न्यूनतम चौड़ाई के मानदण्ड**

क्र.सं.	उपयोग	सीढ़ियों की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)	गलियारा (Corridor) की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)
1.	स्वतन्त्र आवासीय भवन/ड्यूप्लेक्स फ्लेट्स की आन्तरिक सीढ़ियाँ	1.0	1.0
2.	अन्य आवासीय भवन 15 मीटर ऊँचाई तक	1.2	1.5
3.	भूतल+2 मंजिल तक की दुकानें / शोरूम	1.2	1.5
4.	बहुमंजिला आवासीय भवन	1.5	1.5
5.	वणिज्यिक एवं पर्यटन इकाई व अन्य	1.5	1.5
6.	संस्थागत भवन	1.5	1.5
7.	सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, थियेटर, सभा भवन (assembly buildings) बैंकेट हॉल (Banquet Hall)	2.0	2.0

**6.4 लिफ्ट, एस्केलेटर एवं मैकेनिकल कार लिफ्ट (Lift, Escalator and Mechanical Car Lift) :-**

- (i) भवन के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई लिफ्ट को आपात स्थिति में बचाव के लिये माध्यम के रूप में नहीं माना जायेगा।
- (ii) भवनों में लिफ्ट, एस्केलेटर एवं मैकेनिकल कार लिफ्ट से संबंधित मानदण्ड भारतीय मानक संहिता (इण्डियन स्टैण्डर्ड कोड) एवं राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
- (iii) सभी उपयोगों के भवनों में चार से अधिक मंजिल (स्टील संहित) प्रस्तावित/निर्मित होने पर लिफ्ट का नियमानुसार प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा।

**6.5 बेसमेंट (Basement):—**

- (i) विभिन्न क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निम्नानुसार बैसमेन्ट देय होंगे:-

**तालिका—14**

भूखण्ड का क्षेत्रफल	बैसमेन्ट की संख्या (अधिकतम)
15 व.मी. क्षेत्रफल से छोटे वाणिज्यिक भूखण्डों	-
1000 व.मी. तक समस्त उपयोगों के भूखण्डों	01
1000 व. मी. या इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों	02
1500 व. मी. एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों	03

- (ii) तालिका-1 व 5 में निर्धारित सैटबैक छोडने के पश्चात् शेष भाग पर बैसमेंट का निर्माण किया जा सकेगा, चाहे भवन का निर्माण तालिका में निर्धारित सैटबैक से अधिक सैटबैक छोडकर किया गया हो।
- (iii) यदि किसी भूखण्ड में पार्श्व व पीछे का सैटबैक 2 मीटर से कम हो एवं प्रार्थी सैटबैक रेखा तक तहखाना बनाना चाहता है तो ऐसी दशा में स्थानीय निकाय के हित में क्षतिपूर्ति बंध पत्र देना होगा।
- (iv) 1000 व. मी. व इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एक से अधिक बैसमेन्ट प्रस्तावित करने पर प्रथम बैसमेन्ट को छोडकर अन्य बैसमेन्ट का उपयोग पार्किंग हेतु ही किया जावेगा। प्रथम बैसमेन्ट को पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग में लिया जा सकेगा।
- (v) 1000 व.मी. व इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर केवल पार्किंग हेतु प्रस्तावित किये जाने पर Extended बैसमेन्ट अनुज्ञेय होगा। Extended बैसमेन्ट भूखण्ड की सीमा रेखा से सड़कों की ओर 6.0 मीटर तथा अन्य दिशाओं की ओर न्यूनतम 3.0 मीटर छोड कर देय होगा।
- (vi) प्रथम बैसमेन्ट को गैर पार्किंग के उपयोग में लिये जाने पर Extended बैसमेन्ट उपरोक्तानुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगा एवं ऐसे Extended बैसमेन्ट के एरिया में पार्किंग एवं नीचे के बैसमेन्टों व भूतल पर आने—जाने के आवागमन हेतु रास्ता/रैम्प अनुज्ञेय होगा।
- (vii) 2500 वर्गमीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के व्यावसायिक/पर्यटन इकाई/ होटल/ मल्टीप्लेक्स/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत भूखण्डों पर उपरोक्तानुसार बैसमेन्ट के अतिरिक्त एक लोअर ग्राउण्ड फ्लोर (जो आस—पास के भूमि तल से 2.0 मीटर से अधिक नीचे नहीं हो) अनुज्ञेय किया जा सकेगा, जिसका व्यावसायिक/संस्थागत उपयोग ही अनुज्ञेय होगा। संपूर्ण भूखण्ड क्षेत्र सड़क स्तर से निम्न स्तर पर होने की स्थिति में ऐसे लोअर ग्राउण्ड पर आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा।
- (viii) प्रत्येक बैसमेन्ट की ऊँचाई (फर्श से छत के नीचे की सतह या भीतरी छत तक) न्यूनतम 2.75 मी. तथा अधिकतम 4.5 मी. अनुज्ञेय होगी, परन्तु बैसमेन्ट में मेकेनिकल पार्किंग का प्रावधान करने पर अधिकतम ऊँचाई 6.2 मीटर तक अनुज्ञेय की जा सकेगी।
- (ix) यदि भवन की सीमाएं बैसमेन्ट की सीमा से भिन्न हैं तो भवन के बाहर स्थित बैसमेन्ट की छत सड़क के स्तर से 1.20 मीटर से अधिक ऊँची नहीं बनाई जावेगी।
- (x) बहुमंजिले भवनों में उच्चतर मंजिलों से पहुंच और निकास के लिये की गई मुख्य एवं वैकल्पिक सीढ़ियों से भिन्न व्यवस्था द्वारा बैसमेन्ट में पहुंचने का रास्ता दिया जायेगा।
- (xi) संस्थागत एवं वाणिज्यिक उपयोग हेतु लोअर ग्राउण्ड फ्लोर व बैसमेन्ट फ्लोर में पर्याप्त ऐसे निकास के रास्ते बनाये जायेंगे की उनमें 15 मीटर से अधिक न चलना

पड़े। यदि अग्निशमनों के प्रावधान यथा fully sprinkled किया गया हो तो निकास रास्ते इस तरह से बनाये जावेंगे कि उनमें 22.5 मी. से अधिक नहीं चलना पड़े।

- (xii) बेसमेंट को ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डार हेतु या अन्य कोई गतिविधि जो कि भवन में रहने वालों के लिये परिसंकट मय या हानिकारक हो, ऐसे किसी उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा।
- (xiii) बेसमेंट में पर्याप्त वातायन एवं रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

#### 6.6 स्टिल्ट फ्लोर (Stilt Floor) :-

- (i) किसी भूखण्ड में सैटबैक छोड़कर शेष बचे भाग पर केवल पार्किंग हेतु स्टिल्ट निर्मित किया जा सकेगा, परन्तु स्टिल्ट के ऊपर निर्माण करते समय अधिकतम आच्छादित क्षेत्र की सीमा से अधिक के भाग पर लेण्डस्केप के रूप में विकसित किया जाना होगा।
- (ii) स्टिल्ट एवं बेसमेंट व अन्य मंजिलों पर प्रस्तावित पार्किंग फ्लोर का न्यूनतम 70 प्रतिशत क्षेत्र पार्किंग के उपयोग में लिया जाना अनिवाय होगा। शेष 30 प्रतिशत क्षेत्रफल अन्य उपयोग यथा स्वागत कक्ष, समिति का कार्यालय व निवासकर्ताओं के लिये सामुदायिक सुविधाएँ, सर्विसेज, व्यवसायिक उपयोग (केवल स्टिल्ट फ्लोर पर) में लिया जा सकेगा।
- (iii) 1500 व.मी. तक के भूखण्डों पर स्टील्ट फ्लोर तालिका-1 में उल्लेखित मंजिलों के अतिरिक्त देय होगा, जिसकी अधिकतम ऊँचाई 3.0 मीटर अनुज्ञेय होगी। परन्तु भवन की कुल ऊँचाई स्टील्ट सहित अधिकतम 15 मी. ही देय होगी।
- (iv) स्टील्ट फ्लोर की ऊँचाई भवन की कुल ऊँचाई में सम्मिलित होगी।

#### 6.7 रेम्प (Ramp) :-

- (i) सड़क से भवन/भूखण्ड तक पहुंचने हेतु रेम्प/सीढ़ियां किसी भी अवस्था में सड़क के मार्गाधिकार में अनुज्ञेय नहीं होगी।
- (ii) बैसमेन्ट एवं ऊपरी मंजिलों पर पार्किंग फ्लोर में वाहनों के आने-जाने हेतु प्रस्तावित रेम्प का ढाल 1 : 8 से अधिक नहीं होगा, परन्तु 1 मी. की ऊँचाई तक पहुंचने के लिये रेम्प की ढाल ज्यादा भी हो सकती है।
- (iii) रेम्प आने व जाने के लिए अलग-अलग होने पर न्यूनतम चौड़ाई 3.60 मीटर एवं आने-जाने के लिए एक ही होने पर न्यूनतम चौड़ाई 6 मीटर रखनी होगी।
- (iv) बहुमंजिला भवनों में सैटबैक में रेम्प प्रस्तावित करने पर यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाना होगा अग्निशमन वाहनों के परिसंचरण हेतु गलियारा न्यूनतम 6.0 मी. स्पष्ट उपलब्ध हो। यदि 6.0 मीटर चौड़ा रेम्प सैटबैक में बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह से ढका हुआ ना हो एवं प्रवेश व बाहर (Entry/Exit) जाने हेतु बिना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है।

- (v) अस्पतालों, सार्वजनिक उपयोग के भवनों में पार्किंग के अतिरिक्त अन्य उपयोगों हेतु व विकलांगों हेतु रेम्प का ढाल 1 : 12 से अधिक नहीं होगा।
- (vi) केवल दोपहिया वाहनों हेतु रैम्प प्रस्तावित होने पर, आने व जाने के लिए अलग—अलग होने पर रेम्प की न्यूनतम चौड़ाई 2.0 मीटर एवं आने जाने के लिए एक ही होने पर रेम्प की न्यूनतम चौड़ाई 3.0 मीटर रखनी आवश्यक होगी।
- (vii) 500 व.मी. तक क्षेत्रफल के भूखण्डों के बेसमेन्ट का तल स्तर सड़क स्तर से अधिकतम 2.0 मी. नीचे होने एवं भवन में अधिकतम 7 चौपहिया वाहनों की पार्किंग प्रस्तावित होने पर न्यूनतम 3.60 मी. चौड़ा (आने जाने हेतु) एवं 7 चौपहिया वाहनों से अधिक एवं अधिकतम 10 चौपहिया वाहनों की पार्किंग होने पर 4.50 मी. चौड़ा (आने जाने हेतु) तथा ढलान 1 : 8 का एक रैम्प उपलब्ध करवाना होगा।

उपरोक्तानुसार चौपहिया वाहनों से अधिक पार्किंग होने एवं 500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के बेसमेन्ट में पार्किंग हेतु **विनियम—6.13(iv)** के अनुसार पालना की जानी होगी।

#### **6.8 गैराज (Garrage) :-**

- (i) पार्श्व सैटबेक में केवल एक निजी गैराज उन रिहायशी भूखण्डों में अनुज्ञेय होगा, जहां यह सैटबेक न्यूनतम 3 मीटर होगा। गैराज का अधिकतम क्षेत्रफल 20 व.मी. होगा। गैराज आच्छादित क्षेत्रफल व बी.ए.आर. की गणना में शामिल होगा। गैराज का निर्माण भूखण्ड की पिछली सीमा से 9 मीटर के भीतर किया जा सकता है। गैराज के ऊपर केवल प्रथम तल पर उतने ही क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। जो कि बी.ए.आर. में शामिल किया जायेगा। जिन भूखण्डों में स्टिल्ट फ्लोर प्रस्तावित हो वहाँ गैराज देय नहीं होगा।
- (ii) उपविभाजित आवासीय भूखण्डों में यदि पार्श्व सैटबेक 3.0 मी. या उससे अधिक है तो ऐसे प्रत्येक भूखण्ड में एक गैराज उपरोक्त वर्णित शर्तों के पूर्ण होने पर दिया जा सकता है।

#### **6.9 पोर्च (Porch/Portico) :-**

- (i) केन्टीलिवर / खम्बों पर निर्मित पोर्च साइड सैटबेक व अग्र सैटबेक में देय होगा। अग्र सैटबेक में पोर्च तभी देय होगा जब अग्र सैटबेक 6.0 मी. या उससे अधिक हो तथा साइड सैटबेक में पोर्च तभी देय होगा जब साइड सैटबेक न्यूनतम 3 मी. हो। पोर्च के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण देय नहीं होगा। सभी प्रकार के भवनों में जहाँ एक से अधिक बिल्डिंग टॉवर प्रस्तावित हों, वहाँ प्रत्यक्षे टॉवर में एक पोर्च देय होगा।
- (ii) किसी ओर का सैटबेक 6.0 मीटर तक होने पर पोर्च की अधिकतम चौड़ाई 3.0 मीटर देय होगी। सैटबेक 6.0 मीटर से अधिक होने पर पोर्च की चौड़ाई सैटबेक दूरी का 50 प्रतिशत तक देय होगी। केवल होटल एवं संस्थानिक भवनों में पोर्च

की चौड़ाई सैटबैक की सीमा अर्थात् भूखण्ड की बाउण्ड्री तक अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

- (iii) पोर्च की लम्बाई संबंधित बिल्डिंग ब्लॉक की उस दिशा की लम्बाई के अधिकतम  $1/2$  लम्बाई के बराबर देय होगी।
- (iv) गैर आवासीय भवनों में एक से अधिक पोर्च भी अनुज्ञेय किये जा सकेंगे।
- (v) सैटबैक क्षेत्र में पोर्च प्रस्तावित होने पर उस पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। पोर्च पर किसी भी प्रकार का निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर बी.ए.आर. की गणना में शामिल किया जायेगा एवं सैटबैक क्षेत्र में देय नहीं होगा।

#### 6.10 बालकनी (Balcony) :—

- (i) प्रोजेक्टेड् बालकनी सैटबैक क्षेत्र में निम्नानुसार देय होगी:—

**तालिका—15**

सैटबैक	बालकनी की चौड़ाई
4.50 मीटर से कम	सैटबैक की दूरी की $1/3$ अथवा 1.2 मी. जो भी कम हो
4.50 मीटर व इससे अधिक एवं 12 मीटर से कम	1.5 मीटर
12 मीटर या इससे अधिक	1.8 मीटर

- (ii) बालकनी की चौड़ाई (उपरोक्त से ज्यादा) भवन रेखा से अन्दर की तरफ (अर्थात् भवन की तरफ) बढ़ाई जा सकती है।
- (iii) बहुमंजिले भवनों में बॉलकनी भूमि तल से 4.50 मीटर से ऊपर ही देय होगी, लेकिन यदि बहुमंजिले भवनों में बॉलकनी अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु 6.0 मीटर चौड़ा गलियारा के उपरांत प्रस्तावित की जाती है तो 4.50 मीटर की ऊँचाई की बाध्यता नहीं होगी।
- (iv) यदि भवन में किसी तरफ का सैटबैक 4.50 मी. व इससे अधिक हो तो उस तरफ बालकनी क्षेत्र को भवन के अन्दर/कमरों के अन्दर शामिल किया जा सकता है।

#### 6.11 अनुज्ञेय प्रक्षेप (Permissible Projection) :—

- (i) छज्जा, जिसकी चौड़ाई 0.6 मी. या सैटबैक दूरी का एक-तिहाई जो भी कम हो तथा भूमि तल से 2.1 मी. से कम की ऊँचाई पर न हो।
- (ii) सीढ़ी का मध्यवर्ती ठहराव (लेडिंग) जो कि चौड़ाई में 1.0 मी. या सैटबैक दूरी का एक-तिहाई, जो भी कम हो एवं भूमि तल से 2.4 मी. से कम की ऊँचाई पर न हो। इसे जाली या ग्रिल से ढका जा सकता है।
- (iii) प्रोजेक्टेड अलमारी, जो कि प्रत्येक रिहायशी कमरे पर 2.0 मी. लम्बाई एवं 0.6 मी. चौड़ाई की हो।
- (iv) बालकनी, विनियम—6.10 के प्रावधान अनुसार होगी।

- (v) उपरोक्त प्रोजेक्शन बहुमंजिले भवनो मे भूमि तल से कम से कम 4.50 मीटर की ऊँचाई के उपरांत ही देय होंगे। यदि बहुमंजिले भवन में अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु 6.0 मीटर चौड़ा गलियारा उक्त प्रोजेक्शन के उपरांत प्रस्तावित किया जाता है तो 4.50 मीटर की ऊँचाई की बाध्यता नहीं होगी।

#### 6.12 मोड़ (नुकड़) पर स्थित भवन की दीवार (Corner Compound Wall):—

- (i) कोने के भूखण्ड में सीमाभिती / दीवार की ऊँचाई सड़क के मोड़ पर, मोड़ से सामने और पार्श्व में दोनों ओर 5 मी. की लम्बाई में 0.75 मी. तक सीमित रहेगी और शेष ऊँचाई रेलिंग लगाकर पूरी का जा सकेगी।
- (ii) सड़क पर खतरनाक अथवा असुविधाजनक मोड़ (नुकड़) होने पर स्थानीय निकाय को नुकड़ के भवन के स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुकड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे, जैसा कि स्थानीय निकाय द्वारा ठीक समझा जावे।

#### 6.13 पार्किंग सुविधा :—

- (i) विभिन्न प्रस्तावित उपयोगों हेतु पार्किंग मानदण्ड निम्न तालिका—8 के अनुसार होंगे।  
तालिका—16

##### विभिन्न उपयोग के भवनों हेतु पार्किंग की आवश्यकताएं

क्र. सं.	उपयोग (जैसा अनुसूची—1 में वर्णित है)	ई.सी.यू. की आवश्यकता (ECU प्रति वर्गमीटर गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर )	आगन्तुक पार्किंग
1.	<b>आवासीय उपयोग</b>		
(i)	स्वतंत्र आवास/हॉस्टल	1 ECU / 115 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र	—
(ii)	बहु-आवास इकाई/फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग/रिटार्डमेन्ट हॉम्स	1 ECU / 115 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र परन्तु न्यूनतम 1 कार प्रति आवासीय इकाई दिया जाना आवश्यक होगा	10 प्रतिशत
(iii)	स्टुडियो अपार्टमेन्ट	1 ECU / 75 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र	10 प्रतिशत
(iv)	मुख्यमंत्री जनआवास योजना	पॉलिसी अनुसार	
2.	<b>वाणिज्यिक उपयोग</b>		
(i)	दुकानें/व्यवसायिक परिसर/थोक व्यापार/वेयर हाउस/गोदाम	1 ECU / 75 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र	25 प्रतिशत
(ii)	सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/सिनेप्लेक्स/ऑडिटोरियम	1 ईसीयू प्रति 10 सीट्स	—
3.	<b>पर्यटन इकाई</b>		
(i)	होटल/मोटल/रिसोर्ट/गेस्ट हाउस	1 ECU / 75 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र	10 प्रतिशत

4.	<b>संस्थागत</b>		—
(i)	शैक्षणिक / सामाजिक / सांस्कृति / धार्मिक संस्थान / सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय	1 ECU / 115 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र	10 प्रतिशत
(ii)	चिकित्सा संस्थान (मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज / प्रशिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल, डिस्पेसरी एवं अन्य चिकित्सा सम्बन्धी संस्थाएँ)	1 ECU / 175 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र	10 प्रतिशत
5.	<b>सभा भवन</b>		
(i)	सामुदायिक / बैंकवेट हॉल / कनवेंशन सेंटर	1 ईसीयू / 50 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र	10 प्रतिशत
6.	<b>आमोद-प्रमोद</b>		
(i)	स्टेडियम	1 ईसीयू / 50 सीट्स	—
(ii)	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स / रिक्रिएशनल क्लब	1 ईसीयू / 75 गणना योग्य निर्मित क्षेत्र	—
(iii)	एम्यूजमेन्ट पार्क	1 ईसीयू / 500 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्र	—
7.	<b>औद्योगिक</b>		
(i)	सामान्य उद्योग	RIICO के प्रावधानुसार	10 प्रतिशत

- (ii) विभिन्न वाहनों के लिये पार्किंग का स्थान निम्न प्रकार होगा कि न्तु इसमें वाहन के आवागमन (Circulation) का क्षेत्र शामिल नहीं है। पार्किंग हेतु निम्नानुसार क्षेत्र वाहनों हेतु रखा जाना अनिवार्य होगा :—

#### तालिका-17

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	पार्किंग का आकार
1	कार	2.50 मीटर X 5.0 मीटर
2	दुपहिया ओटो / स्कूटर	1.0 मीटर X 2.0 मीटर
3	बस पार्किंग	3 मीटर X 8 मीटर

- (iii) पार्किंग बेसमेंट, भूतल व भवन के अन्य किसी भी तल पर अनुज्ञेय होगी।  
(iv) बेसमेंट, भूतल, स्टील्ट या भवन की अन्य किसी भी मंजिल पर स्थित किसी भी तल को पार्किंग फ्लोर तभी माना जावेगा जबकि उस तल का न्यूनतम 70 प्रतिशत क्षेत्र केवल पार्किंग व पार्किंग हेतु आवागमन, सिडियॉ, लिफ्ट व सर्कुलेशन आदि के उपयोग में प्रस्तावित होगा, शेष अधिकतम 30 प्रतिशत क्षेत्र भवन में अनुज्ञेय सर्विसेज, अनुज्ञेय सामुदायिक सुविधाओं व स्टील्ट पर अनुज्ञेय व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में लिया जा सकेगा। इस प्रकार के पार्किंग फ्लोर विनियम-4.12(viii) के अनुसार बी.ए.आर. की गणना से मुक्त होंगे।  
(v) EV Charging Facility हेतु स्वतंत्र आवास एवं फार्म हाउस / पर्यावरण मैत्री आवास को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के आवासीय एवं अन्य उपयोगों के भवनों में कुल

आवश्यक पार्किंग / E.C.U. का न्यूनतम 10 प्रतिशत EV Charging Facility हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक होगा।

- (vi) 90 वर्गमीटर तक के स्वतंत्र आवासीय भूखण्डों में प्रति आवासीय इकाई एक स्कूटर पार्किंग देना अनिवार्य होगा। 90 वर्गमीटर से अधिक 225 वर्गमीटर तक के स्वतंत्र आवासीय भूखण्डों में न्यूनतम एक कार पार्किंग प्रति आवासीय इकाई दिया जाना अनिवार्य होगा। 225 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों में तालिका 16 के अनुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा। स्वतंत्र आवासीय भूखण्डों में आगन्तुक पार्किंग का प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- (vii) स्वतंत्र आवास के भूखण्डों में एक के पीछे एक कार पार्किंग अनुज्ञेय होगी। बहु आवास इकाई/फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग के प्रकरणों में पार्किंग हेतु प्रस्तावित बेसमेन्ट/स्टील्ट फ्लोर (Covered Area) में एक के पीछे एक कार पार्किंग अनुज्ञेय की जा सकेगी बशर्ते संपूर्ण योजना का कुल पार्किंग की संख्या योजना/भवन में प्रस्तावित कुल फ्लेट्स की संख्या से अधिक हो।
- (viii) पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए कुल ई.सी.यू. का न्यूनतम 75 प्रतिशत कार पार्किंग के लिए ही निर्धारित होगा तथा 25 प्रतिशत स्कूटर पार्किंग के लिए रखा जा सकेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान हेतु कुल ई.सी.यू. का कार पार्किंग हेतु निर्धारित ई.सी.यू. 75 प्रतिशत में से न्यूनतम 25 प्रतिशत बस पार्किंग हेतु रखा जावेगा।
- (ix) वाहनों के आवागमन हेतु अथवा प्रवेश व निकास पृथक—पृथक होने पर न्यूनतम 3.60 मीटर सडक/रास्ता/गलियारा छोड़ा जाना होगा।
- (x) एक—तरफा पार्किंग का प्रावधान होने पर न्यूनतम 4.50 मीटर सडक/रास्ता/गलियारा एवं दोनों ओर पार्किंग का प्रावधान होने पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही होने पर न्यूनतम 5.5 मीटर सडक/रास्ता/गलियारा का प्रावधान अनिवार्य होगा।
- (xi) दुपहिया वाहनों के आवागमन हेतु एकतरफा पार्किंग का प्रावधान होने पर व प्रवेश एवं निकास पृथक—पृथक होने पर न्यूनतम 1.50 मीटर सडक/रास्ता/गलियारा एवं दोनों ओर दुपहिया वाहनों की पार्किंग का प्रावधान होने पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही होने पर न्यूनतम 2.0 मीटर सडक/रास्ता/गलियारा का प्रावधान अनिवार्य होगा।
- (xii) बहुमंजिला भवनों के भूखण्ड पर एक से अधिक पार्किंग फ्लोर अनुज्ञेय होंगे। ऐसे पार्किंग फ्लोर्स में पार्किंग हेतु आरक्षित मंजिलों के ऊपर फ्लेट्स/वाणिज्यिक/संस्थानिक भू—उपयोग (जैसा कि अनुज्ञेय उपयोग हो) अनुज्ञेय किया जा सकेगा।
- (xiii) केवल पार्किंग हेतु अलग से टावर का निर्माण अनुज्ञेय किया जा सकेगा, जिसके लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन तालिका-1 में अनुज्ञेय आच्छादन से अतिरिक्त देय होगा, लेकिन उपरोक्त अतिरिक्त आच्छादन निर्धारित सैटबैक के अंदर ही देय

होगा। उक्त पार्किंग टावर की ऊँचाई भवन की प्रस्तावित ऊँचाई से अधिक नहीं होगी।

- (xiv) भूखण्डों पर एक से अधिक पार्किंग फ्लोर प्रस्तावित किये जा सकते हैं। भवन में भू-तल से उपर की मंजिलों पर पार्किंग फ्लोर प्रस्तावित किये जाने पर पार्किंग फ्लोर पर वाहनों के आवागमन हेतु रैम्प अथवा कार लिफ्ट का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा। कार लिफ्ट प्रस्तावित किये जाने पर उपर की मंजिलों पर प्रस्तावित कुल ईसीयू के अनुसार 50 ईसीयू तक न्यूनतम 2 कार लिफ्ट तथा 50 ईसीयू से अधिक प्रत्येक 25 ईसीयू या उसके भाग पर एक अतिरिक्त कार लिफ्ट का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
- (xv) फ्लैट्स एवं ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों में खुले में प्रस्तावित पार्किंग के उपर धूप एवं वर्षा के पानी के बचाव हेतु अस्थाई कैन्टीलीवर (Cantilever) पार्किंग शैड सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय किये जा सकेंगे, बशर्ते अग्निशमन के आवागमन में बाधा न हो। उक्त पार्किंग शैड की अधिकतम चौड़ाई 5.0 मीटर होगी।
- (xvi) वाणिज्यिक एवं संस्थागत भूखण्डों में न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क की तरफ से भूखण्ड के सैटबैक क्षेत्र में पार्किंग अनुज्ञेय की जा सकेगी बशर्ते उक्त सड़क से लगती हुए चार दीवारी निर्माण प्रस्तावित नहीं हो।
- (xvii) रैम्प के नीचे भी पार्किंग का प्रावधान किया जा सकेगा। बशर्ते फ्लोर से स्पष्ट ऊँचाई 2.2 मीटर उपलब्ध हो।
- (xviii) मैकेनिकल पार्किंग 1500 वर्गमीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के गैर आवासीय भूखण्डों पर ही देय होगी। वाणिज्यिक एवं संस्थागत भूखण्डों में अधिकतम 50 प्रतिशत पार्किंग मैकेनिकल पार्किंग के रूप में अनुज्ञेय की जा सकेगी। वाणिज्यिक भूखण्डों में अग्र सैटबैक के अतिरिक्त क्षेत्र में भवन की ओर मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय की जा सकेगी, बशर्ते बहुमंजिले भवनों में नियमानुसार अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु नियमानुसार अपेक्षित न्यूनतम 6.0 मीटर चौड़ाई का अग्निशमन वाहन हेतु गलियारा भूखण्ड की सीमा में ही प्रस्तावित किया गया हो। सैटबैक में मैकेनिकल पार्किंग केवल भवन रेखा के साथ-साथ अर्थात् भवन से लगते हुए ही अनुज्ञेय होगी। भूखण्ड की चार दीवारी के साथ लगते हुए मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय नहीं होगी।
- (xix) आगन्तुक पार्किंग सामान्यतया भूतल पर खुले क्षेत्र/स्टिल्ट फ्लोर में प्रस्तावित की जावेगी लेकिन भवन मानचित्र समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा आगन्तुक पार्किंग प्रथम बेसमेंट पर भी अनुज्ञेय की जा सकेगी।
- (xx) आगन्तुक पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्र को मानचित्र पर स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जायेगा। आगन्तुक पार्किंग यथा सम्भव भूखण्ड के प्रवेश द्वार के निकट तथा प्रस्तावित भवन इकाइयों के समीप प्रस्तावित की जानी चाहिए।
- (xxi) पार्किंग हेतु उपरोक्त प्रावधानों को दर्शाते हुए पार्किंग व सर्कुलेशन प्लान आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

- (xxii) भूखण्ड में पार्किंग के लिए आरक्षित क्षेत्र अलग से चिन्हित किये जावेगा एवं उक्त पार्किंग क्षेत्र दर्शाते हुए भूखण्ड का साईट प्लान भूखण्ड के सभी प्रवेश द्वारों के समीप उपयुक्त साइज का पठनीय बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा। आगन्तुक पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल को पृथक से दर्शाना होगा।
- (xxiii) विकासकर्ता द्वारा आवासीय/वणिज्यिक भवनों में उपलब्ध कराई गई विभिन्न इकाईयों अर्थात् फ्लैट/दुकान/कार्यालय के क्रेताओं को पार्किंग क्षेत्र पार्किंग प्रयोजन हेतु आरक्षित किया जा सकेगा। इस बाबत सेलडीड/एग्रीमेन्ट में प्रावधान को शामिल करते हुए स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा।
- (xxiv) आगन्तुक पार्किंग क्षेत्र मानचित्र में स्पष्टतया दर्शाया जाकर वेलफेयर सोसायटी को रख-रखाव हेतु हस्तांतरित किया जायेगा।
- (xxv) भवन निर्माता/उपयोगकर्ता द्वारा मौके पर पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाए जाने पर स्थानीय निकाय बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा-खर्चा संबंधित व्यक्ति जिसने पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग किया है से वसूला जावेगा।
- (xxvi) आवेदक/विकासकर्ता से पार्किंग के संबंध में निम्न आशय का अण्डरटेकिंग/शपथ पत्र भवन मानचित्र स्वीकृति के समय लिया जाना होगा :—
- प्रस्तावित मानचित्रों में बेसमेंट, स्टिल्ट, भवन के किसी भी तल पर एवं खुले क्षेत्र में जिस भाग को पार्किंग के उपयोग में दर्शाया गया है उसे केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जायेगा।
  - पार्किंग के क्षेत्र का अन्य उपयोग करने पर स्थानीय निकाय द्वारा तोडफोड के लिए हर्जा-खर्चा वसूला जा सकेगा, जो कि प्रार्थी को स्वीकार होगा।

## 7. भवन निर्माण हेतु आवश्यक सर्विसेज

### 7.1 जल सेवाएँ (Water Service) –

भवन में जल संबंधी आवश्यकताएँ एवं विभिन्न व्यवस्थायें राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के अनुरूप की जानी होगी।

### 7.2 विद्युत सेवाएँ (Electric Service) :-

भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान रखे जाने एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (ECBC) एवं समय-समय पर संशोधित प्रावधानों की अनुपालना की समस्त जिम्मेदारी निर्माणकर्ता/विकासकर्ता की होगी।

### 7.3 इलेक्ट्रिक लाइन से दूरी :-

- (i) 11 केवी से कम की विद्युत लाइन पर भवन की संरचना एवं बालकनी/छज्जे की विद्युत लाइन से न्यूनतम Horizontal Clearance Distance 1.2 मी. रखा जाना आवश्यक होगा।
- (ii) आच्छादित क्षेत्र की परिसीमाओं, भवन की संरचना एवं बालकनी/छज्जे से ओवर हैड इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन के बीच निम्नानुसार न्यूनतम दूरी आवश्यक रहेगी :–

तालिका-18

Voltage Level	Line Width	Horizontal Clearance from the Outermost Conductor on either side	Safe EVH line Corridor (Minimum Safety Corridor)	ROW of the line	Vertical Ground Clearance from the Lowest Conductor
11 KV	1.1 M	1.2 M	3.5 M	-	6.1 M
33 KV	1.6 M	2.0 M	5.6 M	-	6.1 M
132 KV	8.0 M	2.9 M	13.8 M	27.0 M	6.1 M
220 KV	11.0 M	3.8 M	18.6 M	35.0 M	7.0 M
440 KV	22.0 M	5.6 M	33.2 M	52.0 M	8.04 M

नोट:- यह दूरी समय-समय पर इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित किये गये मानदण्डों के अध्यधीन होगी।

- (iii) न्यूनतम सेफ्टी कॉरिडोर को ले-आउट प्लान में "No Construction Zone" दर्शया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) 33 KV तक की विद्युत लाइन पर न्यूनतम सेफ्टी कॉरिडोर में रोड, पाथ-वे, हॉर्डिंग, साइनेज, प्लानटेशन आदि अनुज्ञेय नहीं होंगे।
- (v) 33 KV तक की विद्युत लाइन पर न्यूनतम सेफ्टी कॉरिडोर के क्षेत्र को ग्रीन/ओपन/पार्क/सुविधा क्षेत्र की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। 132 KV व इससे अधिक की विद्युत लाइन के न्यूनतम सेफ्टी कॉरिडोर के क्षेत्र को योजना के ग्रीन/ओपन/पार्क/सुविधा क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है।

- (vi) 132 KV व इससे अधिक की विद्युत लाइन के न्यूनतम सेफ्टी कॉरिडोर एवं ROW के मध्य रोड़, सर्विस रोड़, पार्किंग, पेड़ एवं पौधे (अधिकतम ऊँचाई 3.0 मीटर) अनुज्ञेय किये जा सकेंगे।
- (vii) न्यूनतम सेफ्टी कॉरिडोर को सड़क का मीडीयन /डिवाईडर माना जावेगा एवं सेफ्टी कॉरिडोर के दोनों ओर की सड़क की चौड़ाई (न्यूनतम 9 मी) को समिलित करते हुए सड़क मार्गाधिकार के आधार पर भवनों की ऊँचाई एवं अन्य मापदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे। अगर न्यूनतम सेफ्टी कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए सड़क प्रस्तावित की जानी हो तो उपरोक्त तालिका में वर्णित Vertical Ground Clearance को रखा जाना आवश्यक होगा। इसकी सुनिश्चिता किये जाने हेतु आवेदक से शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

#### 7.4 सैप्टिक टैंक (Septic Tank) :-

सभी मल-जल निकासी स्थानीय निकाय के मल-जल व्यवस्था की लाईनों से जुड़े हुए होंगे। जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वहाँ भूमिगत सैप्टिक टैंक / सोक-पिट भूखण्ड के अन्दर देने की व्यवस्था करनी होगी। नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के उपबंधों के अनुरूप होंगी।

#### 7.5 अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग (WTP)

- 2500 वर्ग मीटर तथा उससे बड़े भूखण्डों में स्नानागार तथा रसोई के अपशिष्ट जल (Waste Water) के शुद्धीकरण एवं रीसाईकिलींग की व्यवस्था करनी होगी इसमें टॉयलेट से निकलने वाला जल शामिल नहीं होगा।
- टॉयलेट में उपयोग ली जाने वाली वॉटर क्लोजेट में ड्यूल फ्लश बटन वाले सिस्टर्न ही अनुमत होंगे।
- इस प्रकार शुद्धीकृत जल का उपयोग बागवानी तथा फ्लश के उपयोग में ही लिया जा सकेगा। स्नानागार तथा रसोई के अपशिष्ट जल के शुद्धीकरण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था करनी होगी :—
  - सेटलिंग (Settling-Tank) टैंक का निर्माण— सम्भावित अपशिष्ट जल की मात्रा से दुगनी क्षमता का टैंक बनाना होगा।
  - शुद्धीकरण (Disinfection) हेतु क्लोरिन अथवा आयोडिन का उपयोग किया जायेगा।
  - फिल्टर (Filters) अपशिष्ट जल की मात्रा के अनुसार फिल्टर लगाना होगा जो कि एकटीव चारकोल, सेलूलोज, शिरामिक कॉर्टेज (Activated Charcoal, Cellulose or ceramic cartridge) के उपयुक्त होंगे।
  - इस प्रकार के अपशिष्ट जल के लिए पृथक पाईप लाईन उपलब्ध करानी होगी। यह किसी भी दिशा में सीवर लाईन से नहीं मिलाई जायेगी। इस प्रकार शुद्धीकृत जल का उपयोग पीने के पानी के रूप में नहीं किया जायेगा।

- उक्त व्यवस्था नहीं करने पर भवन निर्माता से 100/- रुपये प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर पहले वर्ष में पेनल्टी ली जावेगी, इसके पश्चात अनुपालना नहीं होने पर पेनल्टी की राशि दुगुनी वसूल की जावेगी।

### **7.6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP)**

- (i) योजना क्षेत्र अथवा एकल भूखण्ड पर 10,000 वर्गमीटर से अधिक सकल निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित होने पर अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित किया जाना होगा तथा उपचारित जल बागवानी, फ्लशिंग आदि उपयोगों में लिया जाना होगा।
- (ii) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट द्वारा रसोई, स्नानघर व शौचालय के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु संयुक्त व्यवस्था किये जाने पर बिन्दु सं. (i) के अनुसार पृथक से रसोई, स्नानघर के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु व्यवस्था करने की अनिवार्यता नहीं होगी तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट द्वारा उपचारित जल का उपयोग बागवानी, फ्लशिंग आदि उपयोगों में लिया जाना होगा।
- (iii) फार्म हाउस/फार्म हाउस योजना/पर्यावरण मैत्री आवास योजना में "Bio-Digester" Toilet निर्माण अथवा Faecal Sludge and Septage Management के प्रावधान अनुसार निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

### **7.7 In- Building Solution for Common Telecom Infrastructure (CTI) :-**

To strengthen the quality of service of the voice and data of mobile and fiber broadband network IBS NoC from TERM Cell/Rajasthan License Service Area (LSA), Department of Telecommunication is mandatory for all Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and Shopping mall/ Commercial Complexes. Occupancy/ Completion Certificate of such building is to be issued after ensuring IBS NoC as above.

For Common Telecom Infrastructure (CTI) in building the provision of IBS components shall be as per addendum to Model Building Bye-Laws-2016 issued by MohUA, Government of India (as per NBC-2016).

While approving building plan, the builder/RWA shall be mandated to ensure that:-

- (i) There should be properly demarcated sections within buildings and on rooftops for housing Broadband/ Digital Connectivity Infrastructure/Antenna. These areas should have access to power supply for reliable, always-on services.

- (ii) Access to building as well as CTI facilities inside the building should be available on fair, transparent and non- discriminatory manner to all service providers.
  - (iii) The service providers should have unrestricted access for maintenance work.
  - (iv) The permission to in-building access and/ or CTI facilities inside the building should not be seen as a source of revenue generation for builder(s)/RWA(s) but as a means for facilitating penetration of broadband access and thereby helping in socio-economic growth of all the residents.
  - (v) Charges (rentals/power rates etc.) levied to the TSPs should be fair, transparent and non-discriminatory and should be on residential rates."
- The addendum to Model Building Bye-Law-2016 by MoHUA, Government of India is enclosed for reference.

## 8 पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम :

### 8.1 ग्रीन एरिया / हरित क्षेत्र (Green Area)

- (i) 750 व.मी. से अधिक एवं 5000 व.मी. से कम क्षेत्रफल के गैर व्यवसायिक भूखण्डों पर निम्नानुसार न्यूनतम हरित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य होगा :—

भूखण्ड पर प्रस्तावित बी.ए.आर.	हरित क्षेत्र
3.0 बी.ए.आर. तक	भूखण्ड क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत
3.0 बी.ए.आर. से अधिक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक	भूखण्ड क्षेत्रफल का 12 प्रतिशत
4.0 बी.ए.आर. से अधिक	भूखण्ड क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत

- (ii) 5000 व.मी. व उससे अधिक क्षेत्रफल के गैर व्यवसायिक भूखण्डों पर निम्नानुसार न्यूनतम हरित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य होगा :—

भूखण्ड पर प्रस्तावित बी.ए.आर.	हरित क्षेत्र
3.0 बी.ए.आर. तक	भूखण्ड क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत
3.0 बी.ए.आर. से अधिक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक	भूखण्ड क्षेत्रफल का 18 प्रतिशत
4.0 बी.ए.आर. से अधिक	भूखण्ड क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत

(iii) उक्त ग्रीन एरिया / हरित क्षेत्र का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्र भू-तल पर अर्थात प्राकृतिक भूमि पर खुले क्षेत्र (जिसके नीचे छत न हो) पर दिया जाना आवश्यक होगा एवं शेष ग्रीन एरिया स्टिल्ट / पोडियम / बेसमेन्ट की छत (जो कि ऊपर से खुली हो) पर भी प्रस्तावित किया जा सकता है परन्तु उक्त ग्रीन एरिया भवन की टैरेस पर देय नहीं होगा।

(iv) 5000 व.मी. व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में उक्त ग्रीन एरिया / हरित क्षेत्र की न्यूनतम चौड़ाई 3.0 मी. रखी जानी आवश्यक होगी।

### 8.2 पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण :—

- (i) 90 व.मी. भूखण्ड क्षेत्रफल तक दो वृक्ष तथा इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर प्रति 80 व.मी. क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 2 वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा। भूखण्ड के सैटबैक क्षेत्र में उक्त प्रावधानानुसार वृक्षारोपण किये जाने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने पर भूखण्ड के बाहर चार दीवारी के साथ—साथ चार दीवारी से अधिकतम 1 मी. की सीमा में वृक्षारोपण अनुज्ञेय होगा। इस प्रावधान की अनुपालना नहीं करने पर 1000/- प्रति वृक्ष की दर से राशि स्थानीय निकाय में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग उक्त प्रावधानानुसार वृक्ष लगाने में किया जायेगा।

### 8.3 रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना :-

- (i) 225 वर्गमीटर तथा इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में वर्षा जल संरक्षण / संवर्द्धन / संचयन की दृष्टि से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इकाई / संरचना अथवा (Rooftop Rain Water Storage Tank) मय फिल्टर का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) उपरोक्तानुसार निर्मित किये जाने वाले वॉटर हार्वेस्टिंग इकाई / संरचना के कार्य करने में सक्षम है तथा इसका उपयोग प्रभावी ढंग से हो रहा है अथवा नहीं, के परीक्षण हेतु भू-जल विभाग / जन संसाधन विभाग एवं इस क्षेत्र में अनुभवी सेवा निवृत्त अभियन्ता से कराया जाकर अभियन्ता से सुचारू संचालन रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही धरोहर राशि लौटाई जा सकेगी। ऐसे तकनीकीविद् द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्थानीय निकाय से निर्धारित शुल्क, फीस के रूप में आवेदक से सीधे ही ली जा सकेगी।
- (iii) 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में वॉटर रिचार्जिंग, भूमि की संरचना के मध्यनजर वाटर रिचार्जिंग संरचना अथवा जल संचयन संरचना के संबंध में समुचित प्रावधान स्थानीय भू-विज्ञान विभाग के अथवा इस विषय के विशेषज्ञ के तकनीकी सहयोग से निर्धारित किये जा सकेंगे। इन संरचनाओं की स्थानीय निकाय द्वारा तकनीकी विषय विशेषज्ञ के माध्यम से समय-समय पर जॉच करवायी जा सकेगी एवं तकनीकी जॉच उपरान्त कमियां होने पर विकासकर्ता / रेजीडेन्स वेलफेयर एसोसिएशन (जैसा भी लागू हो) द्वारा सुधार करवाया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) जिन नगरीय क्षेत्रों में जल भराव क्षेत्र है, उन जल भराव क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण संरचनाएं बनाना अनिवार्य नहीं होगा। संबंधित प्राधिकरण / न्यास / नगरीय निकाय द्वारा ऐसे क्षेत्र चिह्नित किये जाने के पश्चात उपरोक्त अनिवार्यता नहीं रहेगी।

### 8.4 सौरऊर्जा संयंत्र (Solar Energy Plant) :-

- (i) 500 व.मी. से अधिक के क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूखण्डों में भवन निर्माण किये जाने पर भवन के सार्वजनिक क्षेत्रों यथा गलियारा, कोरिडोर, सीढ़ियां व अन्य कॉमन एरिया एवं लेण्ड स्केपिंग क्षेत्र आदि में विद्युत व्यवस्था (Roof Top Solar Energy Installations) हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना आवश्यक होगा।
- (ii) उपरोक्तानुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी व्यवस्था मौके पर सुनिश्चित नहीं किए जाने की दशा में आवासीय / संस्थागत भवन निर्माता से 50/- रुपये प्रति वर्गमीटर एवं अन्य उपयोग के भवन निर्माता से 100/- रुपये प्रति वर्गमीटर गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर पहले वर्ष में पेनल्टी ली जावेगी, इसके पश्चात अनुपालना नहीं होने पर पेनल्टी की राशि प्रतिवर्ष पूर्व वर्ष में देय राशि की दोगुनी वसूल की जावेगी।

### 8.5 सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल (Solid Waste Disposal) :-

तालिका-19

भवन की श्रेणी	कचरापात्रों की संख्या
फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग	प्रत्येक 30 फ्लेट्स अथवा आवास ईकाईयों अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा।
500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के वाणिज्यिक, संस्थानिक या अन्य गैर-आवासीय परिसर	500 वर्गमीटर गणना योग्य निर्मित क्षेत्र अथवा उसके अंश पर 2 कचरा पात्र का प्रावधान आवश्यक होगा।

नोट:-

- (i) उक्त दो कचरापात्र में से एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु रखा जाना होगा।
- (ii) भूतल पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण (Separation), भण्डारण (Storage/Collection), विकेन्द्रित प्रसंस्करण (Decentralised processing) के लिए एक अलग स्थल चिह्नित किया जाना होगा।
- (iii) ठोस कचरे का निस्तारण स्थानीय नगरीय निकाय के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करना होगा।

## 8.6 भवन निर्माण में पर्यावरणीय स्वीकृति

- (i) अनुसूची-3 के अनुसार यदि प्रस्तावित भवन में Environment Clearance, Consent to Establish, Consent to Operate प्राप्त किया जाना आवश्यक हो तो आवेदक/विकासकर्ता द्वारा उनके स्तर पर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना होगा एवं अनुसूची-3 में वर्णित अनुसार पूर्णता/अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने के समय प्रस्तुत किया जाना होगा। भवन मानचित्र अनुमोदन के समय आवेदक से नियमानुसार उपरोक्त स्वीकृतियां प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता हेतु शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) अनुसूची-4 में उल्लेखित पर्यावरणीय शर्तों की पालना की जानी होगी तथा पर्यावरण विभाग द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरूप ऐसे निर्माण जिनके लिए पर्यावरण स्वीकृति अनिवार्य है, बाबत संबंधित विभाग से स्वीकृति प्राप्त की जाकर ही निर्माण किया जा सकेगा। पर्यावरण की शर्तों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति की अनिवार्यता की छूट को यदि पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एवं अधिसूचित किया गया हो तो इस संबंध में पर्यावरण विभाग द्वारा पंजीकृत पर्यावरण तकनीकीविज्ञ से प्रमाण पत्र प्राप्त कर, सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत भवन मानचित्र में पर्यावरण विभाग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

## **9. विशेष योग्यजनों के लिये प्रावधान**

स्वतंत्र आवास के भवनों को छोड़कर अन्य सभी भवनों तथा पलैट्स/ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट में सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में शारीरिक रूप से विशेष योग्यजन व्यक्तियों हेतु निम्न सुविधा प्रदान करना होगा :—

### **9.1 प्रवेश पथ/उप पथ :—**

भवन परिसर द्वार तथा भूतल पार्किंग से भवन के प्रवेश द्वार तक पथ समतल, सीढ़ियां—रहित और न्यूनतम 1800 मि.मी. चौड़ा होगा। यदि कोई ढलान बनायी जाती है तो उसकी ढाल 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। फर्श निर्माण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जायेगा, जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को भली भांति प्रेरित या निर्देशित करने वाली हो (ये फर्श सामग्री रंगीन होगी, जिसका रंग एवं चमक आसपास के क्षेत्र की सामग्री से भिन्न हो और जिसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के पथदर्शन के लिये भिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्रावधान हो)। धरातल फिसलन रहित होगा तथा उसकी बनावट ऐसी होगी जिस पर पहियेदार कुर्सी आसानी से चल सके, जो भी मोड़ बनाये जायेंगे सामान्य धरातल के अनुरूप होंगे।

### **9.2 वाहन ठहराव (पार्किंग) स्थल :**

विशेष योग्यजन व्यक्तियों के वाहनों की पार्किंग हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी—

- (i) विशेष योग्यजनों के वाहनों के लिये परिसर प्रवेश के निकट, दो कारों के लायक भूतल पार्किंग बनाया जाएगा, जो भवन के प्रवेश द्वार से अधिकतम 30.0 मीटर की पैदल दूरी पर होगा।
- (ii) पार्किंग जगह की न्यूनतम चौड़ाई 3.6 मीटर होगी।
- (iii) उस स्थान पर “पहियेदार कुर्सी प्रयोक्ताओं हेतु आरक्षित” होने की सूचना बड़े साफ अक्षरों में लिखी जाएगी।
- (iv) पार्किंग स्थल पर ऐसा कोई संकेत या यंत्र लगाया जाएगा, जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु ध्वनि सूचना देने वाली हो अथवा इसी प्रयोजन वाली कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी।

### **9.3 भवन सम्बन्धी विशेष प्रावधान :**

विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिये भवन संबंधी संगत सुविधायें इस प्रकार होगी:—

#### **1. कुर्सी तल तक पहुंच मार्ग :**

सार्वजनिक कार्यालय एवं जन उपयोग के वाणिज्यिक भवनों, जैसा ऊपर उल्लेखित है, में विशेष योग्यजन के आने जाने के लिये एक प्रवेश द्वार अवश्य होना चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से संकेतों के साथ दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिये ढलान—सह सीढ़ीदार रास्ता बनाया जाएगा।

- (i) ढलानदार पहुंच मार्गः भवन में प्रवेश हेतु ढलान तल खुरदरी सामग्री से बनाया जाएगा। ढलान की चौड़ाई अधिकतम 1:12 ढाल देते हुए, न्यूनतम 1800 मि.मी. की होगी, ढलान की लम्बाई 9.0 मीटर से अधिक नहीं होगी, तथा इसके दोनों किनारों पर न्यूनतम 800 मि.मी. ऊंची रेलिंग होगी, जो ढाल के ऊपरी व निचले सिरे से 300 मि.मी. बाहर निकली हुई होगी। निकट की दीवार से रेलिंग के बीच न्यूनतम 50 मि. मी. तक का फासला होगा।
- (ii) सीढ़ीदार पहुंच मार्गः सीढ़ीदार पहुंच मार्ग हेतु पैडी (सीढ़ी पर पैर रखने की जगह) 300 मि.मी. से कम नहीं होगी और पैडी की ऊंचाई न्यूनतम 150 मि.मी. तक की होगी। ढलानदार पहुंच मार्ग की ही तरह सीढ़ीदार प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ न्यूनतम 800 मि.मी. ऊंची रेलिंग लगायी जायेगी।
- (iii) प्रवेश/निकास द्वारः प्रवेश द्वार का न्यूनतम फाट (खुलाव) 900 मि.मी. होगा तथा व्हील चेयर के आसान आवागमन की दृष्टि से उसमें कोई पैडी-पायदान नहीं होगा। दहलीज 12 मि.मी. से अधिक उठी हुई नहीं होगी।
- (iv) वाहन से उतरना-चढ़ना: वाहन से उतरने-चढ़ने का स्थल ढलान के निकट रखा जाएगा, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 1800 मि.मी. x 2000 मि.मी. होगा। ढलान संलग्न उतरने-चढ़ने का स्थल ऐसी फर्श सामग्री का होगा, जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को प्रेरित/निर्देशित कर सके (ये फर्श सामग्री रंगीन होगी, जिसकी रंग एवं चमक आस पास के क्षेत्र की फर्श सामग्री से भिन्न हो और जिसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के पथदर्शन के लिये भिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्रावधान हो)।
2. विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश/निकास द्वारों को जोड़ने वाला गलियारा : विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश/निकास द्वारों को जोड़ने तथा सीधे बाहर की ओर उस स्थान तक ले जाने वाला गलियारा, जहां पर कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को संबंधित भवन के उपयोग की जानकारी या तो किसी व्यक्ति द्वारा या संकेतों द्वारा मुहैया कराई जा सकती हो, इस प्रकार का होगा:
- (i) उसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के दिशा निर्देशन हेतु तल पर ही “पथ दर्शी” धन्यात्मक व्यवस्था की जाए या कोई यंत्र लगाया जाए, जिससे ध्वनि संकेत दिये जा सके।
  - (ii) गलियारे की न्यूनतम चौड़ाई 1500 मि.मी. होगी।
  - (iii) ऊंचा नीचा तल बनाये जाने की स्थिति में 1:12 ढाल वाले ढलान बनाये जायेंगे।
  - (iv) ढलानों/ढलान मार्गों पर रेलिंग लगायी जायेगी।
3. सीढ़ीदार मार्ग : सीढ़ी वाले मार्गों में से विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश/निकास द्वार के निकट के मार्ग में निम्नलिखित प्रावधान होंगे।

- (i) न्यूनतम चौडाई 1350 मि.मी. होगी।
- (ii) सीढ़ी की ऊंचाई और चौडाई क्रमशः 150 मि.मी. व 300 मि.मी. से अधिक नहीं होगी और पैडी के सिरे चिकने—नुकीले नहीं होंगे।
- (iii) एक उठान—सीढ़ी (Flight) में 1:12 से अधिक सीढ़ियां नहीं होगी।
- (iv) सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगायी जायेगी तथा ये पूरी सीढ़ी पर ऊपर से नीचे तक 300 मि.मी. बाहर निकली हुई होगी।

**4. लिफ्ट :** जहां कहीं इन विनियमों के अनुसार लिफ्ट आवश्यक हैं, वहां कम से कम एक लिफ्ट पहियेदार कुर्सी प्रयोक्ता हेतु होगी। इस प्रयोजनार्थ लिफ्ट के लिये संस्तुत ढांचा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा न्यूनतम 13 व्यक्तियों की क्षमता वाली लिफ्ट के अनुसार आवश्यक होगा जो कि निम्नानुसार है।

अन्दर की गहराई – 1100 मि. मी.
अन्दर की चौडाई – 2000 मि. मी.
प्रवेश द्वार की चौडाई – 900 मि. मी.

- (i) लिफ्ट के अन्दर ध्वनि संकेत होंगे, जो लिफ्ट पहुंचने वाले तल तथा लिफ्ट से बाहर—भीतर जाने—आने हेतु लिफ्ट द्वार के खुलने या बन्द होने का संकेत देंगे।
- (ii) भवनों में प्रत्येक लिफ्ट में एआरडी (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।

**5. शौचालय: –** शौचालय—सेट में एक कमोडदार शौचालय विशेष योग्यजनों के लिये होगा, जिसमें विशेष योग्यजनों की सुविधा के अनुसार, शौचालय द्वार के निकट वाश बेसिन होगा।

- (i) इस शौचालय का न्यूनतम आकार 1500 मि.मी. x 1750 मि.मी. होगा।
- (ii) दरवाजे का न्यूनतम फाट 900 मि.मी. होगा तथा यह बाहर की ओर खुलेगा।
- (iii) शौचालय में दीवार से 50 मि.मी. की दूरी पर अच्छी तरह खड़ी/समानान्तर रेलिंग लगी होगी।
- (iv) कमोड की सीट धरातल से 500 मि.मी. ऊंचा होगी।

**6. पेयजल:** विशेष योग्यजनों के लिये पेयजल की व्यवस्था उनके इस्तेमाल वाले शौचालयों के निकट ही की जाएगी।

**7. बच्चों के लिये आवश्यक मापदण्ड :** पूर्णतः बच्चों के उपयोग के भवनों (बाल भवनों) में बच्चों के कद आदि को ध्यान में रखकर रेलिंग व सजावटी सुविधा साधनों में घट—बढ़ करना जरूरी होगा। साथ ही शिशुओं हेतु बाल नर्सिंग रूम/चाइल्ड केयर रूम का प्रावधान किया जाना होगा।

## 10. अन्य प्रावधान (Other Provisions)

1. दूरसंचार यथा— पेजिंग, सेल्यूलर मोबाइल, सेटेलाइट टी.वी. आदि के लिए टावर का निर्माण संबंधित स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
2. मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल किसी उपयोग के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल हेतु आधार माना जायेगा। जैसे रिसोर्ट हेतु किसी भूखण्ड का भू-पट्टी समर्पण से पूर्व क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर था परन्तु भू-पट्टी समर्पण के पश्चात् (चाहे सड़क चौड़ी करने के लिये हो) भूखण्ड का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो जाता है तो भी ऐसे भूखण्ड पर रिसोर्ट हेतु अनुमति देय होगी बशर्ते भूखण्ड अन्य शर्तें पूरी करता हो।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना, राजस्थान पर्यटन नीति, कच्ची बस्ती पुर्नविकास हेतु प्रभावी नीति व राज्य सरकार की अन्य विशिष्ट नीतियों आदि अनुसार देय मानदण्ड, लाभ, शिथिलताएँ इन भवन विनियमों के मानदण्डों से सर्वोपरि होकर तदनुरूप अनुज्ञेय होगी।
4. नगरीय क्षेत्र के स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उल्लेखित किसी प्रावधान तथा इन भवन विनियमों में किसी प्रावधान में भिन्नता/विरोधाभाष की स्थिति में स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रावधान सर्वोपरि होंगे।
5. रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना के रख—रखाव तथा वृक्षारोपण एवं रख—रखाव के प्रावधान हेतु निर्देशित:-
  - (i) रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना:- प्रत्येक भूखण्डधारी द्वारा विनियम संख्या— 8.1 के प्रावधान के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
    - उक्त संरचनाओं के रख—रखाव हेतु स्थानीय निकाय द्वारा प्रति इकाई प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित कर शुल्क निर्धारित कर नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक संरचना के (जोनवार/क्षेत्रवार/वार्डवार/कॉलोनीवार जैसा भी निर्धारित किया जावे) रख रखाव हेतु अधिकृत किया जावेगा।
    - उक्त कार्य हेतु नगर पालिका/निजी सफाई कर्मियों/इच्छुक कर्मियों का पैनल तैयार कर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जावेगी।
    - निर्धारित रखरखाव शुल्क का उपरोक्त कार्य हेतु पंजीकृत व्यक्ति को भुगतान किया जावेगा एवं प्रत्येक वर्ष संरचना के चालू होने की सूचना संबंधित नगरीय निकाय को ऑनलाईन/ऑफलाईन उपलब्ध करवायी जावेगी।

**(ii) वृक्षारोपण कार्य** :— प्रत्येक भूखण्डधारी द्वारा विनियम संख्या 8.5 के प्रावधान के तहत वृक्षारोपण किया जाना किया अनिवार्य होगा।

- संबंधित भूखण्डधारी/एसोसिएशन/निजी विकासकर्ता आदि जैसी भी स्थिति हो से वृक्षारोपण एवं इनके रखरखाव हेतु स्थानीय निकाय द्वारा प्रति वृक्ष, प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित कर वसूल किया जायेगा।
- उक्त कार्य हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा उद्यानिकी/वृक्षारोपण का कार्य करने में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों/समूहों/संस्थाओं आदि का पैनल तैयार कर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जावेगी।
- नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक भूखण्डधारी द्वारा वृक्षारोपण कार्य में सहयोग हेतु तैयार किये गये पैनल में से जोनवार/ क्षेत्रवार/ वार्डवार/ कॉलोनीवार प्रति वृक्ष/ पौधारोपण एवं इसके वार्षिक रखरखाव हेतु शुल्क निर्धारित किया जाकर व्यक्तियों/समूहों/ संस्थाओं को अधिकृत किया जावेगा।
- संबंधित भूखण्डधारी द्वारा भी अपने स्तर पर पैनल में से अथवा अपने स्त्रातों से यह सेवाएं ली जा सकेंगी।

**नोट** :— भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा संबंधित प्रावधान, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें, भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत में जिन विषयों पर ब्यौरा यहां नहीं दिया गया है, वे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।

## 11. भवन निर्माण स्वीकृति हेतु सक्षम संस्था (Competent Authority) व सक्षम स्तर (Competent Level)

11.1 नगरीय क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न संस्थाओं द्वारा भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जावेगी :—

**तालिका—20**

क्र. सं.	क्षेत्र	सक्षम संस्था
1	एस—1 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों के आबादी क्षेत्रों में समस्त उपयोगों के भवन	ग्राम पंचायत के प्राधिकृत अधिकारी
2	एस—2, एस—3, एस—4, एस—5 व एस—6 क्षेत्रों में समस्त उपयोगों के भवन	संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरणों के प्राधिकृत अधिकारी
3	आवासन मण्डल क्षेत्र में समस्त उपयोगों के भवन	आवासन मण्डल का प्राधिकृत अधिकारी
4	रीको के औद्योगिक क्षेत्र में समस्त उपयोगों के भवन	रीको का प्राधिकृत अधिकारी
5	आवासन मण्डल/रीको की ऐसी योजनाएँ जो संबंधित स्थानीय निकाय को हस्तातिरित कर दी गई हो	संबंधित स्थानीय के प्राधिकृत अधिकारी
6	एस—4, एस—5 व एस—6 क्षेत्रों में औद्योगिक उपयोग के भवन	संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरणों के प्राधिकृत अधिकारी

### 11.2 सक्षम अधिकारी (Competent Officer) :—

भूखण्ड के क्षेत्रफल एवं भवन की ऊँचाई के आधार पर भवन निर्माण स्वीकृति / मानचित्र जारी किये जाने हेतु निम्न अधिकारी सक्षम होंगे :—

**तालिका—21**

क्र. सं.	स्तर	सक्षमता
1	सहायक नगर नियोजक	750 वर्गमीटर तक
2	उप नगर नियोजक	2500 वर्गमीटर तक (40 मीटर ऊँचाई तक)
3	वरिष्ठ नगर नियोजक	5000 वर्गमीटर तक (40 मीटर ऊँचाई तक)
4	निकाय में गठित भवन मानचित्र समिति	5000 वर्गमीटर से अधिक अथवा 40 मीटर ऊँचाई से अधिक (उपलब्ध फायरलेडर की ऊँचाई तक)
5	राज्य सरकार	विशेष प्रकृति के प्रकरण

**नोट :—**

- (i) उच्च स्तर के नगर नियोजक अधिकारी कनिष्ठ स्तर के अधिकारी पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में उसकी सक्षमता के भवन मानचित्र अनुमोदित कर सकेंगे।
- (ii) राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट समस्त क्षेत्रों (आवासन मण्डल एवं रीको क्षेत्र को छोड़कर) 2500 व.मी. तक के भूखण्डों एवं अधिकतम 15 मी. ऊँचाई तक के भवनों

के भवन मानचित्र अनुमोदन करने हेतु अनुसूची-7 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अधिकृत होंगे।

### 11.3 भवन मानचित्र समिति (Building Plan Committee) :-

- (i) विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास हेतु भवन मानचित्र समिति निम्नानुसार होगी—

विकास प्राधिकरण हेतु भवन मानचित्र समिति		
1	आयुक्त, प्राधिकरण	अध्यक्ष
2	सचिव, प्राधिकरण	सदस्य
3	निदेशक, नगर आयोजना	सदस्य
4	संबंधित अतिरिक्त आयुक्त / जोन— उपायुक्त	सदस्य
5	पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक / वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य सचिव
6	उप नगर नियोजक (प्राधिकरण द्वारा अधिकृत)	सदस्य

नगर विकास न्यास हेतु भवन मानचित्र समिति		
1	सचिव, नगर विकास न्यास	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ नगर नियोजक अथवा न्यास में पदस्थापित वरिष्ठतम् नगर नियोजक	सदस्य सचिव
3	न्यास में पदस्थापित उप नगर नियोजक	सदस्य
4	न्यास द्वारा अधिकृत अभियंता	सदस्य

- (ii) नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गठित भवन मानचित्र समिति अथवा समिति गठित नहीं होने की स्थिति में निम्नानुसार —

नगर निगम हेतु भवन मानचित्र समिति		
1	आयुक्त, नगर निगम	अध्यक्ष
2	नगर निगम में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक अथवा पदस्थापित वरिष्ठतम् नगर नियोजक	सदस्य सचिव
3	संबंधित जोन— उपायुक्त	सदस्य
4	नगर निगम द्वारा अधिकृत उप नगर नियोजक	सदस्य

नगर परिषद / नगर पालिका हेतु भवन मानचित्र समिति		
1	आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
2	निकाय द्वारा अधिकृत अभियंता	सदस्य
3	निकाय में पदस्थापित अथवा अधिकृत सहायक नगर नियोजक / नगर नियोजन सहायक (सहायक नगर नियोजक / नगर नियोजन सहायक पदस्थापित नहीं हो तो निकाय में पदस्थापित वरिष्ठ प्रारूपकार को स्थानीय निकाय द्वारा सदस्य सचिव के रूप में अधिकृत किया जा सकेगा)	सदस्य सचिव

नोट :—उक्त समितियों के गठन पश्चात विभिन्न स्थानीय निकायों में कार्यरत भवन मानचित्र समितियाँ / जोन स्तर समितियाँ उपरोक्तानुसार पुनर्गठित मानी जावेगी एवं समस्त नगरीय निकायों द्वारा तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

## 12. विशेष शक्तियां:-

- 12.1 इन विनियमों के विषय पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों के आधार पर जारी किये जाने वाले आदेश/अधिसूचना, इन विनियमों के भाग समझे जायेंगे। इन विनियमों के किसी प्रावधान की तकनीकी व्याख्या करने, व्यावहारिक कठिनाई को दूर करने या विसंगतियों को दूर करने, भ्रांति, अस्पष्टता होने अथवा टंकण/लिपिकीय त्रुटि की स्थिति में मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान अपने स्तर से स्पष्टीकरण/शुद्धिकरण जारी करने हेतु अधिकृत होंगे।
- 12.2 ऐसे भवन जिस बाबत इन विनियमों में मानदण्ड निर्धारित नहीं है उनके मापदण्ड निर्धारित करने अथवा इन भवन विनियमों में संशोधन करने हेतु निम्न समिति द्वारा अभिशंषा उपरान्त राज्य सरकार के स्तर से आदेश जारी किये जायेंगे।

**तालिका-22**

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	अध्यक्ष
निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
निदेशक, आयोजना, जविप्रा	सदस्य
नगरीय विकास विभाग में पदस्थापित वरिष्ठतम् नगर नियोजक	सदस्य सचिव
अध्यक्ष / सचिव, Indian Institute of Architects, राजस्थान चैप्टर	विशेष आमंत्रित सदस्य
समिति द्वारा स्थानीय निकाय, अन्य विषय विशेषज्ञों, विकासकर्ताओं के प्रतिनिधियों को आवश्यकता अनुसार आमंत्रित किया जा सकेगा।	

- 12.3 इन विनियमों के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृति के किसी प्रकरण में विकासकर्ता एवं संबंधित नगरीय निकाय के मध्य विवाद होने की स्थिति में उपरोक्त समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे तथा इस कमेटी की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।
- 12.4 इन विनियमों के अन्तर्गत देय किसी भी भवन मापदण्ड में शिथिलता यथा सैटबैक्स, आच्छादन, भवन ऊँचाई, बी.ए.आर., पार्किंग आदि तथा विशेष परिस्थिति में देय शुल्क में शिथिलता माननीय मन्त्री, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के अनुमोदन पश्चात राज्य सरकार द्वारा दी जा सकेगी।

### **13. भवन निर्माण स्वीकृति हेतु अनुमति, प्रक्रिया एवं वैद्यता**

---

- 13.1 नगरीय क्षेत्र में कोई भी भवन निर्माण सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति अनुसार ही किया जा सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र / मानचित्रों के अनुसार ही भवन निर्माण कार्य किया जाना होगा।
- 13.2 पट्टे के साथ जारी भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रक्रिया :-
- (i) 500 व.मी. तक किसी भी उपयोग के भूखण्डों के पट्टे जारी किये जाने के साथ भूतल + प्रथम तल (अधिकतम 8 मी. ऊँचाई) की स्वीकृति जारी की जानी होगी। इससे अधिक की स्वीकृति चाहे जाने पर इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी एवं इस मद में जमा राशि का समायोजन करते हुये अतिरिक्त अनुज्ञेय निर्माण हेतु नियमानुसार राशि देय होगी।
  - (ii) परन्तु एस-2(चार दीवारी) क्षेत्र / एयरपोर्ट से 2 कि.मी की परिधि / एयरपोर्ट अर्थात् द्वारा जारी कलर कॉडेड जोनिंग मैप (CCZM) में रेड जोन में / आर्मी एरिया से 100 मी. की परिधि / एस-5 क्षेत्र (निर्धारित विशेष क्षेत्रों एवं विशेष सड़कों) / अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र में पट्टा के साथ निर्माण स्वीकृति नहीं दी जावेगी। उक्त क्षेत्रों में इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जानी होगी।
- 13.3 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रक्रिया :-
- (i) विनियम 13.2(ii) में उल्लेखित क्षेत्रों को छोड़कर शेष नगरीय क्षत्रों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के सभी उपयोगों के भूखण्डों अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित होने पर भवन मानचित्र अनुमोदन करवाया जाना अनिवार्य नहीं होगा।
  - (ii) उक्त भूखण्डों पर अनुसूची—..... में निर्धारित चेकलिस्ट में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों को आवेदक द्वारा एवं पंजीकृत वास्तुविद / तकनीकीविद द्वारा प्रमाणित करवाकर संबंधित निकाय में प्रस्तुत करने एवं प्रस्तावित मानचित्रों के क्षेत्रफल के आधार पर समस्त देय राशि जमा करने के पश्चात भवनों का निर्माण किया जा सकेगा।
  - (iii) आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त दस्तावेजों मय शुल्क की प्राप्ति की सुनिश्चितता उपरान्त स्थानीय निकाय द्वारा दस्तावेजों की प्राप्ति दिनांक से 03 दिवस में प्रारूप..... में प्राप्ति सूचना पत्र (Acknowledgement Letter) जारी किया जाना होगा।
  - (iv) आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों में दर्शित निर्माण क्षेत्र से अधिक निर्माण किया जाना प्रस्तावित होने पर अधिक प्रस्तावित क्षेत्र पर नियमानुसार शुल्क एवं संशोधित भवन मानचित्र स्थानीय निकाय में जमा करवाया जाना होगा अन्यथा बिना शुल्क जमा कराये गये अधिक निर्मित क्षेत्र पर नियमानुसार शास्ती देय होगी।
  - (v) मौके पर भवन विनियमों के विपरीत किये गये निर्माण को अनाधिकृत की श्रेणी में मानते हुए स्थानीय निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जानी होगी।

- 13.4 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधिक के भूखण्डों पर स्थानीय निकाय द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रक्रिया :—
- (i) 500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूखण्डो पर भवन मानचित्र अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् ही निर्माण किया जाना होगा।
  - (ii) ऐसे प्रकरणों में स्थानीय निकाय स्तर पर विनियम 11.2 में उल्लेखित सक्षमता अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन किये जा सकेंगे।
  - (iii) भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक द्वारा अनुसूची—.....में निर्धारित चेकलिस्ट / ऑनलाईन आवेदन में उल्लेखित समस्त दस्तावेज / सूचनाएँ ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा भवन मानचित्रों एवं अन्य समस्त आवश्यक दस्तावेजों का एक सेट हार्डकॉपी रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत किया जाना होगा।
  - (iv) **अनुसूची—.....** के अनुसार भवन मानचित्र प्रस्तुत किये जाने होगा। कार्डसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत वास्तुविद / इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का सहयुक्त सदस्य द्वारा ही तैयार किये गये मानचित्र स्वीकार किये जायेंगे। ऐसे पंजीकृत वास्तुविद भवन मानचित्रों पर अपना नाम, पता और पंजीयन संख्या अंकित करते हुए हस्ताक्षर करेंगे। आवेदक द्वारा भी भवन मानचित्रों पर हस्ताक्षर किये जाने होंगे।
  - (v) आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जांच फीस जमा करवाकर प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
  - (vi) भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य सूचना चाहे जाने पर उसे उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
  - (vii) आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से अधिकतम 15 कार्य दिवस में मौका रिपोर्ट एवं समस्त दस्तावेजों व मानचित्रों की जांच की जानी होगी एवं सही पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा मांग पत्र जारी किया जाना होगा। अन्यथा कमी पूर्ति हेतु आवेदक को सूचित किया जाना होगा।
  - (viii) आवेदक द्वारा कमी पूर्ति 15 दिवस में पूर्ण की जानी होगी। यदि आवेदक द्वारा 15 दिवस में कमी पूर्ति नहीं की जाती है तो स्थानीय निकाय द्वारा एक स्मरण पत्र जारी किया जावेगा। आवेदक द्वारा स्मरण पत्र जारी दिनांक से 15 दिवस में भी कमी पूर्ति नहीं की जाती है तो प्राप्त आवेदन को निरस्त कर जांच शुल्क जब्त किया जावेगा।
  - (ix) आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में उक्त मांग पत्र में उल्लेखित राशि / दस्तावेज स्थानीय निकाय में जमा करवाया जाकर सक्षम अधिकारी को सूचित किया जाना होगा। मांग पत्र जारी दिनांक से 180 दिवस में मांग राशि जमा ना होने पर प्राप्त आवेदन को निरस्त कर जांच शुल्क जब्त किया जावेगा एवं आवेदक द्वारा पुनः भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।
  - (x) मांग राशि / दस्तावेज जमा होने की दिनांक से अधिकतम 07 कार्यदिवस में भवन मानचित्र स्वीकृति जारी किया जाना आवश्यक होगा।

- (xi) नगरीय निकाय द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार आवेदक द्वारा देय सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात यदि 07 कार्य दिवसों में अनुमोदित भवन मानचित्र जारी नहीं किये जाते हैं तो भूखण्ड पर भवन विनियमों के अनुरूप निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने पर ऐसे निर्माण को बिना स्वीकृति निर्माण नहीं माना जावेगा एवं सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा।
- 13.5 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधिक के भूखण्डों पर राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रक्रिया :—
- (i) आवासन मण्डल क्षेत्र, रीको क्षेत्र एवं विनियम 13.2(ii) में उल्लेखित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य समस्त क्षेत्रों में 500 व.मी. से अधिक एवं 2500 व.मी. तक के भूखण्डों पर अधिकतम 15 मी. ऊँचाई तक के भवनों के भवन मानचित्र अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा किये जा सकेंगे।
  - (ii) भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु पंजीकृत वास्तुविद् को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक द्वारा अनुसूची—.....में निर्धारित चेकलिस्ट में उल्लेखित समस्त दस्तावेज / सूचनाएँ हार्डकॉपी में प्रस्तुत की जानी होगी।
  - (iii) पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा समस्त दस्तावेजों एवं भवन मानचित्रों की नियमानुसार जांच कर सही पाये जाने पर आवेदक को मांग पत्र जारी किया जाना होगा।
  - (iv) आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय में मांग राशि जमा करवाकर रसीद की प्रति पंजीकृत वास्तुविद् को प्रस्तुत की जानी होगी।
  - (v) मांग राशि की रसीद / समस्त आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृति जारी की जावेगी।
  - (vi) आवेदक द्वारा पंजीकृत वास्तुविद् से प्राप्त भवन मानचित्र स्वीकृति मय अनुसूची—..... में उल्लेखित समस्त दस्तावेज मय मांग राशि रसीद नगरीय निकाय में जमा करवाये जाने होंगे।
  - (vii) आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा जारी भवन निर्माण स्वीकृति मय समस्त दस्तावेजों व शुल्क की प्राप्ति की सुनिश्चितता उपरान्त स्थानीय निकाय द्वारा दस्तावेजों की प्राप्ति दिनांक से 07 दिवस में प्रारूप..... में प्राप्ति सूचना पत्र (Acknowledgement Letter) जारी किया जाना होगा।
  - (viii) आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय से प्राप्ति सूचना पत्र (Acknowledgement Letter) प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा अन्यथा Acknowledgement Letter प्राप्त किये बिना मौके पर किये गये निर्माण को बिना स्वीकृति निर्माण श्रेणी में माना जाकर नियमानुसार शास्ती देय होगी एवं स्थानीय निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
  - (ix) पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा जारी भवन मानचित्र स्वीकृति का स्थानीय निकाय द्वारा एक पृथक रजिस्टर में अंकन किया जाकर रिकॉर्ड हेतु संधारण किया जाना आवश्यक होगा।

### 13.6 निम्न प्रकार के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी :—

यदि इन कार्यों/परिवर्तनों से भवन विनियमों के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो —

- (i) भवन मानचित्र प्राप्त किये जाने के पश्चात निर्माण के दौरान आंतरिक परिवर्तन जिससे सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं बी.ए.आर. में परिवर्तन नहीं होता हो। परन्तु रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट के अनुमोदित मानचित्रों में संशोधन किये जाने पर रेरा के प्रावधान अनुसार प्रोजेक्ट के आवंटियों से आवश्यक सहमति (Consent) प्राप्त कर संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित करवाया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) बागवानी, फिनिशिंग कार्य यथा सफेदी, रंगाई, पुनः टाइल्स अथवा पुनः छत बनवाने, प्लास्टर करने, पुनः फर्श बनवाने, स्वयं के स्वामित्व की भूमि में छज्जा निर्माण कराने आदि।
- (iii) प्राकृतिक विपदा के कारण नष्ट हुए भवन को उस सीमा तक जिस सीमा तक नष्ट होने से पूर्व निर्माण था।
- (iv) सुरक्षा की दृष्टि से 2.4 मीटर तक ऊंचाई की बाउण्ड्रीवाल तथा बाउण्ड्रीवाल पर 1 मीटर ग्रिल/फेन्सिंग, हेतु।
- (v) पानी के भण्डारण हेतु टेंक/सेपिटक टेंक/कुई आदि
- (vi) कूलिंग प्लान्ट/सोलर प्लान्ट
- (vii) भवन से संबंधित सेवायें एवं सुविधायें जैसे वातानुकूलन, आग से बचाव, वर्षा जल संग्रहण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, चौकीदार कक्ष इत्यादि।
- (viii) भवन में अग्निशमन सुरक्षा/चिकित्सीय आवश्यकता हेतु आवश्यक सीढ़ियाँ/रेम्प निर्माण।

### 13.7 अनुमोदित भवन मानचित्रों की वैद्यता अवधि :—

- (i) भवन मानचित्रों की अनुज्ञा अवधि, भवन मानचित्र स्वीकृति जारी किये जाने की दिनांक से सात वर्ष देय होगी।
- (ii) निर्धारित अवधि के पश्चात भी निर्माण पूर्ण नहीं होने पर अनुमोदन शुल्क की 20 प्रतिशत राशि लेकर 2 वर्ष के लिए भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
- (iii) तत्पश्चात् भी निर्माण पूर्ण नहीं होने पर पूर्व में अनुज्ञा अवधि बढ़ाई जाने हेतु जमा शुल्क की दोगुनी राशि ली जा कर आगामी 2-2 वर्ष के अनुसार अनुज्ञा अवधि बढ़ाई जा सकती है।

### 13.8 संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु :—

- (i) स्थानीय निकाय अथवा पंजीकृत वास्तुविद् से भवन मानचित्र अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् विनियम 13.6 में उल्लेखित निर्माण कार्यों के अतिरिक्त यदि अनुमोदित भवन मानचित्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो विकासकर्ता को संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

- (ii) संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित करवाये बिना यदि मौके पर अनुमोदित मानचित्रों से अतिरिक्त निर्माण किया जाता है तो ऐसे किये गये अतिरिक्त निर्माण पर नियमानुसार बिना अनुमति निर्माण शास्ती देय होगी।
  - (iii) संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया विनियम 13.4 / 13.5 के अनुसार ही होगी।
  - (iv) रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट के अनुमोदित मानचित्रों में संशोधन किये जाने पर राजस्थान रियल स्टेट (डवलपमेन्ट एण्ड रेग्यूलेशन) एकट, 2016 धारा 14 हेतु निम्नानुसार आवंटियों की सहमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही संशोधित मानचित्रों का अनुमोदन किया जा सकेगा :—
    - धारा 14(2)(i) के अनुसार किसी भी आवंटित इकाई में संशोधन / विस्तार प्रस्तावित किये जाने पर ऐसे समस्त आवंटियों की सहमति विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जानी होगी।
    - धारा 14(2)(ii) के अनुसार परियोजना के कॉमन एरिया / सुविधाओं आदि में संशोधन / विस्तार प्रस्तावित किये जाने पर दो—तिहाई (2 / 3<sup>rd</sup>) आवंटियों के सहमति विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जानी होगी।
- विकासकर्ता से उक्तानुसार सहमतियों के साथ परियोजना में आदिनांक तक कुल आवंटियों की संख्या घोषित करने हेतु शपथ पत्र भी लिया जाना होगा।

## 14. निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

14.1 भवन मानचित्रों के अनुमोदन पश्चात् मौके पर भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर निम्नानुसार व्यौरा जो की पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकें।

**तालिका—23**

क्र.सं.	व्यौरा	विवरण
(i)	प्रोजेक्ट का नाम	
(ii)	विकासकर्ता का नाम	
(iii)	प्रोजेक्ट का उपयोग	
(iv)	भूखण्ड के क्षेत्रफल	
(v)	मंजिलों की संख्या	
(vi)	सर्पक हेतु मो. नम्बर	
(vii)	रेसा रजिस्ट्रेशन नम्बर (यदि लागू हो तो)	
(viii)	रेसा का वेबसाईट एडरेस (यदि लागू हो तो)	

14.2 आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन/प्रवर्तन अधिकारी/सचिव/अधिशासी अधिकारी द्वारा समय—समय पर भवन निर्माण का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा बहुमंजिले एवं अन्य विशेष प्रकृति के भवनों में अतिरिक्त सूचना निर्माण कार्य के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा यदि आवश्यक समझा जाये तो मांगी जा सकती है।

14.3 भवन विनियमों के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

14.4 भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आस पास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवायें जावें।

14.5 भवनों को जोखिम के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है।

(i) **कम जोखिम के भवन' (Low risk building)** —500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड एवं ऐसे भूखण्ड जिन पर अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक ही अनुज्ञेय हो (यथा रिसोर्ट, मोटल, फार्म हाउस, पर्यावरण मैत्री आवास आदि) क्षेत्रफल तक के 15 मी. ऊँचाई तक के समस्त उपयोग के भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन।

(ii) **मध्यम जोखिम के भवन' (Medium risk building)** —500 व.मी. क्षेत्रफल से अधिक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक 15 मीटर तक की ऊँचाई के समस्त उपयोग के भवन।

(iii) **अधिक जोखिम के भवन' (High risk building)** — 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के समस्त उपयोग के भवन।

14.6 मध्यम जोखिम (Medium Risk Building)/अधिक जोखिम (High Risk Building) भवनों में प्लिन्थ लेवल निरीक्षण पंजीकृत वास्तुविद्/तकनीकीविद् अधिकृत होंगे।

## **15. पूर्णता प्रमाण—पत्र (Completion Certificate) एवं अधिवास प्रमाण—पत्र (Occupancy Certificate)**

---

- 1. निम्न भवनों हेतु पूर्णता / अधिवास प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा :—**
  - (i) स्वतंत्र आवास / फार्म हाउस के भूखण्डों को छोड़कर फ्लेट्स / ग्रुप हाउसिंग एवं 500 वर्गमीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूखण्डों पर भवन का निर्माण पूरा होने पर भवन निर्माणकर्ता को पूर्णता प्रमाण—पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
  - (ii) रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड ड्वलपमेंट) अधिनियम, 2016 एवं इसके तहत बनाये गये राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड ड्वलपमेंट) नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत रेसा में पंजीकृत योजना होने पर पूर्णता प्रमाण—पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 2. निम्न निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पूर्णता / अधिवास प्रमाण—पत्र प्राप्त जारी किया जाना होगा :—**
  - (i) भवन में सिविल वर्क (मेसनरी व आरसीसी वर्क), प्लास्टर, खिड़की व दरवाजे / स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग वर्क, सेन्टरी व बिजली पानी फिटिंग, रेलिंग, लिफ्ट, फ्लोरिंग, सामुदायिक सुविधाओं, सर्विसेज आदि का निर्माण अनुमोदित मानचित्र अनुसार पूर्ण होने एवं अनुसूची—..... के अनुसार आवश्यक एनओसी / सर्टिफिकेट की सुनिश्चितता पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना होगा।
  - (ii) यदि मौके पर अनुमोदित भवन मानचित्रों से भिन्न निर्माण किया गया है तो सर्व—प्रथम मौके पर किये गये निर्माण के अनुसार संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन करवाया जाकर ही तदानुसार पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी किया जाना होगा।
  - (iii) पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात् योजना में साईनेजेज, लेण्डस्केपिंग, प्लांटेशन आदि उपलब्ध होने पर व भवन में आवश्यक सुविधाएँ यथा बिजली, पानी, सीवरेज, गैस आदि कनेक्शन संबंधित विभाग से प्राप्त किये जाने एवं अनुसूची—3 के अनुसार आवश्यक एनओसी / सर्टिफिकेट की सुनिश्चितता पश्चात् भवन रहवास के लिये उपयुक्त पाये जाने पर अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाना होगा।
  - (iv) ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्टों में भवन पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी करते समय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु आवश्यक संरचना का निर्माण प्रोजेक्ट में किया जाना अनिवार्य होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु मशीनरी की स्थापना विकासकर्ता द्वारा पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा प्रोजेक्ट में निर्मित आवासीय इकाईयों में से कम से कम 30 प्रतिशत इकाईयों का वास्तविक उपयोग क्रेताओं द्वारा प्रारम्भ करने (अर्थात् कम से कम 30 प्रतिशत इकाईयों में नियमित विद्युत उपयोग हेतु बिजली कनेक्शन स्थापित हो), जो भी कम हो, पर किया जाना अनिवार्य होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु मशीनरी स्थापित कर इसका

सुचारू संचालन प्रारम्भ किये जाने की अंतरिम अवधि में विकासकर्ता द्वारा स्थानीय निकाय/प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निर्धारित मानदण्डों अनुसार अन्य विधि/प्रक्रिया द्वारा प्रोजेक्ट में सीवरेज डिस्पोजल का प्रबंध करना अनिवार्य होगा। इस हेतु विकासकर्ता से शपथ—पत्र प्राप्त किया जावेगा।

- (v) अधिवास प्रमाण—पत्र जारी होने के 3 माह के अंदर Consent to Operate पर्यावरण विभाग से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

**3. आंशिक पूर्णता/आंशिक अधिवास प्रमाण—पत्र जारी किये जाने हेतु :—**

- (i) यदि किसी भूखण्ड मे एक से अधिक बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण प्रस्तावित हो तो आंशिक पूर्णता प्रमाण—पत्र के लिए आवेदन किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक के लिए जिसका निर्माण बिन्दु संख्या 15.2(i) के अनुसार पूर्ण हो गया हो, पृथक रूप से भी किया जा सकता है। लेकिन किसी बिल्डिंग ब्लॉक का पार्ट भाग के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाण—पत्र नहीं दिया जायेगा। आंशिक पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्रोजेक्ट में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण भी पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
- (ii) भूखण्ड पर आंशिक पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के पश्चात् यदि प्रोजेक्ट की समस्त आवश्यक सुविधाएँ यथा बिजली, पानी, सीवरेज, गैस आदि कनेक्शन संबंधित विभाग से प्राप्त किये जाने एवं अनुसूची-3 के अनुसार आवश्यक एनओसी/सर्टिफिकेट की सुनिश्चितता पश्चात् आंशिक भाग यदि रहवास के लिये उपयुक्त पाये जाने पर आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाना होगा।

**4. पूर्णता / अधिवास प्रमाण—पत्र जारी किये जाने की सक्षमता :-**

विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित मानचित्र अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने पर संबंधित निकाय से विनियम 11.2 के अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत वास्तुविद से अनुसार पूर्णता / अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा।

## 16. दण्डात्मक व्यवस्था (Penalty/Punishment Provision)

---

1. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है एवं इसे आंशिक या पूर्णरूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
2. ऐसे किसी पंजीकृत तकनीकीविद, जिसके द्वारा व्यवसाय की आचरण संहिता का उल्लंघन किया जाना अथवा गलत कथन किया जाना अथवा किसी सारवान तथ्य को गलत प्रस्तुत किये जाना अथवा सारवान तथ्यों को छुपाये जाना पाया जाता है, के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीयन निलम्बित/रद किया जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
3. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये सम्बन्धित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रशंगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।
5. भूखण्ड पर भवन का निर्माण, भवन निर्माण स्वीकृति लेकर कार्य आरंभ कर निर्धारित अवधि (भूखण्ड के लीजडीड जारी होने के 07 वर्ष की अवधि) में स्वीकृति मानचित्र अनुसार अधिकतम भू-आच्छादित क्षेत्र का स्वतंत्र भूखण्डों में एक ईकाई निर्माण एवं अन्य भूखण्डों में भूखण्ड के अधिकतम भू-आच्छादित क्षेत्र का 1/5 भाग का निर्माण किया जाना होगा। भूखण्ड पर एक ईकाई अथवा भूखण्ड के अधिकतम भू-आच्छादित क्षेत्र का 1/5 भाग का निर्माण होने की स्थिति में पट्टे की निर्धारित निर्माण अवधि की शर्त का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।
6. यदि जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व में रूपांतरित भूमि पर आवेदक द्वारा इन भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप/वरिष्ठ नगर नियोजक, संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय/जिला नगर नियोजक द्वारा प्रेषित तकनीकी राय के आधार पर निर्माण कार्य किया गया है तथा वर्तमान में नगरीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने के कारण आवेदक द्वारा यदि भवन मानचित्र अनुमोदन/संशोधन/पूर्णता प्रमाण-पत्र/अधिवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने से पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा जारी संपरिवर्तन/रूपांतरण आदेश की शर्तों के अनुरूप किये गये निर्माण को अनाधिकृत अथवा बिना स्वीकृति निर्माण की श्रेणी में नहीं माना जावेगा तथा ऐसे आवेदनों पर इन विनियमों के अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क व अन्य देय शुल्क लिये जाकर आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।  
पूर्व में निर्मित ऐसे भवन जिनमें भूखण्डधारी द्वारा सक्षम अधिकारी/पंजीकृत वास्तुविद/तकनीकीविद से बिना अनुमोदन/स्वीकृति भवन निर्माण किया गया है तो ऐसे भूखण्डधारियों/भवन निर्माताओं द्वारा मौके पर किये गये निर्माणानुसार विस्तृत भवन मानचित्र (विनियम-5 के अनुसार) जो पंजीकृत वास्तुविद/तकनीकीविद से

- तैयार / हस्ताक्षरित करवाये गये हों मय इन विनियमों के तहत देय भवन निर्माण अनुज्ञेय शुल्क भवन विनियमों के विपरित किये गये निर्माण हेतु देय अतिरिक्त शुल्क एवं धरोहर राशि (अनुसूची -5 के अनुसार) शपथ—पत्र, एवं प्रमाणित स्वामित्व दस्तावेज संबंधित नगरीय निकाय में आनलाईन जमा कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे निर्माण को अनाधिकृत मानते हुये संबंधित नगरीय निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
7. भूखण्ड पर भवन निर्माण स्वीकृति / मानचित्र अनुमोदन प्राप्त किये जाने से पूर्व भवन निर्मित होने पर निम्न तालिका अनुसार शास्ती देय होगी:-

**तालिका-24**

क्र. सं.	प्रकरण का विवरण	बिना स्वीकृति किये गये निर्माण का प्रकार	बिना अनुमति निर्माण शास्ती
1.	मानचित्र स्वीकृति से पूर्व मौके पर किया गया निर्माण	भवन विनियमों के मापदण्डों के अनुरूप निर्माण (जो स्वीकृति योग्य है)	(i) गैर व्यावसायिक भूखण्डों में सकल निर्मित क्षेत्र $\times 90$ (ii) व्यावसायिक व मिश्रित भूखण्डों में सकल निर्मित क्षेत्र $\times 150$

- (i) भवन विनियमों के अनुरूप मौके पर किये गये बिना स्वीकृति निर्माण पर उपरोक्तानुसार शास्ती ली जाकर भवन मानचित्र स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
- (ii) भवन विनियमों के विपरीत किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही भवन मानचित्र स्वीकृति जारी की जानी होगी।

## 17. निरसन तथा व्यावृति (Repeal and saving):

---

- (i) इन विनियमों के प्रभावशील होने के साथ ही पूर्व के भवन विनियम तथा इसमें समय-समय पर किये संशोधन तथा अन्य आदेश स्वतः निरस्त हो जावेंगे।
- (ii) इन विनियमों के प्रभावशील होने पर नगरीय क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य अधिनियम/नियम के प्रावधानों में विरोधाभाश होने पर प्रचलित अधिनियम/नियम के प्रावधान लागू होंगे।
- (iii) जिन प्रकरणों में पूर्व विनियमों/नियमों के अधीन भवन निर्माण किये जाने की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार भवन का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है तो अनुज्ञा की अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा 02 वर्ष के लिए नियमानुसार देय शुल्क जमा कराया जाकर वृद्धि की जा सकेगी।
- (iv) अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार भवन का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है एवं यदि आवेदक वर्तमान विनियमों के अनुसार निर्माण स्वीकृति चाहता है तो इन विनियमों के अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जाकर नवीन निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकेगी एवं पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु जमा शुल्क का समायोजन किया जावेगा। ऐसे प्रकरणों में यदि लीज डीड/पट्टे में उल्लेखित निर्माण अवधि समाप्त हो चुकी हो तो नियमानुसार पूनर्ग्रहण शुल्क की राशि ली जाकर निर्माण अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक होगा।
- (v) इन विनियमों के प्रभावी होने से पूर्व किसी विकासकर्ता द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भवन निर्माण स्वीकृति के आवेदनों पर विकासकर्ता के चाहे अनुसार इससे पूर्व के भवन विनियमों अथवा इन विनियमों के अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी।
- (vi) यदि किसी भूखण्ड का आवंटन/पट्टा/लीजडीड/नीलामी द्वारा विक्रय किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा जारी किया जाता है, जो इन विनियमों में उल्लेखित सड़क की न्यूनतम चौड़ाई अथवा न्यूनतम क्षेत्रफल के मापदण्डों की पूर्ति नहीं करता हो, तो ऐसी स्थिति में जिस सड़क पर भूखण्ड स्थित है उसकी चौड़ाई तथा भूखण्ड क्षेत्रफल के आधार पर इन विनियमों के तहत मापदण्ड रखते हुए भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकेंगी।

समस्त नगरीय निकायों द्वारा ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अथवा पंजीकृत तकनीकीविदों/वास्तुविद द्वारा जारी भवन मानचित्र अनुमोदन/भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र/भवन अधिवास प्रमाण-पत्र की सूचना-भवन स्वामी का नाम, पता, मोबाईल नं., ई-मेल एड्रेस/भवन मानचित्र आवेदन प्राप्ति दिनांक/भवन मानचित्र अनुमोदन दिनांक तथा भवन स्थल के Latitude/Longitude/भूखण्ड की Google Map पर लोकेशन आदि नगरीय निकाय की वेबसाईट पर पृथक लिंक के रूप में उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा।

## विभिन्न गतिविधियाँ एवं कार्य संगत के आधार पर आवश्यक भवनों का विवरण

क्र. सं.	भवनों का प्रकार	गतिविधियाँ एवं कार्य संगत
1	आवासीय	स्वतंत्र आवासीय, बहु-आवासीय, फ्लेट्स, ग्रुप हाउसिंग, स्टुडियों अपार्टमेंट, रिटायमेंट होम्स, हॉस्टल, फार्म हाउस/पर्यावरण मैत्री आवास, मुख्यमंत्री जन आवास योजना/आर्कोडेबल हाउसिंग योजना।
2	वाणिज्यिक	कन्फेक्शनरी बाजार पशु बाजार, चारा बाजार, खाद तेल/धी बाजार, खाद्यान/दाल/मसाला/शुष्क फल बाजार, बारदाना बाजार, चाय बाजार, किराना बाजार, मुर्गी उत्पाद बाजार, वस्त्र होजरी एवं गारमेंट बाजार लौह एवं इस्पात/हार्डवेयर बाजार पेन्ट एवं वार्निश बाजार पथर पट्टी बाजार संगमरमर एवं अन्य बिल्डिंग स्टोन बाजार ईट/बजरी/चूना बाजार, सेनीटरी फिटिंग बाजार अन्य निर्माण सामग्री वस्तु बाजार मत्स्य एवं मांस बाजार रसायन बाजार, औषध बाजार शल्य चिकित्सा/वैज्ञानिक उपकरण बाजार, कागज/लेखन सामग्री/पुस्तक प्रकाशन बाजार, मुद्राणालय क्षेत्र इलेक्ट्रोनिक/विद्युत सामान बाजार, ऑटोमोबाइल एवं अन्य इंजीनियरिंग पुर्जा बाजार, लुब्रिकेटिंग ऑयल बाजार, टायर एवं ट्यूब बाजार, पारम्परिक हस्तकला बाजार, शिल्पीकृत प्रस्तर बाजार, पटाखा बाजार, कार्ड बोर्ड कन्टेनर्स एवं कागजी थैली बाजार, तम्बाकू एवं सहउत्पाद बाजार, प्लास्टिक उत्पाद बाजार क्राकरी एवं बर्टन बाजार, सोना, चॉदी, जगहरात एवं रत्न बाजार, चर्म उत्पाद बाजार, साईकिल बाजार, धातु उत्पाद बाजार, खिलौना एवं खेलकूद के सामान का बाजार, खुदरा दुकानें रिपेयर शॉप/सर्विस शॉप/विविध विनिर्माण दुकान, साप्ताहिक बाजार/हाट बाजार, बेंडिंग बूथ (स्थिर) कियोस्क, अनौपचारिक खुदरा दुकाने, रेस्टोरेंट/कैफेटेरिया निजी क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक, प्रदर्शनी एवं बिक्री क्षेत्र, केटरर, टेंट हाउस, होटल, मोटल, पेट्रोल/गैस फिलिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जंक शॉप, पुष्प विक्रेता, डेयरी बूथ, फल एवं सब्जी की दुकान, नाई की दुकान, सिनेमा, मिनीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, धर्म कॉटा, विवाह स्थल, वेयर हाउसिंग एवं गोदाम।
3	पर्यटन इकाई	होटल, रिसोर्ट, मोटल, गेस्ट हाउस, आदि
4	संस्थागत भवन	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय, स्वायत्त शासन कार्यालय, सरकारी आरक्षित क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान, ऑटो मोबाईल्स ड्राईविंग स्कूल, व्यावसायिक प्रबन्ध संस्थान, होटल प्रबन्ध संस्थान, ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाएँ, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी/अर्द्ध सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्था, वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान, खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान, रेन बसेरा, धर्मशाला, शिशु सदन/कामकाजी महिला सदन, वृद्धावस्था सदन, प्रौढ शिक्षा/शिक्षाकर्मी केन्द्र आदि, कला, एवं हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री/विलनिक/डाइग्नोस्टिक सेन्टर, प्रसूति नर्सिंग सदन, मात एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, निजी नर्सिंग सदन, संग्रहालय, कला दीर्घा, प्लेनेटोरियम, महिला सदन, सामुदायिक केन्द्र, स्थायी व्यापार मेला भूमि, योग एवं साधना केन्द्र, धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र, शमशान, कब्रिस्तान/सीमेट्री, अग्निशमन केन्द्र, जेल, सुधार/बाल अपराध सदन, टेलिफोन एक्सचेंज, डाकघर, तारघर, निजी कोरियर सेवा, दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी, दूरसंचार टावर, एवं स्टेशन, गैस बुकिंग/सप्लाई स्थान, पुलिस थाना, पुलिस चौकी, पुलिस लाइन, नागरिक

		सुरक्षा / होम गार्ड, फोरन्सिक विभाग प्रयोगशाला, सभा भवन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कॉल सेन्टर, मेडिकल ट्रान्सक्रिपशन, बायो इन्फोरमेटिक, वेब / डिजिटल डबलपेंट सेन्टर, सूचना प्रोद्योगिकी।
5	औद्योगिक	कृषि आधारित उद्योग, यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, रसायन, एवं औषध उद्योग, धात्विक उद्योग, वस्त्र उद्योग, ग्लास एवं सिरेमिक उद्योग, चर्म उद्योग, सीमेंट उद्योग, जोखिम प्रधान उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, ग्रेनाईट उद्योग, संगमरमर उद्योग, एवं अन्य कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग, सेनेट्री वेयर उद्योग, सीमेंट उत्पाद उद्योग, बिजली सामग्री उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, गलिचा उद्योग, स्टील फर्नीचर उद्योग, वस्त्र रंगाई एवं छपाई उद्योग, टायर रिट्रेडिंग उद्योग, वध एवं अन्य मास प्रौसेसिंग उद्योग, कुटीर / गृह उद्योग, डेयरी प्लांट, स्टोन क्रेशर, खनन एवं खदान, ईंट चूना भट्टे, भण्डारागार, भण्डारण एवं अ-ज्वलनशील वस्तुओं के लिए डिपो, कॉल्ड स्टोरेज एवं दुग्धप्रशीतक संयत्र, जंक यार्ड पेट्रोल उत्पादन डिपो गैस गोदाम कोल यार्ड, ईंधन, लकड़ी यार्ड, स्टीलयार्ड, डेयरी उत्पाद योजना, ऑटो सर्विस स्टेशन।
6	अमोद-प्रमोद	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एम्यूजमेंट पार्क,
7	विशेष प्रकृति	ठोस कूडाकरकट संग्रह केन्द्र, ठोस कूडाकरकट उपचार संयत्र एवं निस्तारण भूमि के भवन, सीवरेज व गन्दा जल उपचार संयत्र, सुलभ शौचालय / पब्लिक शौचालय, चमड़ी एवं हड्डी संग्रह केन्द्र, वध गृह, वाटर फिल्टर एवं ट्रीटमेंट प्लान्ट, जल सेवा के जलाशय एवं पब्लिक स्टेशन, प्याउ, पावरग्रिड स्टेशन, विद्युत उत्पादन संयत्र, पार्क एवं खेल के मैदान, अन्य खुले स्थान, स्विमिंग पूल, खुला थियेटर / रंगमंच, गोल्फ कोर्स, पोलोग्राउण्ड, इण्डोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, खेलकूद परिसर, रीजनल पार्क / शहर स्तरीय पार्क, पक्षी अभयारण्य, बनस्पति पार्क, प्राणी विज्ञान पार्क, यातायात प्रशिक्षण पार्क, एक्यूरियम, व्यापक परिवहन कोरिडोर, पार्किंग स्थल, तांगा स्टेप्ड, ठेला स्टेप्ड, बेलगाडी / ऊँटगाडी स्टेप्ड, रिक्षा स्टेप्ड, टैक्सी स्टेप्ड, बस स्टॉप, बस स्टेप्ड, रेलवे स्टेशन, रेलवे सामान यार्ड, रेलवे यार्ड, एयर पोर्ट, हैलीपेड, एयर कारगो परिसर, नगर पालिका चूँगी चौकी, ट्रक टर्मिनल्स / ट्रक स्टेप्ड, पथकर चौकी, बिक्री कर चौकी, चैक पोस्ट, बस टिकिट, बुकिंग एवं आरक्षण कार्यालय, कन्टेनर सेवा परिसर, कृषि अनुसंधान फार्म, कृषि फार्म, पुष्प कृषि फार्म, टिश्यूकल्चर, उपचार, पौधशाला, मुर्गी पालन, डेयरी एवं सूअर / बकरी एवं भेड / अश्व फार्म, क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स क्लब और एकेडमी।

**नोट :-** उपरोक्त विशेष प्रकृति के भवनों की गतिविधियों एवं कार्य के लिए भवन जहाँ भी आवश्यक हो सक्षम अधिकारी / समिति द्वारा मानक स्तर निर्धारित किए जा सकेंगे एवं उक्त अनुसूची को राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

भवन निर्माण संबंधित दरें

क्र.सं.	शुल्क का प्रकार	निर्माण का प्रकार	शुल्क दर रूपये में
1.	जॉच फीस (प्रार्थना पत्र के साथ देय) भूखण्ड क्षेत्रफल पर	गैर वाणिज्यिक भूखण्ड (आवासीय / संस्थागत / औद्योगिक / पर्यटन ईकाई)  वाणिज्यिक / मिश्रित भूखण्ड	15/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम राशि 1,00,000/-)  45/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम राशि 3,00,000/-)
2.	भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क (अनुमोदित मानचित्र जारी करने से पूर्व देय)	500 व.मी. तक गैर वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु  500 व.मी. क्षेत्रफल तक के वाणिज्यिक / मिश्रित भूखण्ड हेतु  500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर निम्न शुल्क देय होगा— (1) गैर व्यावसायिक भूखण्ड हेतु (2) वाणिज्यिक / मिश्रित भूखण्ड हेतु पेट्रोल पम्प (समस्त क्षेत्रफल)	प्रस्तावित मंजिलों की संख्या x भूखण्ड का क्षेत्रफल व. मी. में x 30/- (उदाहरण— 200 व.मी. के भूखण्ड पर भू-तल व दो मंजिल प्रस्तावित होने पर राशि $3 \times 200 \times 30 = 18,000/-$ )  प्रस्तावित मंजिलों की संख्या x भूखण्ड का क्षेत्रफल व. मी. में x 95/- (उदाहरण— 200 व.मी. के भूखण्ड पर भू-तल व दो मंजिल प्रस्तावित होने पर राशि $3 \times 200 \times 95 = 57,000/-$ )  भूखण्ड का क्षेत्रफल x 95/- प्रति व. मी.
3.	शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधाएँ (BSUP shelter fund)	बहुमंजिले भवन (15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन) मिश्रित / वाणिज्यिक फार्म हाउस / आवासीय / संस्थागत / औद्योगिक	सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 25/- प्रति वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 10/- प्रति वर्गमीटर
4.	वर्षा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत राशि (रिफ्न्डेबल) भवन (15 मीटर ऊँचाई तक) समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेत	भूखण्ड (225 से अधिक व 500 वर्गमीटर तक) भूखण्ड (500 से अधिक व 750 वर्गमीटर तक) भूखण्ड (750 से अधिक व 2500 वर्गमीटर तक) भूखण्ड (2500 से अधिक व 4000 वर्गमीटर तक)	50000/- रूपये 75000/- रूपये 1 लाख 2 लाख

		भूखण्ड (4000 से अधिक व 10000 वर्गमीटर तक)	3 लाख
		भूखण्ड (10000 वर्गमीटर से अधिक)	5 लाख
5.	वर्षा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत राशि (रिफ्नेबल) भवन (15 मीटर ऊँचाई से अधिक ऊँचाई के) समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेतु	भूखण्ड (750 से अधिक व 2500 वर्गमीटर तक) भूखण्ड (2500 से अधिक व 4000 वर्गमीटर तक) भूखण्ड (4000 से अधिक व 10000 वर्गमीटर तक) भूखण्ड (10000 वर्गमीटर से अधिक)	2 लाख 4 लाख 6 लाख 10 लाख
6.	बेटरमेन्ट लेवी	आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन ईकाई/अमोद-प्रमोद उपयोग हेतु वाणिज्यिक उपयोग हेतु	आवासीय आरक्षित दर का 20 प्रतिशत आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत
7.	(i) भवन पूर्णता प्रमाण पत्र (ii) भवन अधिवास प्रमाण पत्र	गैर व्यावसायिक मिश्रित/वाणिज्यिक	10/- अधिकतम राशि 2.0 लाख 20/- अधिकतम राशि 4.0 लाख
8.	<b>भवन विस्तार –</b> यदि किसी पूर्व निर्मित भवन के निर्मित क्षेत्र में विस्तार किया है तो अतिरिक्त प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र/मंजिल पर क्र.सं. 1, 2 व 3 के अनुसार राशि देय होगी।	गैर व्यावसायिक मिश्रित/वाणिज्यिक	05/- अधिकतम राशि 1.0 लाख 10/- अधिकतम राशि 2.0 लाख
9.	<b>अनुमोदित भवन मानचित्र की वैध अवधि में संशोधन –</b> आवदेक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अनुमोदित भवन (Validity) मानचित्र की वैध अवधि के दौरान मानचित्र संशोधित कर अनुमोदित कराए जाते हैं, तो अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत देय होगा।	आवदेक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अनुमोदित भवन (Validity) मानचित्र की वैध अवधि के दौरान मानचित्र संशोधित कर अनुमोदित कराए जाते हैं, तो अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत देय होगा।	2.0 लाख 4.0 लाख
10.	<b>अनुमोदित भवन मानचित्र की वैध अवधि पश्चात् संशोधन/नवीनीकरण –</b> यदि निर्धारित वैध अवधि के पश्चात् संशोधन/नवीनीकरण करवाया जाता है तो अनुमोदन शुल्क का 40 प्रतिशत देय होगा।	आवदेक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अनुमोदित भवन (Validity) मानचित्र की वैध अवधि के दौरान मानचित्र संशोधित कर अनुमोदित कराए जाते हैं, तो अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत देय होगा।	1.0 लाख 2.0 लाख
11.	भवन मानचित्रों की अनुज्ञा अवधि, भवन मानचित्र अनुमोदन कर जारी किये जाने की दिनांक से सात वर्ष देय होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात् भी निर्माण पूर्ण नहीं होने पर अनुमोदन शुल्क की 20 प्रतिशत राशि लेकर 2 वर्ष के लिए भवन निर्माण अनुज्ञा अवधि बढ़ाई जा सकेगी। तत्पश्चात् भी निर्माण पूर्ण नहीं होने पर पूर्व में निर्माण अवधि बढ़ाई जाने हेतु जमा शुल्क की दोगुनी राशि ली जा कर आगामी 2-2 वर्ष के अनुसार निर्माण अवधि बढ़ाई जा सकती है।	आवदेक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अनुमोदित भवन (Validity) मानचित्र की वैध अवधि के दौरान मानचित्र संशोधित कर अनुमोदित कराए जाते हैं, तो अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत देय होगा।	2.0 लाख 4.0 लाख
12.	राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय उपयोग के भवनों की निर्माण स्वीकृति हेतु शुल्क देय नहीं होगा। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणी अलाभकारी पजीकृत चैरिटेबल संस्थाएं को लोक उपयोगी सुविधाएं यथा चिकित्सा सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठाश्रम, धर्मशाला, निशक्तजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र कन्याश्रम, बालगृह आदि भवनों तथा कृषि	आवदेक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अनुमोदित भवन (Validity) मानचित्र की वैध अवधि के दौरान मानचित्र संशोधित कर अनुमोदित कराए जाते हैं, तो अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत देय होगा।	2.0 लाख 4.0 लाख

	प्रसंकरण / व्यवसाय / निर्यात उद्योग, कृषि जिन्सो हेतु वेयर हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज पर निर्माण शुल्क में शत प्रतिशत छूट देय होगी।
13.	<p>(i) मैकेनिकल पार्किंग की सुनिश्चितता करने हेतु आवेदक से प्रति मैकेनिकल कार पार्किंग (सरफेस कार पार्किंग के अतिरिक्त) एक लाख रुपये अमानत राशि बैंक गारंटी के रूप में ली जावेगी, जिसे निर्धारित मैकेनिकल कार पार्किंग के निर्माण के बाद लौटा दी जावेगी।</p> <p>(ii) विनियम 4.4.2(i) के अनुसार 50 वर्ग मीटर तक के वाणिज्यिक भूखण्डों को पार्किंग शुल्क संबंधित नगरीय निकाय के द्वारा स्वयं के स्तर से निर्धारित किया जाकर तदानुसार देय होगा।</p>

**नोट :-** उपरोक्तानुसार विहित भवन निर्माण संबंधी राशि हेतु आवेदक द्वारा मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा करानी होगी। 60 दिवस की अवधि में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जा सकेगी। ब्याज की गणना विलम्ब अवधि के लिए ही की जावेगी। मांग पत्र जारी होने की दिनांक से यदि 120 दिवस की अवधि में भी मांग राशि जमा न होने पर जांच शुल्क जब्त कर प्राप्त आवेदन को निरस्त किया जा सकेगा। तत्पश्चात् आवेदक को भवन निर्माण स्वीकृति हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

14. आवासीय / संस्थागत भूखण्डों पर नियमानुसार व्यवसायिक उपयोग प्रस्तावित होने पर व्यवसायिक उपयोग के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत शुल्क देय होगा।
15. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के अनुसार अग्निशमन राशि एक्सेस बैंक के केन्द्रीकृत खाता संख्या 919010091350994 ब्रांच सी-स्कीम जयपुर आई.एफ.एस. कोड UTIBOCCH274 में जमा करानी होगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण – पत्र लेना एवं उसे पुन वैध करवाना अनिवार्य होगा।
16. श्रम उपकर हेतु भवन निर्माण लागत की 1 प्रतिशत राशि नियमानुसार निर्माण अवधि के मध्यनजर श्रम विभाग में जमा कराकर रसीद चालान संबंधित नगरीय निकाय में प्रस्तुत करनी होगी।
17. पर्यटन इकाई – राज्य सरकार की पर्यटन नीति के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट में नीति के अनुरूप प्रदत्त आशिक / पूर्ण छूट लागू होंगी।
18. मिश्रित उपयोग के भूखण्डों पर प्रस्तावित भवन हेतु समस्त शुल्क एवं मानक बी.ए.आर. से अधिक बी.ए.आर. प्रस्तावित होने पर देय बेटरमेन्ट लेवी की राशि वास्तविक प्रस्तावित उपयोग के क्षेत्रफल पर देय होगी।
19. बहुनिवास इकाई के भवनों में योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रति निवास इकाई 25000/- रुपये अतिरिक्त राशि (अन्य सभी देय शुल्क के अतिरिक्त) देय होगी।
20. रिटार्डमेंट होम्स की भवन निर्माण स्वीकृति हेतु भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एवं शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधाएँ हेतु शुल्क लेय नहीं होंगे।
21. जिन प्रोजेक्टों का रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) अधिनियम, 2016 एवं इसके तहत बनाये गये राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत पजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर, अन्य प्रस्तावित भवनों हेतु बिन्दु सं. 4 में निर्धारित अमानत राशि को नियमानुसार प्रावधानों की सुनिश्चित करने हेतु भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी के रूप में भवन निर्माता द्वारा स्थानीय निकाय को जमा कराने होंगे। यह अमानत राशि अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के उपरान्त भवन निर्माता को लौटाई जा सकेगी।

भवन निर्माण हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र/सर्टिफिकेट संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना होगा :-

क्रमसं	आनापत्ति/सर्टिफिकेट	आवश्यकता	मानचित्र अनुमोदन के समय	पूर्णता प्रमाण पत्र के समय	अधिवास प्रमाण पत्र के समय
1.	Fire NOC	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुसार	शपथ पत्र	—	स्थाई फायर एनओसी
2.	Airport NOC	विनियम 4.15 (X) के अनुसार	मानचित्र अनुमोदन के समय प्रस्तुत किया जाना है।	—	—
3.	Environment NOC <i>from Environment Department</i>	20,000 व.मी. से अधिक सकल निर्मित क्षेत्रफल होने पर	शपथ पत्र	पूर्णता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत किया जाना है।	—
4.	Consent to Establish <i>from Pollution Control Board</i>	2500 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल होने पर	शपथ पत्र	पूर्णता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत किया जाना है।	—
5.	Consent to Operate <i>from Pollution Control Board</i>	2500 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल होने पर	शपथ पत्र	—	अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने से 3 माह अवधि में प्रस्तुत किया जाना है।
6.	Labour Cess No Dues Certificate	10 लाख रुपये की लागत तक के निजी आवास निर्माण कार्य पर उपकर देय नहीं होगा। शेष सभी पर उपकर देय होगा।	प्रथम वर्ष में किये जाने हेतु निर्माण क्षेत्रफल की राशि का 1 प्रतिशत	पूर्णता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत किया जाना है।	—
7.	IBS NOC	Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and Shopping mall/ Commercial Complexes.	शपथ पत्र	पूर्णता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत किया जाना है।	—
8.	Rain water Harvesting	225 वर्गमीटर तथा इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों।	शपथ पत्र	पूर्णता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत किया जाना है।	—
9.	Structural Certificate	15 मी. से अधिक ऊँचाई के भवन हेतु विनियम 6.3 (ix & x) के अनुसार।	शपथ पत्र	पूर्णता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत किया जाना है।	—
10.	Service Drawings	15 मी. से अधिक ऊँचाई के भवन प्रस्तावित होने पर।	शपथ पत्र	पूर्णता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत किया जाना है।	—
11.	Green Building Certificate	2500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर भवन प्रस्तावित होने पर सिल्वर सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अथवा आवेदक द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन के समय ग्रीन बिल्डिंग हेतु आवेदन करने पर।	शपथ पत्र	ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट	—
12.	Any Other				

नोट :- उक्त के अतिरिक्त किसी विशेष प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश अथवा स्थानीय निकाय के चाहे अनुसार आवश्यक दस्तावेज सम्बंधित संस्था/विभाग से प्राप्त किये जाने होंगे।

भवन निर्माण से संबंधित पर्यावरणीय शर्तें जो कि पर्यावरण मैत्री हाउसिंग में भी उपयोग की जावेगी।

क— 5000 वर्ग मीटर से ऊपर और 20000 वर्ग मीटर तक के सकल निर्मित क्षेत्रफल के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय शर्तें

क्र.सं.	माध्यम	पर्यावरणीय शर्तें
1.	प्राकृतिक निकासी	प्राकृतिक निकासी प्रणाली की इनलेट और आउटलेट बिन्दु को यथावत् रखा जाएगा पानी के निर्बाध बहाव को सुनिश्चित करने के लिए चैनल का आकार पर्याप्त होना चाहिए।
2.	जल संरक्षण—वर्षा जल संग्रहण और भू—जल पुनर्भरण	एक वर्षा संग्रहण योजना को डिजाइन करने की आवश्यकता है जिसमें पुनर्भरण छिद्रों/बोर (5000 वर्ग मीटर सकल निर्मित क्षेत्र पर कम से कम एक) दिया जाएगा। वर्षा से संग्रहीत जल को घरेलू कार्यों में पुनः उपयोग के लिए टैंक में इकट्ठा करना चाहिए। यह सब एक पृथक पानी की टंकी और पाईप लाईन की व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा ताकि यह जयपुर जलापूर्ति के पेयजल में न मिल सके। अतिरिक्त संग्रहीत किये हुए बरसाती जल को इसकी सफाई की व्यवस्था के बाद पाईप लाईन के द्वारा परिसर में ट्यूबवेल बोर से जोड़ना चाहिए।
2. (क)		खड़ंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, खुले स्थान का 20 प्रतिशत अथवा इससे ज्यादा होगा।
3.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए भूमि पर अलग—अलग गीले और सूखे बिन्स उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।
4.	उर्जा	सार्वजनिक स्थानों पर एल.ई.डी./सौर लाईटें लगाई जानी चाहिए।
5.	वायु की गुणवत्ता एवं शोर	निर्माण कार्य के दौरान धूल, धुआँ और कूड़ा—करकट रोकथाम मापांक जैसे कि स्कीन, मोरचाबंदी (Barricading) लगाई जाएगी। स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले ट्रकों केलिए प्लास्टिक/तिरपाल के कवरों का उपयोग किया जाना चाहिए।
5. (क)		डी.जी. सैट की निकास नली, यदि लगाई गई हो, भवन से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर हो। यदि वह 10 मीटर से कम की दूरी पर है तो निकास नली को भवन से 3 मीटर ऊपर उठाया जाना चाहिए।
6.	हरित कवर	प्रति 50 वर्ग मीटर भूमि के लिए कम से कम 2 पेड़ लगाया जाएगा और इसकी देखभाल की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए विद्यमान पेड़ों को भी माना जाएगा। पेड़ों की स्थानीय प्रजातियों लगाने को वरीयता दी जानी चाहिए।
6. (क)		जहाँ पेड़ों को काटने की आवश्यकता हो तो 1:3 के अनुपात (1 पेड़ के कटने पर 3 पेड़ लगाना) में इस आबंध के साथ प्रतिपूरक पेड़ लगाए जाएंगे कि ऐसे पेड़ों का रखरखाव किया जाएगा।

**ख—20000 वर्ग मीटर से अधिक और 50000 वर्ग मीटर तक सकल निर्मित क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय शर्तें**

क्र.सं.	माध्यम	पर्यावरणीय शर्तें
1.	प्राकृतिक निकासी	प्राकृतिक निकासी प्रणाली की इनलेट और आउटलेट बिन्दु को यथावत् रखा जाएगा पानी के निर्बाध बहाव को सुनिश्चित करने के लिए चैनल का आकार पर्याप्त होना चाहिए।
2.	जल संरक्षण—बरसाती जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण	वहाँ बरसाती जल संग्रहण योजना बनाने की आवश्यकता है जहाँ रीचार्ज बोर (न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर भूमि) पर एवं उपलब्ध होगा। जहाँ भी संभव हो बरसाती जल निकास को रीचार्ज बोर से जोड़ा जाए और अधिक जल, यदि कोई हो, को या तो स्थल के सबसे नीचे के बिन्दु से जोड़ा जाए यदि प्राकृतिक जल संसाधन विद्यमान हो, अथवा इसे शहर के बरसाती जल लाईन से जोड़ा जाए।
2.(क)		खड़ंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, खुले स्थान का 20 प्रतिशत अथवा इससे ज्यादा होगा।
3.	ठोस अपशिष्ट	अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए भूमि पर अलग—अलग गीले और सूखे बिन्स उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।
4.	उर्जा	सार्वजनिक स्थानों पर एल.ई.डी./सौर लाईटें लगाई जानी चाहिए।
4.(क)		नवीनीकरणीय उर्जा स्ट्रोत, जैसे कि प्रकाश वोल्टीय (Photo voltaic cells) अथवा विंड मिल अथवा हाइब्रिड, से उत्पन्न हुई बिजली जोड़े गए प्रयुक्त भार का न्यूनतम 1 प्रतिशत उपलब्ध करवाया जाए।
4.(ख)		नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा मंत्रालय के प्रावधानों के अनुसार 4 व्यक्तियों के लिए 10 लीटर की न्यूनतम क्षमता के सोलर वॉटर हीटर लगाए जाने चाहिए।
4.(ग)		केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा फलाई ऐश ब्रिक्स के उपयोग के संबंध में समय—समय पर जारी आदेश/अधिसूचना/परिपत्र /संशोधित प्रावधानों के तहत प्रावधान करने आवश्यक होंगे।
5.	वायु की गुणवत्ता एवं शौर	निर्माण कार्य के दौरान धूल, धुंआ और कूड़ा—करकट रोकथाम मापांक जैसे कि स्कीन, मोरचाबंदी (Barricading) लगाई जाएगी। स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले ट्रकों के लिए प्लास्टिक/तिरपाल के कवरों का उपयोग किया जाना चाहिए।

**ग—50000 वर्ग मीटर से अधिक और 150000 वर्ग मीटर तक सकल निर्मित क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय शर्तें**

क्र.सं.	माध्यम	पर्यावरणीय शर्तें
1.	प्राकृतिक निकासी	प्राकृतिक निकासी प्रणाली की इनलेट और आउटलेट बिन्दु को यथावत् रखा जाएगा पानी के निर्बाध बहाव को सुनिश्चित करने के लिए चैनल का आकार पर्याप्त होना चाहिए।
2.	जल संरक्षण—बरसाती जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण	वहाँ बरसाती जल संग्रहण योजना बनाने की आवश्यकता है जहाँ रीचार्ज बोर (न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर भूमि) पर एवं उपलब्ध होगा। जहाँ भी संभव हो बरसाती जल निकास को रीचार्ज बोर से जोड़ा जाए और अधिक जल, यदि कोई हो, को या तो स्थल के सबसे नीचे के बिन्दु से जोड़ा जाए यदि प्राकृतिक जल संसाधन विद्यमान हो, अथवा इसे शहर के बरसाती जल लाईन से जोड़ा जाए।
2.(क)		खड़ंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, खुले स्थान का 20 प्रतिशत अथवा इससे ज्यादा होगा।
2.(ख)		सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बिना भूजल नहीं निकाला जाएगा।
2.(ग)		निर्माण कार्य में पेय जल के उपयोग को कम किया जाए।
2.(घ)		जल संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए लो फलो फिक्सचर और सैन्सर का उपयोग किया जाए।
2.(ङ)		दोहरे प्लम्बिंग सिस्टम के उपयोग से ग्रे और ब्लैक वॉटर अलग किए जाएं।
3.	ठोस अपशिष्ट	अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए भूमि पर अलग—अलग गीले और सूखे बिन्स उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।
3.(क)		सभी नॉन-बॉयोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, प्राधिकृत पुनःचक्रण (Recyclers) करने वाले को सुपुर्द किया जाए जिसके लिए प्राधिकृत पुनःचक्रण करने वाले के साथ लिखित टाई—अप किया जाए।
3.(ख)		न्यूनतम 0.3 किलो/टेनेमेंट/दिन की क्षमता वाले आर्गेनिक वेर्स्ट कम्पोस्टर/वर्मीकल्चर पिट लगाए जाने चाहिए जबकि एस टी पी कीचड़ को खाद में बदलने के लिए उपयोग किया जाए जिसका उपयोग सील पर किया जाए अथवा प्राधिकृत पुनःचक्रण करने वाले को सुपुर्द किया जाए। जिसके लिए प्राधिकृत पुनःचक्रण करने वाले के साथ लिखित टाई—अप किया जाए।
4.	उर्जा	सार्वजनिक स्थानों पर एल.ई.डी./सौर लाईटें लगाई जानी चाहिए।
4.(क)		नवीनीकरणीय उर्जा स्रोत, जैसे कि प्रकाश वोल्टीय अथवा विंडमिल अथवा हाइब्रिड, से उत्पन्न हुई बिजली जोड़े गए प्रयुक्त भार का न्यूनतम 1 प्रतिशत उपलब्ध करवाया जाए।
4.(ख)		नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा मंत्रालय के प्रावधानों के अनुसार 4 व्यक्तियों के लिए 10 लीटर की न्यूनतम क्षमता के सोलर वॉटर हीटर लगाए जाने चाहिए।

4. (ग)		केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा फलाई ऐशे ब्रिक्स के उपयोग के संबंध में समय—समय पर जारी आदेश/अधिसूचना/परिपत्र / संशोधित प्रावधानों के तहत प्रावधान करने आवश्यक होंगे।
4. (घ)		भवनों के परोक्ष सौर डिजाइन (Passive solar design), जिनमें वास्तुकलात्मक डिजाइन का उपयोग है, की अवधारणा द्वारा एकीकृत परम्परागत उर्जा—सक्षम उपकरणों जैसे कि मेकेनिकल और इलेक्ट्रीकल पम्पस, पंखे, लाईटिंग तत्व जैसे कि भवन आरिएंटेशन, लैण्डस्केपिंग (Landscaping), सक्षम भवन आवरण, उपयुक्त फेनेशट्रेशन (Fenestration), डिजाइन द्वारा दिन के प्रकाश में बढ़ोतरी और थर्मल मॉस, के उपयोग से उर्जा खपत में कमी होगी।
4. (ड)		उर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार के समय—समय पर जारीमें—यथा संस्तुत अनिवार्य अनुपालन मानदण्डों (सभी प्रयोज्य भवनों के लिए) का पालन करते हुए भवनों की कार्यात्मक आवश्यताओं के लिए में उपयुक्त व्यवस्था की जाए जिससे उर्जा प्रणाली का अधिकतम उपयोग हो, जो एक विशिष्ट इन्डोर पर्यावरण बनाता है।
5.	वायु की गुणवत्ता एवं शोर	निर्माण कार्य के दौरान धूल, धुँआ और कूड़ा—करकट रोकथाम मापांक जैसे कि स्कीन, मोरचाबंदी लगाई जाएगी। स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले ट्रकों के लिए प्लास्टिक/तिरपाल के कवरों का उपयोग किया जाना चाहिए।
5. (क)		डी.जी. सैट की निकास नली, यदि लगाई गई हो, भवन से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर हो। यदि वह 10 मीटर से कम की दूरी पर है तो निकास नली को भवन से 3 मीटर ऊपर उठाया जाना चाहिए।
6.	हरित कवर	प्रति 50 वर्ग मीटर भूमि के लिए कम से कम 2 पेड लगाया जाएगा और इसकी देखभाल की जाएगी। इस उददेश्य के लिए विद्यमान पेडों को भी माना जाएगा।
6. (क)		जहाँ पेडों को काटने की आवश्यकता हो तो 1:3 के अनुपात (1 पेड के कटने पर 3 पेड लगाना) में इस आबंध के साथ प्रतिपूरक पेड लगाए जाएंगे कि ऐसे पेडों को रखरखाव किया जाएगा।
7.		100 प्रतिशत अपशिष्ट जल के संशोधन की क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा संशोधित जल को बगीचों में पानी देने और फलशिंग के लिए पुनःचक्रित किया जाए।
8.		पर्यावरण अवसंरचना जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लैण्डस्केपिंग, बरसाती जल संग्रहण, पर्यावरण हेतु पावर बैक—अप, संरचना, पर्यावरणीय निगरानी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सौर एवं उर्जा संरक्षण के उपाय परिभाषित कार्यों जिम्मेदारी वाली पर्यावरण निगरानी समिति द्वारा जारी रखे जाएं।

नोट:- उपरोक्त पर्यावरणीय शर्तें उपरोक्तानुसार अथवा संबंधित विभाग द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

500 मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, पर भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व स्थानीय निकाय में जमा करवाये जाने हेतु वांछित दस्तावेजों की चैकलिस्ट

### चैकलिस्ट

क्र.सं.	विषय	संलग्न
1	भूखण्ड के Latitude/ longitude भूखण्ड की Google Map पर लोकेशन	
2	लीजडीड व साइट प्लान। (लीजडीड / स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों का बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा प्रमाणिकरण मान्य होगा)	
3	साईट प्लान मय प्रस्तावित सैटबैंक व भवन की प्रस्तावित ऊंचाई व मंजिलों की संख्या।	
4	भूखण्ड के वर्तमान फोटोग्राफ, आवेदक एवं तकनीकीविद के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करते हुए।	
5	व्यवसायिक भूखण्डों में पार्किंग हेतु प्रावधान दर्शाते हुए तकनीकीविद द्वारा प्रमाणित पार्किंग प्लान	
6	पंजीकृत तकनीकीविद का भवन विनियमों अनुसार प्रावधानों की अनुपालना किये जाने का घोषणा-पत्र (प्रारूप—..... )	
7	आवेदक द्वारा भवन विनियम की पालना बाबत शपथ पत्र (प्रारूप—ब)	
8	लीज एवं नगरीय विकास कर की जमा की रसीद	
9	मांग—पत्र अनुसार भवन अनुज्ञा शुल्क जमा की रसीद (Self Assessment) (प्रारूप—.....)	
10	श्रमिक उपकर राशि (10 लाख से अधिक निर्माण लागत पर निर्माण लागत का 1 प्रतिशत) जमा की रसीद ।	
11	नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सैस जमा की रसीद (स्थानीय निकाय विभाग के एक्सीस बैंक खाता सं. 919010091350994 ब्रांच सी. स्कीम जयपुर)।	
12	मौके पर सैटबैंक में भवन विनियमों के विरुद्ध निर्माण होने की दशा में आवेदक द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण स्वयं के द्वारा हटा लिये जाने का शपथ—पत्र।	

रथानीय निकाय से 500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वांछित दस्तावेजों की चैकलिस्ट

### चैकलिस्ट

क्र.सं	विषय	संलग्न/ लागू नहीं
1.	प्रार्थना पत्र में भूखण्ड संख्या, योजना का नाम, प्रस्तावित भूखण्ड एवं भवन का प्रयोजन तथा डाक का पूरा पता ।	
2.	निर्धारित जाँच शुल्क (चालान की प्रति) प्रस्तावित भवन के प्रयोजनानुसार।	
3.	आवेदक का शपथ—पत्र। (प्रपत्र-5)	
4.	रथानीय निकाय/नगर विकास न्यास/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी लीज डीड एवं साईट प्लान की प्रति।	
5.	यदि आवश्यक है तो, भूखण्ड के सामने सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से सड़क के साथ भूखण्ड में से भू—पटटी समर्पित की जाने के संबंध में सरेण्डर डीड तथा कब्जा संभलवाये जाने का प्रमाण—पत्र।	
6.	भूखण्ड के पहुंच मार्ग के साथ अन्य समस्त दिशाओं के विद्यमान भूमि/भूखण्ड के फोटोग्राफ।	
7.	प्रस्तावित भवन के समस्त मानचित्रों की भवन विनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित माप पर तीन प्रतियाँ/(साईट प्लान—1:500 स्केल एवं अन्य 1:100 या 1:200 स्केल पर)	
8.	प्रस्तावित भवन के मानचित्रों की सॉफ्ट कॉपी।	
9.	वास्तुविद्/तकनीकीविज्ञ द्वारा शपथ—पत्र।(प्रपत्र-6)	
10.	बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने पर आवेदक, स्ट्रक्चरल इंजिनियर एवं आर्किटेक्ट द्वारा भूकम्परोधी तकनीकी के सम्बन्ध में शपथ—पत्र।(प्रपत्र-9)	
11.	Airport NOC/ NOC from Defence Establishment (यदि आवश्यक है तो)।	
12.	अन्य दस्तावेज यदि आवश्यक हो।	

पंजीकृत वास्तुविद् से 500 व.मी. से अधिक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अधिकतम 15 मी. ऊँचाई के भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वांछित दस्तावेजों की चैकलिस्ट

### चैकलिस्ट

क्र.सं	विषय	संलग्न/ लागू नहीं
1.	प्रार्थना पत्र में भूखण्ड संख्या, योजना का नाम, प्रस्तावित भूखण्ड एवं भवन का प्रयोजन तथा डाक का पूरा पता।	
2.	निर्धारित जाँच शुल्क (चालान की प्रति) प्रस्तावित भवन के प्रयोजनानुसार।	
3.	आवेदक का शपथ–पत्र। (प्रपत्र-5)	
4.	रस्थानीय निकाय/नगर विकास न्यास/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी लीज डीड एवं साईट प्लान की प्रति।	
5.	यदि आवश्यक है तो, भूखण्ड के सामने सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से सड़क के साथ भूखण्ड में से भू–पट्टी समर्पित की जाने के संबंध में सरेण्डर डीड तथा कब्जा संभलवाये जाने का प्रमाण–पत्र।	
6.	भूखण्ड के पहुंच मार्ग के साथ अन्य समस्त दिशाओं के विद्यमान भूमि/भूखण्ड के फोटोग्राफ।	
7.	प्रस्तावित भवन के समस्त मानचित्रों की भवन विनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित माप पर तीन प्रतियाँ/(साईट प्लान-1:500 स्केल एवं अन्य 1:100 या 1:200 स्केल पर)	
8.	प्रस्तावित भवन के मानचित्रों की सॉफ्ट कॉपी।	
9.	वास्तुविद्/तकनीकीविज्ञ द्वारा शपथ–पत्र।(प्रपत्र-6)	
10.	Airport NOC/ NOC from Defence Establishment (यदि आवश्यक है तो)।	
11.	पंजीकृत वास्तुविद् का पंजीकरण प्रमाण–पत्र।	
12.	अन्य दस्तावेज यदि आवश्यक हो।	

## भवन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु सामान्य निर्देश

### चैकलिस्ट

क्र.सं	सामान्य निर्देश
1.	नगरीय निकाय द्वारा जारी किये जाने वाले समस्त भवन मानचित्रों की हार्डकॉपी के तीन सैट (क्लोथ मिडिया पेपर पर)
2.	सभी प्रस्तुत भवन मानचित्रों में सभी मापे व क्षेत्रफल मैट्रिक प्रणाली के अनुसार अर्थात् हैक्टेयर, मीटर, सेन्टीमीटर व मिलीमीटर में अंकित करना अनिवार्य होगा।
3.	मानचित्र में विद्यमान निर्माण, हटाये जाने वाले निर्माण एवं प्रस्तावित निर्माण को अलग-अलग रंग से दर्शाया जाना होगा।
4.	भवन मानचित्रों की जांच हेतु पठनीय योग्य माप (Readable Scale) पर प्रस्तुत किये जाने होंगे।
5.	<p>भवन मानचित्रों में निम्नलिखित ब्यौरे दर्शाये जाने होंगे:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) साईट प्लान (सैटबैक, बिल्डिंग ब्लॉक्स्, प्रवेश/निकास, आसपास की लगती हुई भूमि/सड़के/स्थल का विवरण आदि को दर्शाते हुए)</li> <li>(ii) समस्त फ्लोर प्लान, चारों दिशाओं के एलिवेशन, न्यूनतम दो सेक्षन (जिसमें से न्यूनतम एक सीढ़ी एवं एक लिफ्ट से हो)।</li> <li>(iii) हरित क्षेत्र, शरण क्षेत्र, सर्विसेज् (भूमिगत/खुले क्षेत्र/अन्य तलों पर), रेन वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर, सौलर पेनल, ठोस कचरा प्रबन्धन का स्थान।</li> <li>(iv) सामुदायिक सुविधाएँ/कॉमन एरिया।</li> <li>(v) विशेष योग्यजनों हेतु आवश्यक प्रावधान यथा रेम्प, टॉयलेट, पार्किंग इत्यादि।</li> <li>(vi) पार्किंग प्लान मय वाहनों का सर्कुलेशन, आगन्तुकों की पार्किंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग हेतु पार्किंग।</li> <li>(vii) अग्निशमन वाहन हेतु गलियारा,</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) अनुसूची..... में उल्लेखित सक्षमता अनुसार वास्तुविद्/तकनीकीविद द्वारा तैयार किये गये भवन मानचित्र ही स्वीकार किये जायेंगे।</li> <li>(ii) वास्तुविद्/तकनीकीविद समस्त भवन मानचित्रों पर अपना नाम, पता और पंजीयन संख्या अंकित करते हुए हस्ताक्षर करेंगे।</li> <li>(iii) आवेदक द्वारा भी समस्त भवन मानचित्रों पर हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक होंगे।</li> </ul>

स्थानीय निकाय से 500 व.पी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रक्रिया :-

क्र.सं	स्थानीय निकाय से भवन निर्माण अनुज्ञेय प्राप्त करने की प्रक्रिया
1.	आवेदक द्वारा समर्त आवश्यक दस्तावेजों एवं भवन मानचित्रों के साथ ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा भवन मानचित्रों एवं दस्तावेजों की जांच करवाया जाकर आवेदन नियमानुसार सही नहीं पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा 15 दिवस की अवधि में कमी-पूर्ति हेतु आवेदक को सूचित किया जावेगा।</li> <li>कमी-पूर्ति हेतु पत्र जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आवेदक द्वारा चाहे गये दस्तावेज/मानचित्र उपलब्ध करवाये जाने होंगे।</li> <li>यदि 15 दिवस में आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज/मानचित्र उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्मरण पत्र जारी किया जायेगा।</li> <li>स्मरण पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में भी यदि आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज/मानचित्र उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जांच शुल्क जब्त करते हुए आवेदन को निरस्त किया जा सकेगा एवं आवेदक को भवन निर्माण स्वीकृति हेतु पुनः नियमानुसार आवेदन किया जाना होगा।</li> </ul>
3.	सक्षम अधिकारी द्वारा भवन मानचित्रों एवं दस्तावेज नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आवेदक को 30 दिवस की अवधि में मांग पत्र जारी किया जावेगा।
4.	आवेदक द्वारा मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा करानी होगी। 60 दिवस की अवधि में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जा सकेगी। ब्याज की गणना विलम्ब अवधि के लिए ही की जावगी। मांग पत्र जारी होने की दिनांक से यदि 120 दिवस की अवधि में भी मांग राशि जमा न होने पर जांच शुल्क जब्त कर प्राप्त आवेदन को निरस्त किया जा सकेगा। तत्पश्चात् आवेदक को भवन निर्माण स्वीकृति हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।
5.	आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में मांग राशि जमा करवाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा 07 दिवस की अवधि में भवन मानचित्र स्वीकृति जारी की जानी आवश्यक होगी।
6.	<p>यदि आवेदन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक को कमी-पूर्ति अथवा मांग पत्र जारी नहीं होने पर आवेदक सक्षम अधिकारी को सूचित करेगा कि वह उसके आवेदन पर निर्णय नहीं होने की स्थिति आवेदन के साथ प्रस्तुत मानचित्रों के अनुरूप निर्माण प्रारम्भ कर रहा है।</p> <p>आवेदक का सूचना पत्र प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में भी यदि सक्षम अधिकारी आवेदक को सूचना देने में विफल रहता है तो आवेदक भवन मानचित्र के अनुमोदन के आवेदन को डीम्ड अनुमोदित माना जावेगा एवं आवेदक द्वारा तदानुसार मौके पर निर्माण किया जा सकेगा। आवेदक को समस्त देय राशि की स्वतः ही गणना कर भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु नियमानुसार समस्त शुल्क स्थानीय निकाय में जमा कराना होगा।</p>

पंजीकृत वास्तुविद् से 500 व.मी. से अधिक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अधिकतम 15 मी. ऊँचाई के भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रक्रिया :-

क्र.सं	पंजीकृत वास्तुविद् से भवन निर्माण अनुज्ञेय प्राप्त करने की प्रक्रिया
1.	आवेदक को समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं भवन मानचित्रों के साथ को निर्धारित प्रपत्र में पंजीकृत वास्तुविद् को आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।
2.	पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा भवन मानचित्रों एवं दस्तावेज नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर आवेदक को मांग पत्र जारी किया जावेगा।
3.	आवेदक द्वारा मांग राशि जमा करवाये जाने पर पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति जारी की जानी होगी।
4.	आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेज, पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा जारी मांग पत्र, भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु जमा शुल्क की रसीद की प्रति, पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्रों की एक प्रति स्थानीय निकाय में जमा करवाई जानी होगी।
5.	स्थानीय निकाय द्वारा आवेदक से प्राप्त समस्त आवश्यक दस्तावेजों मय शुल्क जमा होने की सुनिश्चितता उपरान्त आवेदक को Acknowledgement Letter जारी किया जाना आवश्यक होगा।
6.	आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय से Acknowledgement Letter प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा अन्यथा मौके किया गया निर्माण बिना अनुमति निर्माण की श्रेणी में माना जावेगा एवं नियमानुसार शास्ती देय होगी।

#### नोट :-

- स्थानीय निकायों द्वारा पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्रों के प्राप्त प्रकरणों की सूची एक पृथक रजिस्ट्रर में दर्ज की जावेगी एवं ऐसे अनुमोदित भवन मानचित्रों एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड हेतु संधारित किया जाना होगा।
- स्थानीय निकाय द्वारा वास्तुविद् द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्रों को वेब पॉर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु भवन मानवित्र प्रस्तुत करने हेतु पंजीकृत तकनीकीविज्ञ की अर्हताएं, सक्षमता एवं पंजीकरण की प्रक्रिया :-

1. प्राधिकरण / नगर निगम द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का पंजीकृत तकनीकीविज्ञ के रूप में पंजीयन किया जा सकेगा जो फर्म, कम्पनी या समिति का गठन कर व्यवसाय कर रहे हों एवं बिन्दु सं. 2 के अनुसार अर्हताएं रखते हों।
  
2. पंजीकृत तकनीकीविद के लिये अर्हताएं निम्नानुसार होंगी :–
  - (i) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का सहयुक्त सदस्य।  
अथवा
  - (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुविद डिग्री व काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकरण।  
अथवा
  - (iii) काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की सदस्यता के लिये पात्र बनाने वाली ऐसी अर्हताएं जैसी कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 की अनुसूची II में सूचीबद्ध है।  
अथवा
  - (iv) इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की नियमित (कॉरपोरेट) सदस्यता (सिविल) / इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर इण्डिया, नई दिल्ली का एसोसिएट मेम्बर।  
अथवा
  - (v) राजकीय / अर्द्धराजकीय विभाग से सेवानिवृत् सहायक नगर नियोजक / सहायक वास्तुविद अथवा इससे अधिक स्तर के अधिकारी।  
अथवा
  - (vi) सिविल या संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) अभियांत्रिकी में डिग्री या मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुविद डिप्लोमा।  
अथवा
  - (vii) आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तथा वास्तुविद / सिविल अभियंता के अधीन एक वर्ष का अनुभव।  
अथवा
  - (viii) मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और वास्तुविद / सिविल अभियन्ता के अधीन एक वर्ष का अनुभव।  
अथवा
  - (ix) मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में ड्राफ्टमैन और वास्तुविद / सिविल अभियंता के अधीन एक वर्ष का अनुभव।  
अथवा
  - (x) राजकीय / अर्द्धराजकीय विभाग से सेवानिवृत् वरिष्ठ प्रारूपकार।

परन्तु उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के समूह को भी पंजीकृत किया जा सकेगा जो फर्म, कम्पनी या समिति का गठन कर व्यवसाय कर रहे हों।

**नोट:-** ऐसे तकनीकीविद जिन्हें 1–3 वर्ष तक का अनुभव रखते हैं वे तकनीकीविद लघु एवं मध्यम शहरों में तथा ऐसे तकनीकीविद जिन्हें 3 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है, वे तकनीकीविद सभी श्रेणी के शहरों (लघु एवं मध्यम शहरों तथा बड़े शहर जैसा कि भवन विनियमों में वर्णित है) में कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे।

### 3. भवन मानचित्र अनुमोदन, पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु वास्तुविदों का पंजीकरण (**Registration of Architects**):—

मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने अथवा इन विनियमों से सम्बन्धित किसी अन्य विषय हेतु वास्तुविद की अर्हताओं का निर्धारण कर इन विनियमों के तहत अनुज्ञा जारी करने के लिए अधिकृत तथा उसके लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा सकेगा।

### 4. तकनीकीविद पंजीकरण की प्रक्रिया (**Registration Process**) :—

निर्धारित अर्हताएं रखने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने अनुभव एवं अर्हताओं के प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन हेतु सक्षम अधिकारी (प्राधिकरण में निदेशक, नगर आयोजना/अन्य नगरीय निकायों में संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थापित वरिष्ठतम् नगर नियोजक) को अथवा उपरोक्तानुसार वर्णित सक्षम अधिकारी के पदस्थापित नहीं होने पर संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थापित प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन के साथ फीस भी निम्नानुसार जमा की जानी होगी, जो कि लौटाई नहीं जायेगी।

### 5. सक्षमता (**Competence**) एवं पंजीकरण शुल्क (**Registration Fee**) :—

उपरोक्तानुसार अर्हताएं रखने वाले पंजीकृत वास्तुविद्/तकनीकीविद की सक्षमता एवं पंजीकरण शुल्क निम्नानुसार होंगे :—

क्रसं.	तकनीकीविद्/वास्तुविद्	सक्षमता	पंजीकरण शुल्क
4.1	बिन्दु संख्या 2 (i) से (iii) पर वर्णित वास्तुविद्	समस्त क्षेत्रफल के सभी ऊँचाई के भवनों हेतु भवन मानचित्रों को संबंधित नगरीय निकाय में प्रस्तुत किये जाने हेतु अधिकृत होंगे।	स्वतः पंजीकृत माने जावेंगे। अतः कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है।
4.2	बिन्दु संख्या 2 (i) से (iii) पर वर्णित वास्तुविद् जिन्हे डिग्री प्राप्त किये 5 वर्ष व उससे अधिक समय हुआ हो।	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा पंजीकरण करवाये जाने के पश्चात् 500 व.मी. से अधिक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर अधिकतम् 15 मी. ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु अधिकृत होंगे।	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य के स्थानीय वास्तुविद्— रुपये 50,000/- एकमुश्त व रुपये 12,500/-प्रति वर्ष (Renewal Fee)।</li> <li>राज्य से बाहर के वास्तुविद्— रुपये 1,00,000/- एकमुश्त व रुपये 25,000/-प्रति वर्ष (Renewal Fee)।</li> </ul>

4.2	बिन्दु संख्या 2 (i) से (iii) पर वर्णित वास्तुविद जिन्हे डिग्री प्राप्त किये 5 वर्ष से कम समय हुआ है।	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा पंजीकरण करवाये जाने के पश्चात् 500 व.मी. से अधिक एवं 1000 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर अधिकतम 15 मी. ऊचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु अधिकृत होंगे।	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य के स्थानीय वास्तुविद—रूपये 20,000/- एकमुश्त व रूपये 7,500/- प्रति वर्ष (Renewal Fee)।</li> </ul>
4.3	बिन्दु संख्या 2 (iv) से (vii) पर वर्णित तकनीकीविद	250 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त उपयोग के भवन मानचित्रों को संबंधित नगरीय निकाय में प्रस्तुत किये जाने हेतु अधिकृत होंगे। (अधिकतम —बेसमेट+भूतल+तीन मंजिल)	10,000/- एकमुश्त व रूपये 2500/- प्रति वर्ष (Renewal Fee)।
4.4	बिन्दु संख्या 2 (viii) से (x) पर वर्णित तकनीकीविद	250 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त उपयोग के भवन मानचित्रों को संबंधित नगरीय निकाय में प्रस्तुत किये जाने हेतु अधिकृत होंगे। (अधिकतम —बेसमेट+भूतल+दो मंजिल )	रूपये 5,000/- एकमुश्त व रूपये 1500/- प्रति वर्ष (Renewal Fee)।

## 6. पंजीकृत वास्तुविद/ तकनीकीविद का दायित्व (Responsibility of Registered Architect) :-

6.1 पंजीकृत तकनीकीविद का दायित्व होगा कि भवन के निर्माण की अनुज्ञा दिये जाने की अवस्था में भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था एवं भवन में अपेक्षित सभी सेवाएं जहां कहीं भी इन विनियमों में अपेक्षित है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया व नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के अनुसार निष्पादित करे भवन निर्माण यदि विनियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन की जिम्मेदारी भवन निर्माता/अनुज्ञाधारी की होगी। पंजीकृत तकनीकीविद यह भी दायित्व होगा कि भवन निर्माण पूर्ण होने तक यदि कोई अवैध निर्माण किया जाता है तो समय—समय पर स्थानीय निकाय को सूचित करें।

6.2 उक्त पंजीकृत तकनीकीविद नगरीय निकायों से संबंधित अन्य नगर नियोजन संबंधी मानचित्र यथा स्थल मानचित्र, उपविभाजन/पुनर्गठन मानचित्र, ले—आउट प्लान (सक्षमता के अनुरूप) आदि हस्ताक्षर करने एवं नगरीय निकाय की अनुमति हेतु प्रस्तुत करने हेतु भी अधिकृत होंगे।

6.3 नगर नियोजन सम्बन्धी तकनीकी कार्यों हेतु उक्त पंजीकृत तकनीकीविदों का मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा समय—समय पर (न्यूनतम प्रत्येक छह माह) पर Orientation Workshop भी आयोजित कर Skill Up-gradation यथा नवीन तकनीक, नवीन नियमों आदि की जानकारी दी जावेगी एवं पंजीकृत तकनीकीविदों के कार्य की समीक्षा उपरान्त पंजीकरण निरस्तीकरण के आदेश भी दिये जा सकेंगे।

स्थानीय निकाय से पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रक्रिया :-

क्र.सं	स्थानीय निकाय से पूर्णता एवं अधिवास से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया
1.	पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच हेतु संबंधित निकाय द्वारा एक समिति गठित की जावेगी जिसमें सम्बन्धित निकाय का प्राधिकृत अधिकारी, नगर नियोजन अधिकारी (जो सहायक नगर नियोजक से कम स्तर का न हो), सम्बन्धित अभियंता को शामिल किया जायेगा, जिसे पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदत्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए अधिकृत किया जावेगा।
2.	अनुज्ञाधारक द्वारा निर्माण पूर्ण होने की सूचना सक्षम अधिकारी को मय मौका पर किये गये वास्तविक निर्माण के मानचित्रों एवं अनुमोदित मानचित्रों के (3 सेट) के साथ निर्धारित आवेदन पत्र, निर्धारित शपथ पत्र, अनुसूची—..... में निर्धारित चैकलिस्ट व निर्धारित शुल्क जमा कराये गये चालान की प्रति प्रस्तुत की जायेगी।
3.	सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मौका निरीक्षण करने हेतु दिनांक एवं समय तय कर अनुज्ञाधारक को सूचित कर संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जायेगा (उक्त दिनांक आवेदन प्रस्तुति के अधिकतम 15 दिवस के अन्तराल पर होगा)।
4.	भवन का निर्माण अनुमोदित भवन मानचित्र के अनुसार पाये जाने पर कमेटी द्वारा सक्षम अधिकारी को पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंसा 10 दिवस के भीतर प्रेषित कर दी जायेगी। उक्त अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा 10 दिवस के अन्दर पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। भूखण्ड पर अनुमोदित भवन मानचित्र से भिन्न ऐसा निर्माण/आतंरिक परिवर्तन जो कि भवन विनियमों के अनुरूप अनुज्ञेय हो को अनुमोदित भवन मानचित्र से विचलन नहीं माना जावेगा एवं बिना स्वीकृति निर्माण की श्रेणी में नहीं माना जावेगा एवं संशोधित भवन मानचित्र जारी किया जा सकेगा।
5.	अनुज्ञाधारक द्वारा आवेदन करने के पश्चात् 30 दिवस में यदि कमेटी अनुज्ञाधारक को अपने निर्णय की सूचना प्रेषित नहीं करती हैं तो अनुज्ञाधारक 15 दिवस का पुनः नोटिस सक्षम अधिकारी को देगा। इसके उपरान्त भी पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाने पर डिम्ड पूर्णता प्रमाण-पत्र माना जावेगा।
6.	पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात् योजना में साईनेज, लैण्डस्केपिंग, प्लांटेशन आदि उपलब्ध होने पर व भवन में आवश्यक सुविधाएं यथा बिजली, पानी, सीवरेज, गैस आदि कनेक्शन संबंधित विभाग से प्राप्त किये जाने एवं अनुसूची-3 के अनुसार आवश्यक एनओसी/सर्टफिकेट प्राप्त करने के पश्चात् अधिवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना होगा। अधिवास प्रमाण-पत्र जारी होने के 3 माह के अंदर Consent to Operate पर्यावरण विभाग से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7.	उक्त आवेदन प्राप्त होने के 7 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी/पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा आवश्यक जांच कर अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
8.	पूर्णता/अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पश्चात् यदि भूखण्ड पर कोई नियम विरुद्ध निर्माण किया जाता है तो पूर्णता/अधिवास प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल निरस्त किया जाकर उस भूखण्ड पर किये जा रहे निर्माण को बंद करवाया जा सकेगा तथा भवन को सीज भी किया जा सकेगा।

9.	<p><b>अनुमोदित मानचित्र से विचलन लेकिन भवन विनियम के अंतर्गत किया गया निर्माण—</b></p> <p>अनुमोदित मानचित्र से विचलन लेकिन भवन विनियमो के अन्तर्गत किये गये निर्माण के संबंध में कमेटी द्वारा 10 दिवस में सक्षम अधिकारी को सूचित करना होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक को 10 दिवस में सूचित करने पर आवेदक द्वारा 15 दिवस में संबंधित निकाय को मौके पर किये गये निर्माण के अनुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये जाने होंगे। संबंधित निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधित भवन मानचित्र 15 दिवस के अन्तर्गत अनुमोदित कर संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन की राशि हेतु मांग पत्र अनुज्ञाधारक को जारी किया जायेगा। अनुज्ञाधारक द्वारा निर्धारित राशि जमा कराये जाने के पश्चात स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 10 दिवस में संशोधित अनुमोदित भवन मानचित्र एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी कर दिया जायेगा।</p>
10.	<p><b>भवन विनियमों के विपरीत किया गया अवैध निर्माण –</b></p> <p>(i) भवन विनियमों के विपरित किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में माना जायेगा। कमेटी द्वारा 10 दिवस में सक्षम अधिकारी को सूचित करना होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा 10 दिवस में अनुज्ञाधारक को अवैध निर्माण 30 दिवस में हटाने का नोटिस जारी किया जायेगा। नोटिस प्राप्त होने पर अवैध निर्माण को 30 दिवस में हटाकर आवेदन द्वारा संशोधित मानचित्र कमेटी में प्रस्तुत करने पर पुनः मौका निरीक्षण किया जायेगा। मौके पर निर्माण भवन विनियमों के अन्तर्गत पाये जाने पर कमेटी द्वारा सक्षम अधिकारी को तदानुसार अनुशंसा प्रेषित की जायेगी। निर्धारित राशि जमा होने पर संशोधित मानचित्र एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी कर दिया जायेगा।</p> <p>(ii) यदि अनुज्ञाधारक भवन विनियम से अधिक विचलन को 90 दिवस में नहीं हटाता है तो सम्बन्धित निकाय को निर्माण को सीज/ध्वस्त करने का अधिकार होगा।</p>

*(Letter to be submitted by the Developer in Local Authority)*

To,

.....  
.....  
.....

**Subject :- Issuing of Completion Certificate/ Partial Completion Certificate by the Authority**

Sir/Madam,

This is to inform you that we have completed all the development works in our project

“ (Name of the project) ” located at (Address of Project)

as per latest Approved Building Plans issued by \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

We have deposited the Completion Certificate fee of Rs. \_\_\_\_\_/- in the Local Authority and are submitting all the requisite documents along with Completion Certificate as per prescribed checklist.

Kindly issue the Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the said project.

*(Enclosed: - Annexures as per attached list)*

*(Seal and Sign)*

.....  
**Name of the Developer/Promoter**

**Date:-**

**List of Documents to be for issuing of  
Completion Certificate/ Partial Completion Certificate**

S.No	Documents	Annexure's	Page Nos.
1	<b>Checklist of Completion Certificate</b>	Annexure 1	
2	<b>CC Fee deposition Receipt</b>	Annexure 2	
3	<b>Copy of Lease deed and Site Plan</b> <i>(issued by the Local Authority)</i>	Annexure 3	
4	<b>As-Built Drawings</b> <i>(Attested by Empaneled Architect)</i>	Annexure 4	
5	<b>Copy of Latest Approved Building Plans with Approval Letter</b> <i>(On the basis of which CC is issued)</i>	Annexure 5	
6	<b>Certified Copy of Google Map</b> <i>(with Latitude &amp; Longitude)</i>	Annexure 6	
7	<b>Site Photographs (from all the sides)</b> <i>(Building Blocks/Internal/Outer Development Works)</i>	Annexure 7	
8	<b>Certificate of Structural Engineer</b>	Annexure 8	
9	<b>Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC and Earthquake resistance provisions</b> <i>(Attested by the Architect, Structural Engineer and Developer of the Project)</i>	Annexure 9	
10	<b>• NOC from Environment Dept. (if applicable)</b> <b>• Consent to Establish from Pollution Control Board</b>	Annexure 11	
11	<b>Certificate from Labour Department for deposition of complete Labour Cess</b>	Annexure 10	
12	<b>List of EWS/LIG units and Status of Completion &amp; Allotment (if applicable)</b>	Annexure 11	
13	<b>Working/Services Drawings of the Project</b> <i>The scanned copy of all the drawings can be submitted in Pen-drive having Seal and sign of Concerned Consultant, Project Architect and Developer in separate folders as mentioned below.</i>	Annexure 12/ Scanned Copies in Pendrive	
i)	All Working Drawings	Sub-Annexure 13.1	
ii)	All Structural Drawings	Sub-Annexure 13.2	
iii)	All Electrical Drawings	Sub-Annexure 13.3	
iv)	Plumbing & Water Supply Drawings	Sub-Annexure 13.4	
v)	Storm Water and Sewerage Drawings	Sub-Annexure 13.5	
vi)	Fire Fighting Drawings	Sub-Annexure 13.6	
vii)	HVAC Drawings	Sub-Annexure 13.7	
viii)	Rain Water Harvesting Structure Drawings	Sub-Annexure 13.8	
ix)	Any Other Drawings	Sub-Annexure 13.9	

*Seal and Sign*

(Name of the Developer/Promoter)

Date:-

*(Letter Head of the Local body)*

Dispatch no. ....

Date of issue: .....

## **Completion Certificate/Partial Completion Certificate**

It is hereby certified that the Project \_\_\_\_\_ having Plot area \_\_\_\_\_ Sq.mts. located at Plot no./ Khasra No. \_\_\_\_\_ Village \_\_\_\_\_, Tehsil \_\_\_\_\_, District \_\_\_\_\_ (Raj.) by M/s. \_\_\_\_\_ was inspected by the Authority on \_\_\_\_\_ and found that the construction of the Complete Project/ Part of the project (Part area \_\_\_\_\_ Sq.mts. & Towers/Blocks \_\_\_\_\_) is completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated \_\_\_\_\_.

Developer/ Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC's & Certifications.

**Therefore, the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued by the Authority.**

*(Enclosed: Checklist of Completion Certificate)*

.....  
(Seal & Signature of Competent Officer with date)

Designation

<b>Check List for Completion Certificate</b>	
<b>Basic Details of the Project</b>	
<b>Name of Developer/Promoter</b>	
<b>Address of Developer/Promoter</b>	
<b>Name of the Project</b>	
<b>RERA Registration No.</b>	
<b>Address of the Project (Plot no./Khasra no.)</b>	
<b>Plot Area (Sq.mts.) (As per Approved Building Plan)</b>	
<b>Width of Front Road</b>	
<b>Landuse of Plot as per Lease deed</b>	<b>Date of issue of Lease Deed:</b>
<b>Use of Approved Building Plans</b> (Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group Housing/Studio/Row Houses/CMJAY-1A/3A/3B/3C/Hotel/Resort/Mall/Commercial Complex/Offices/School/College/Hospital/etc.)	
<b>Building Plans approving Authority</b>	
<b>Latest Building Plans Release date</b>	
<b>Building Plans Validity Date</b>	
<b>Building Plan Approval as per Building Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other)</b>	
<b>Architect of the Project &amp; COA no.</b>	
<b>Structural Engineer of the Project</b>	
<b>Completion Certificate issued for Complete approved project or Partial area of the Project</b>	<b>Complete Project/ Partial area of the Project</b>
<i>In case of Partial Completion Certificate,</i>	
<b>Partially completed Plot area</b>	
<b>Detail of Completed Block/Tower</b>	

Site Inspection Report					
A-Technical Parameters of Building Blocks:					
S.No	Details		As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
1	<b>Setbacks</b>		<b>Direction</b>		
	<b>Front</b>				
	<b>Side I</b>				
	<b>Side II</b>				
	<b>Rear</b>				
	<b>Ground Coverage</b>				
3	<b>Gross Built-up Area (Sq.mts)</b>				
4	<b>F.A.R/B.A.R (Sq.mts &amp; Ratio)</b>				
5	<b>Total No. of Floors</b> <i>(Basement, Stilt, above floors, service floor, etc.)</i>				
6	<b>Total Height of Building (In mts.)</b>				
i)	<b>Plinth</b>				
ii)	<b>Stilt/Podium</b>				
iii)	<b>Ground/First to Terrace</b>				
iv)	<b>Parapet/Mumty/Lift Machine Room/any other architectural element</b>				
7	<b>No. of Blocks/Towers</b>				
8	<b>Total No. of Units</b> <i>(Flats/Shops&gt;Showrooms etc.)</i>				
9	<b>Commercial Area</b> <i>(in case of Group housing/ Flatted Development project)</i>				
10	<b>Community Facilities area</b> <i>(Club, community hall, Society office, Swimming pool etc.)</i>				
11	<b>Refuge area (if any)</b>				
12	<b>Total No. of Staircases</b>				
i)	No. of Open Fire stair case				
ii)	No. of Pressurized Fire Stair case				
13	<b>No. of Lifts</b> <b>Size of Lift</b>				
14	<b>No. of Escalators</b>				
15	<b>Provision for Physically Challenged Persons</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramp</li> <li>• Toilet</li> <li>• Car Parking</li> <li>• Lifts</li> </ul>				
16	<b>Cut-Out/Open to Sky/Shfts</b>				
17	<b>Projections/Balconies etc.</b> <b>(Covered/extended)</b>				
18	<b>Porch (if any)</b>				

<b>B- Parking Parameters:</b>				
S.No	Details	As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
<b>1</b>	<b>Total E.C.U Required</b>			
<b>2</b>	<b>Total No. of Car parking</b>			
i)	<b>Surface Parking</b>			
ii)	<b>Mechanical Car Parking</b>			
iii)	• Basement (I,II,III,...)			
	• Stilt			
	• Open Area			
<b>3</b>	<b>Two-Wheeler Parking</b>			
<b>4</b>	<b>Bus Parking</b>			
<b>5</b>	<b>Visitors Parking</b>			
<b>6</b>	<b>EV Charging Facility Car parks</b>			
<b>7</b>	<b>Ramp (for parking floors)</b>			
	• Width			
	• Slope			
<b>8</b>	<b>Provision of Car Lift</b>			

<b>C- Outer Development Parameters:</b>				
S.No	Details	As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
<b>1</b>	<b>Green &amp; Plantation</b>			
i)	Total Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
ii)	Surface Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
iii)	Podium Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
iv)	Plantation Corridor ( <i>If any</i> )			
v)	Tree Plantation ( <i>As per Norms</i> )			
<b>2</b>	<b>Approved Services in the Project</b> <i>(STP, WTP, Under Ground Water Tank, Pump room, Panel Room, etc.)</i>			
<b>3</b>	<b>Driveways for Fire tender Movement/Parking, etc.</b>			
<b>4</b>	<b>No. of Entry/Exit &amp; Width</b>			
<b>5</b>	<b>No. of Security Rooms &amp; Size</b>			
<b>6</b>	<b>Height of Compound wall</b> <i>(As per Norms)</i>			

<b>D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy:</b>				
<i>Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.</i>				
<b>EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location</b>		<i>On main plot/ Split Location</i>		
<i>In case, EWS/LIG unit provided on Split Location</i>				
S.No	Details	As per Latest Approval	As per Site	Comments (if any)
1	<b>No. of EWS units</b>			
2	<b>No. of LIG units</b>			
3	<b>Total Carpet Area Provided (Sq.mts)</b>			
4	<b>Total SBUA Area Provided (Sq.mts)</b>			
5	<b>Parking of EWS/LIG Units</b>			
6	<b>Completion time of EWS/LIG units</b>			

<b>E- Development Work of Building Blocks (for Completion Certificate)</b>				
S.No	Development Works	Work to be Completed at the time of CC (in percentage)	Work done on in Project (Mark "YES")	Comments (if any)
1	<b>Civil construction work of Super structure</b>	100%		
2	<b>Internal &amp; External Plaster and Paint work</b>	100%		
3	<b>Door and window/ Structural Glazing work</b>	100%		
4	<b>Flooring Work</b>	100%		
5	<b>Balconies and railing work</b>	100%		
6	<b>Installation of Sanitary and Plumbing Fittings</b>	100%		
7	<b>Installation of Electrical Fittings</b>	100%		
8	<b>Community Facilities</b> <i>(Club, community hall, Society office, Swimming pool, shops etc.)</i>	100%		
9	<b>Development works of Common areas</b> <i>(Lobbies/Corridors/Staircase/Lift well/Terraces/Ramp/etc.)</i>	100%		
10	<b>Installation of Lifts/Escalators</b>	100%		
11	<b>Covered Parking Areas &amp; Mech. Parking</b> <i>(Basement/Stilt/etc.)</i>	100%		
12	<b>Elevational Work</b>	100%		
13	<b>Overhead and Underground Water Tanks</b>	100%		
14	<b>HVAC works</b>	100%		
15	<b>Provision for Physically Challenged Persons</b>	100%		
16	<b>Installation of Fire Safety Equipment's</b>	100%		
17	<b>Status of EWS/LIG units</b>	100%		

<b>F- Outer Development Works and Services of the Project (for Completion Certificate)</b>				
S.No	Development Works	Work to be Completed at the time of CC (in percentage)	Work done on in Project (Mark "YES")	Comments (if any)
1	<b>Compound wall</b>	100%		
2	<b>Entry &amp; Exit Gates/Guard Rooms</b>	100%		
3	<b>Driveways &amp; Pathways</b>	100%		
4	<b>Open Parking Areas</b>	100%		
5	<b>Meter Room/Pump Room etc.</b>	100%		
6	<b>Electrical Work/Light poles etc.</b>	100%		
7	<b>Water Supply lines/UG Tank</b>	100%		
8	<b>Storm Water Drains</b>	100%		
9	<b>Construction of Rain Water Harvesting Structure</b>	100%		
10	<b>Structure of Waste water Treatment/Recycling Plant</b>	100%		
11	<b>Laying of Sewerage line and Construction of Sewerage Treatment Plant (STP)</b>	100%		
12	<b>Any other work</b>	100%		

<b>G- NOC's/Certifications Required (for Completion Certificate)</b>			
S.No	Type of NOC/Certification	Applicable/ Not Applicable	Obtained
1	<b>Structural Certificate (Building Height more than 15 Mts.)</b>		
2	<b>Enviorment NOC (GBUA more than 20,000 Sq.Mts.)</b>		
3	<b>Consent to Establish (GBUA more than 2500 Sq.Mts.)</b>		
4	<b>Green Building Certification (LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM GEM)</b>		
5	<b>Labour Cess No Dues Certificate</b>		
6	<b>IBS NOC (For Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and Shopping mall/ Commercial Complexes.)</b>		
7	<b>Any other (as applicable)</b>		

**Completion Fee (To be deposited in Local Authority)**

Gross-Built up area of the completed Part \_\_\_\_\_ Sq.mts X Rs \_\_\_\_\_/- =

Total Amount Rs \_\_\_\_\_/- (In words \_\_\_\_\_)

(Seal &amp; Signature of Project Architect with date)

(Seal &amp; Signature of Developer with date)

Name of Architect: ..... Name of Developer: .....

Reg. No (Issued by COA): -.....

**Verification of Checklist by the Authority**

The site was inspected on \_\_\_\_\_ and found that the construction of the Complete Project/Part of the project (Part area \_\_\_\_\_ Sq.mts. & Towers/Blocks \_\_\_\_\_) is completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated \_\_\_\_\_. Developer/ Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC's & Certifications as per Checklist.

.....  
Designation.....  
Designation.....  
Designation**Note-**

1. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.
2. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other related Norms complied in the Project.
3. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as mentioned in Table "E" and Outer Development Works as mentioned in Table "F" must be completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as "YES" in the concerning columns before submitting Checklist.
4. Project Architect must ensure that all the NOC's and Certification (as applicable) must be obtained before submitting Checklist in the Authority.
5. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write 'NA' for Not applicable in the concerning columns.
6. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist. Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not changed.
7. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.
8. If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E & F) are not completed in all respect i.e. 100% and all the NOC's and Certification (as applicable) are not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.

*(Letter to be submitted by the Developer in Local Authority)*

To,

.....  
.....  
.....

**Subject :- Issuing of Occupancy/Partial Occupancy Certificate by the Authority**

Sir/Madam,

This is to inform you that our project “ \_\_\_\_\_ *(Name of the project)* \_\_\_\_\_ ” located at \_\_\_\_\_ *(Address of Project)* \_\_\_\_\_ is completed in all respects, we have obtained applicable NOC's/ Certifications and taken all connections like Water supply, Electricity etc. The project is ready to occupy by the allottees of the Project.

We have deposited the Occupancy Certificate fee of Rs. \_\_\_\_\_/- in the Local Authority and are submitting all the requisite documents alongwith Occupancy Certificate as per prescribed checklist.

Kindly issue the Occupancy Certificate of the said project.

*(Enclosed: - Annexures as per attached list)*

*(Seal and Sign)*

.....  
**Name of the Developer/Promoter**

**Date:-**

## List of Documents to be submitted with Occupancy Certificate

S.No	Documents	Annexure's	Page Nos.
1	<b>Checklist of Occupancy Certificate</b>	Annexure 1	
2	<b>OC Fee deposition Receipt</b>	Annexure 2	
3	<b>Copy of Lease deed and Site Plan</b> <i>(issued by the Local Authority)</i>	Annexure 3	
4	<b>As-Built Drawings</b> <i>(Attested by Empaneled Architect)</i>	Annexure 4	
5	<b>Copy of Latest Approved Building Plans</b> <i>(On the basis of which CC is issued)</i>	Annexure 5	
6	<b>Certified Copy of Google Map</b> <i>(with Latitude &amp; Longitude)</i>	Annexure 6	
7	<b>Site Photographs (from all the sides)</b> <i>(Building Blocks/Internal/Outer Development Works)</i>	Annexure 7	
8	<b>Certificate of Structural Engineer</b>	Annexure 8	
9	<b>Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC and Earthquake resistance provisions</b> <i>(Attested by the Architect, Structural Engineer and Developer of the Project)</i>	Annexure 9	
10	<b>NOC from Fire Department (if applicable)</b>	Annexure 10	
11	<b>Consent to Operate from Pollution Control Board (if applicable)</b>	Annexure 11	
12	<b>NOC from Labour Department</b>	Annexure 12	
13	<b>List of EWS/LIG units and Status of Completion &amp; Allotment (if applicable)</b>	Annexure 13	
14	<b>Working/Services Drawings of the Project</b> <i>The scanned copy of all the drawings can be submitted in Pen-drive having Seal and sign of Concerned Consultant, Project Architect and Developer in separate folders as mentioned below.</i>	Annexure 14/ Scanned Copies in Pendrive	
i)	All Working Drawings	Sub-Annexure 14.1	
ii)	All Structural Drawings	Sub-Annexure 14.2	
iii)	All Electrical Drawings	Sub-Annexure 14.3	
iv)	Plumbing & Water Supply Drawings	Sub-Annexure 14.4	
v)	Storm Water and Sewerage Drawings	Sub-Annexure 14.5	
vi)	Fire Fighting Drawings	Sub-Annexure 14.6	
vii)	HVAC Drawings	Sub-Annexure 14.7	
viii)	Rain Water Harvesting Structure Drawings	Sub-Annexure 14.8	
ix)	Any Other Drawings	Sub-Annexure 14.9	

*Seal and Sign*  
**(Name of the Developer/Promoter)**  
**Date :-**

*(Letter Head of the Local Body)*

Dispatch no. ....

Date of Issue: .....

## **Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate**

It is hereby certified that the Project \_\_\_\_\_ having Plot area \_\_\_\_\_ Sq.mts. located at Plot no./ Khasra No. \_\_\_\_\_ Village \_\_\_\_\_, Tehsil \_\_\_\_\_, District \_\_\_\_\_ (Raj.) by M/s. \_\_\_\_\_ was inspected by the Authority on \_\_\_\_\_ and that the construction of the Project is completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated \_\_\_\_\_. All the services in the project like Electrical, Water supply, STP/WTP, Solar system, etc. are functional and promoter has obtained all necessary connections accordingly. Therefore, the said Project is ready to occupy by the allottees.

Developer/ Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC's & Certifications.

**Therefore, the Occupancy Certificate is issued by the Authority.**

*(Enclosed: Checklist of Completion Certificate)*

.....  
(Seal & Signature of Competent Officer with date)

Designation

<b>Check List for Occupancy Certificate</b>	
<b>Basic Details of the Project</b>	
<b>Name of Developer/Promoter</b>	
<b>Address of Developer/Promoter</b>	
<b>Name of the Project</b>	
<b>RERA Registration No.</b>	
<b>Address of the Project (Plot no./Khasra no.)</b>	
<b>Plot Area (Sq.mts.) (As per Approved Building Plan)</b>	
<b>Width of Front Road</b>	
<b>Landuse of Plot as per Lease deed</b>	<b>Date of issue of Lease Deed:</b>
<b>Use of Approved Building Plans</b> (Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group Housing/Studio/Row Houses/CMJAY-1A/3A/3B/3C/Hotel/Resort/Mall/Commercial Complex/Offices/School/College/Hospital/etc.)	
<b>Building Plans approving Authority</b>	
<b>Latest Building Plans Release date</b>	
<b>Building Plans Validity Date</b>	
<b>Building Plan Approval as per Building Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other)</b>	
<b>Architect of the Project &amp; COA no.</b>	
<b>Structural Engineer of the Project</b>	
<b>Completion Certificate issued by</b>	
<b>Completion Certificate issued on</b>	
<b>Completion Certificate deposited in Local Authority on</b>	

Site Inspection Report					
A-Technical Parameters of Building Blocks:					
S.No	Details		As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
<b>1</b>	<b>Setbacks</b>		<b>Direction</b>		
	<b>Front</b>				
	<b>Side I</b>				
	<b>Side II</b>				
	<b>Rear</b>				
<b>2</b>	<b>Ground Coverage</b>				
<b>3</b>	<b>Gross Built-up Area (Sq.mts)</b>				
<b>4</b>	<b>F.A.R/B.A.R (Sq.mts &amp; Ratio)</b>				
<b>5</b>	<b>Total No. of Floors</b> <i>(Basement, Stilt, above floors, service floor, etc.)</i>				
<b>6</b>	<b>Total Height of Building</b>				
i)	<b>Plinth</b>				
ii)	<b>Stilt/Podium</b>				
iii)	<b>Ground/First to Terrace</b>				
iv)	<b>Parapet/Mumty/Lift Machine Room/any other architectural element</b>				
<b>7</b>	<b>No. of Blocks/Towers</b>				
<b>8</b>	<b>Total No. of Units</b> <i>(Flats/Shops&gt;Showrooms etc.)</i>				
<b>9</b>	<b>Commercial Area</b> <i>(in case of Group housing/ Flatted Development project)</i>				
<b>10</b>	<b>Community Facilities area</b> <i>(Club, community hall, Society office, Swimming pool etc.)</i>				
<b>11</b>	<b>Refuge area (if any)</b>				
<b>12</b>	<b>Total No. of Staircases</b>				
i)	No. of Open Fire stair case				
ii)	No. of Pressurized Fire Stair case				
<b>13</b>	<b>No. of Lifts</b> <b>Size of Lift</b>				
<b>14</b>	<b>No. of Escalators</b>				
<b>15</b>	<b>Provision for Physically Challenged Persons</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramp</li> <li>• Toilet</li> <li>• Car Parking</li> <li>• Lifts</li> </ul>				
<b>16</b>	<b>Cut-Out/Open to Sky/Shfts</b>				
<b>17</b>	<b>Projections/Balconies etc.</b> <i>(Covered/extended)</i>				
<b>18</b>	<b>Porch (if any)</b>				

<b>B- Parking Parameters:</b>				
S.No	Details	As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
<b>1</b>	<b>Total E.C.U Required</b>			
<b>2</b>	<b>Total No. of Car parking</b>			
i)	<b>Surface Parking</b>			
ii)	<b>Mechanical Car Parking</b>			
iii)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basement (I,II,III,...)</li> <li>• Stilt</li> <li>• Open Area</li> </ul>			
<b>3</b>	<b>Two-Wheeler Parking</b>			
<b>4</b>	<b>Bus Parking</b>			
<b>5</b>	<b>Visitors Parking</b>			
<b>6</b>	<b>EV Charging Facility Car parks</b>			
<b>7</b>	<b>Ramp (for parking floors)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Width</li> <li>• Slope</li> </ul>			
<b>8</b>	<b>Provision of Car Lift</b>			

<b>C- Outer Development Parameters:</b>				
S.No	Details	As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
<b>1</b>	<b>Green &amp; Plantation</b>			
i)	Total Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
ii)	Surface Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
iii)	Podium Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
iv)	Plantation Corridor ( <i>If any</i> )			
v)	Tree Plantation ( <i>As per Norms</i> )			
<b>2</b>	<b>Approved Services in the Project</b> <i>(STP, WTP, Under Ground Water Tank, Pump room, Panel Room, etc.)</i>			
<b>3</b>	<b>Driveways for Fire tender Movement/Parking, etc.</b>			
<b>4</b>	<b>No. of Entry/Exit &amp; Width</b>			
<b>5</b>	<b>No. of Security Rooms &amp; Size</b>			
<b>6</b>	<b>Height of Compound wall</b> <i>(As per Norms)</i>			

<b>D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy:</b>				
<i>Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.</i>				
<b>EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location</b>			<i>On main plot/ Split Location</i>	
<i>In case, EWS/LIG unit provided on Split Location</i>				
S.No	Details	As per Latest Approval	As per Site	Comments (if any)
1	<b>No. of EWS units</b>			
2	<b>No. of LIG units</b>			
3	<b>Total Carpet Area Provided(Sq.mts)</b>			
4	<b>Total SBUA Area Provided (Sq.mts)</b>			
5	<b>Parking of EWS/LIG Units</b>			
6	<b>Completion time of EWS/LIG units</b>			

<b>E- Development Work of Building Blocks (for Occupancy Certificate)</b>				
S.No	Development Works	Work to be Completed at the time of CC (in percentage)	Work done on in Project (Mark "YES")	Comments (if any)
1	<b>Civil construction work of Super structure</b>	100%		
2	<b>Internal &amp; External Plaster and Paint work</b>	100%		
3	<b>Door and window/ Structural Glazing work</b>	100%		
4	<b>Flooring Work</b>	100%		
5	<b>Balconies and railing work</b>	100%		
6	<b>Installation of Sanitary and Plumbing Fittings</b>	100%		
7	<b>Installation of Electrical Fittings</b>	100%		
8	<b>Community Facilities</b> <i>(Club, community hall, Society office, Swimming pool, shops etc.)</i>	100%		
9	<b>Development works of Common areas</b> <i>(Lobbies/Corridors/Staircase/Lift well/Terraces/Ramp/etc.)</i>	100%		
10	<b>Installation of Lifts/Escalators</b>	100%		
11	<b>Covered Parking Areas &amp; Mech. Parking (Basement/Stilt/etc.)</b>	100%		
12	<b>Elevational Work</b>	100%		
13	<b>Overhead and Underground Water Tanks</b>	100%		
14	<b>HVAC works</b>	100%		
15	<b>Provision for Physically Challenged Persons</b>	100%		
16	<b>Installation of Fire Safety Equipment's</b>	100%		
17	<b>Status of EWS/LIG units</b>	100%		

<b>F- Outer Development Works and Services of the Project (for Occupancy Certificate)</b>				
S.No	Development Works	Work to be Completed at the time of CC (in percentage)	Work done on in Project (Mark "YES")	Comments (if any)
1	<b>Compound wall</b>	100%		
2	<b>Entry &amp; Exit Gates/Guard Rooms</b>	100%		
3	<b>Driveways &amp; Pathways</b>	100%		
4	<b>Open Parking Areas</b>	100%		
5	<b>Meter Room/Pump Room etc.</b>	100%		
6	<b>Electrical Work/Light poles etc.</b>	100%		
7	<b>Water Supply lines/UG Tank</b>	100%		
8	<b>Storm Water Drains</b>	100%		
9	<b>Construction of Rain Water Harvesting Structure</b>	100%		
10	<b>Structure of Waste water Treatment/Recycling Plant</b>	100%		
11	<b>Laying of Sewerage line and Construction of Sewerage Treatment Plant (STP)</b>	100%		
12	<b>Any other work</b>	100%		

<b>G- Installation Works (for Occupancy Certificate)</b>				
S.No	Development Works	Work to be Completed at the time of OC (in percentage)	Work done on in Project (Mark "YES")	Comments (if any)
1	<b>Development of Green and Landscape areas</b>	100%		
2	<b>Tree Plantation (As per Norms)</b>	100%		
3	<b>Installation of Transformer/ DG set/ Meters/ Electrical Connection</b>	100%		
4	<b>Water Supply Connection/Boring</b>	100%		
5	<b>Installation of Machinery of WTP</b>	100%		
6	<b>Installation of Machinery of STP</b>	100%		
7	<b>Installation of equipment's for Solid Waste Management</b>	100%		
8	<b>Installation of Solar Panels/Solar Water Heater</b>	100%		
9	<b>Installation of Gas Bank &amp; Pipe lines (If applicable)</b>	100%		

<b>H- NOC's/Certifications Required</b>			
<b>S.No</b>	<b>Type of NOC/Certification</b>	<b>Applicable/ Not Applicable</b>	<b>Obtained</b>
<b>1</b>	<b>Fire NOC</b>		
<b>2</b>	<b>Consent to Operate (as applicable)</b>		
<b>3</b>	<b>Any other (as applicable)</b>		

**Occupancy Fee (To be deposited in Local Authority)**

Gross-Built up area of the completed Part \_\_\_\_\_ Sq.mts X Rs \_\_\_\_\_/- =

**Total Amount Rs \_\_\_\_\_/- (In words \_\_\_\_\_)**

.....  
(Seal & Signature of Project Architect with date)

.....  
(Seal & Signature of Developer with date)

Name of Architect: ..... Name of Developer: .....

Reg. No (Issued by COA): -.....

**Verification of Checklist by the Authority**

The site was inspected on \_\_\_\_\_ and found that the construction of the project is completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated \_\_\_\_\_. Developer/ Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC's & Certifications as per Checklist.

.....  
Designation

.....  
Designation

.....  
Designation

**Note-**

1. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.
2. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other related Norms complied in the Project.
3. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as mentioned in Table "E" and Outer Development Works as mentioned in Table "F" must be completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as "YES" in the concerning columns before submitting Checklist.
4. Empaneled Architect must ensure that all the NOC's and Certification (as applicable) must be obtained before submitting Checklist in the Authority.
5. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write 'NA' for Not applicable in the concerning columns.
6. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist of Occupancy Certificate, Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not changed.
7. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.
8. If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E , F & G) are not completed in all respect i.e. 100% and all the NOC's and Certification (as applicable) are not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority

पंजीकृत वास्तुविद् से पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रक्रिया :–

क्र.सं	पंजीकृत वास्तुविद् से पूर्णता एवं अधिवास से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया
1.	अनुज्ञाधारक द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्रों के अनुसार मौके पर निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पंजीकृत वास्तुविद् को पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्धारित समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जाना होगा।
2.	पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा निर्मित भवन का मौका निरीक्षण किया जाकर अनुमोदित भवन मानचित्रों के अनुसार निर्माण पाये जाने पर अनुज्ञाधारक को पूर्णता/अधिवास प्रमाण की राशि हेतु मांग पत्र जारी किया जाना होगा।
3.	अनुज्ञाधारक द्वारा स्थानीय निकाय में मांग पत्र अनुसार राशि जमा करवाया जाकर रसीद की प्रति पंजीकृत वास्तुविद् को उपलब्ध करवाई जानी होगी।
4.	पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा जमा राशि की रसीद प्राप्त कर विकासकर्ता को अनुसूची—..... में निर्धारित चैकलिस्ट की पूर्ति कर पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र मय चैकलिस्ट जारी किया जाना होगा। वास्तुविद् द्वारा चैकलिस्ट में निर्धारित समस्त दस्तावेजों यथा साईट फोटोग्राफस्, मौके किये निर्माण हेतु मानचित्र (As-Built Drawings), को प्रमाणित किया जाकर विकासकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना होगा।
5.	अनुज्ञाधारक द्वारा पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा जारी पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र मय चैकलिस्ट एवं चैकलिस्ट में निर्धारित अन्य समस्त दस्तावेजों को स्थानीय निकाय में जमा करवाया जाना होगा।
6.	स्थानीय निकाय द्वारा अनुज्ञाधारक से प्राप्त पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों मय शुल्क जमा होने की सुनिश्चितता उपरान्त आवेदक को Acknowledgement Letter जारी किया जाना आवश्यक होगा।
7.	मौके पर अनुमोदित भवन मानचित्र से विचलन लेकिन भवन विनियमों के अन्तर्गत निर्माण पाये जाने पर पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा अनुज्ञाधारक को मौके पर किये गये निर्माण अनुसार संशोधित भवन मानचित्र सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाये जाने हेतु सूचित किया जाना होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा सक्षम स्तर से तदानुसार संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित करवाये जाने के पश्चात् ही पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
8.	मौके पर भवन विनियमों के विपरित किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त एवं अनुमोदित भवन मानचित्रों के अनुसार निर्माण पाये जाने पर ही पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
9.	यदि वास्तुविद् द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे गलत पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा एवं स्थानीय निकाय की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा संबंधित वास्तुविद् का पंजीकरण निरस्त अथवा निलम्बित किया जा सकेगा।

To,

.....  
.....  
.....

**Subject :- Submission of Completion Certificate/ Partial Completion Certificate issued by  
Empaneled Architect.**

Sir/Madam,

This is to inform you that we have completed all the development works in our project

“ (Name of the project) ” located at (Address of Project)

as per latest Approved Building Plans issued by \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ .

Therefore, we have taken Completion Certificate/ Partial Completion Certificate of the Project  
from Empaneled Architect (Name of the Architect) on (date) .

We have deposited the Completion Certificate fee of Rs. \_\_\_\_\_/- in the Local  
Authority and are submitting all the requisite documents along with Completion Certificate as  
per prescribed checklist.

Kindly accept the Completion Certificate/Partial Completion Certificate.

*(Enclosed: - Annexures as per attached list)*

*(Seal and Sign)*

.....  
**Name of the Developer/Promoter**

**Date:-**

**List of Documents to be for issuing of  
Completion Certificate/ Partial Completion Certificate**

S.No	Documents	Annexure's	Page Nos.
1	<b>Completion Certificate</b>	Annexure 1	
2	<b>Checklist of Completion Certificate</b>	Annexure 2	
3	<b>CC Fee deposition Receipt</b>	Annexure 3	
4	<b>Copy of Lease deed and Site Plan</b> <i>(issued by the Local Authority)</i>	Annexure 4	
5	<b>As-Built Drawings</b> <i>(Attested by Empaneled Architect)</i>	Annexure 5	
6	<b>Copy of Latest Approved Building Plans with Approval Letter</b> <i>(On the basis of which CC is issued)</i>	Annexure 6	
7	<b>Certified Copy of Google Map</b> <i>(with Latitude &amp; Longitude)</i>	Annexure 7	
8	<b>Site Photographs</b> <i>(from all the sides)</i> <i>(Building Blocks/Internal/Outer Development Works)</i>	Annexure 8	
9	<b>Certificate of Structural Engineer</b>	Annexure 9	
10	<b>Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC and Earthquake resistance provisions</b> <i>(Attested by the Architect, Structural Engineer and Developer of the Project)</i>	Annexure 11	
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NOC from Environment Dept.</b> <i>(if applicable)</i></li> <li>• <b>Consent to Establish from Pollution Control Board</b></li> </ul>	Annexure 10	
12	<b>Certificate from Labour Department for deposition of complete Labour Cess</b>	Annexure 11	
13	<b>List of EWS/LIG units and Status of Completion &amp; Allotment</b> <i>(if applicable)</i>	Annexure 12	
14	<b>Working/Services Drawings of the Project</b> <i>The scanned copy of all the drawings can be submitted in Pen-drive having Seal and sign of Concerned Consultant, Project Architect and Developer in separate folders as mentioned below.</i>	Annexure 13/ Scanned Copies in Pendrive	
i)	All Working Drawings	Sub-Annexure 13.1	
ii)	All Structural Drawings	Sub-Annexure 13.2	
iii)	All Electrical Drawings	Sub-Annexure 13.3	
iv)	Plumbing & Water Supply Drawings	Sub-Annexure 13.4	
v)	Storm Water and Sewerage Drawings	Sub-Annexure 13.5	
vi)	Fire Fighting Drawings	Sub-Annexure 13.6	
vii)	HVAC Drawings	Sub-Annexure 13.7	
viii)	Rain Water Harvesting Structure Drawings	Sub-Annexure 13.8	
ix)	Any Other Drawings	Sub-Annexure 13.9	

*Seal and Sign*

Date:-

(Name of the Developer/Promoter)

Dispatch no. ....

Date of Issue: .....

## **Completion Certificate/Partial Completion Certificate**

I, \_\_\_\_\_ S/o Shri \_\_\_\_\_,  
Resident of \_\_\_\_\_ hereby certified that the Project  
\_\_\_\_\_ having Plot area \_\_\_\_\_ Sq.mts. located at Plot no./  
Khasra No. \_\_\_\_\_ Village \_\_\_\_\_, Tehsil \_\_\_\_\_,  
District \_\_\_\_\_ (Raj.) by M/s. \_\_\_\_\_ was personally inspected by  
me on \_\_\_\_\_ and found that the construction of the Complete Project/ Part of the project  
(Part area \_\_\_\_\_ Sq.mts. & Towers/Blocks \_\_\_\_\_) is completed on site in  
accordance with the Building Plans approved by \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.  
The details filled in the Checklist of Completion Certificate are correct and Developer/ Promoter  
has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said  
Project and obtained all necessary NOC's & Certifications.

**Therefore, the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued under  
my signature today on dated \_\_\_\_\_.**

*(Enclosed: Checklist of Completion Certificate)*

.....  
(Seal & Signature of Architect with Date)

Name of Architect:.....

Reg. No (Issued by COA):-.....

Reg. No (Issued by CTP Raj.):-.....

Renewal Date of Reg. No. CTP Raj.:-.....

<b>Check List for Completion Certificate</b>	
<b>Basic Details of the Project</b>	
<b>Name of Developer/Promoter</b>	
<b>Address of Developer/Promoter</b>	
<b>Name of the Project</b>	
<b>RERA Registration No.</b>	
<b>Address of the Project (Plot no./Khasra no.)</b>	
<b>Plot Area (Sq.mts.) (As per Approved Building Plan)</b>	
<b>Width of Front Road</b>	
<b>Landuse of Plot as per Lease deed</b>	<b>Date of issue of Lease Deed:</b>
<b>Use of Approved Building Plans</b> (Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group Housing/Studio/Row Houses/CMJAY-1A/3A/3B/3C/Hotel/Resort/Mall/Commercial Complex/Offices/School/College/Hospital/etc.)	
<b>Building Plans approving Authority</b>	
<b>Latest Building Plans Release date</b>	
<b>Building Plans Validity Date</b>	
<b>Building Plan Approval as per Building Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other)</b>	
<b>Architect of the Project &amp; COA no.</b>	
<b>Structural Engineer of the Project</b>	
<b>Completion Certificate issued for Complete approved project or Partial area of the Project</b>	<b>Complete Project/ Partial area of the Project</b>
<i>In case of Partial Completion Certificate,</i>	
<b>Partially completed Plot area</b>	
<b>Detail of Completed Block/Tower</b>	

Site Inspection Report					
A-Technical Parameters of Building Blocks:					
S.No	Details		As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
1	<b>Setbacks</b>	<b>Direction</b>			
	<b>Front</b>				
	<b>Side I</b>				
	<b>Side II</b>				
	<b>Rear</b>				
	<b>Ground Coverage</b>				
3	<b>Gross Built-up Area (Sq.mts)</b>				
4	<b>F.A.R/B.A.R (Sq.mts &amp; Ratio)</b>				
5	<b>Total No. of Floors</b> <i>(Basement, Stilt, above floors, service floor, etc.)</i>				
6	<b>Total Height of Building (In mts.)</b>				
i)	<b>Plinth</b>				
ii)	<b>Stilt/Podium</b>				
iii)	<b>Ground/First to Terrace</b>				
iv)	<b>Parapet/Mumty/Lift Machine Room/any other architectural element</b>				
7	<b>No. of Blocks/Towers</b>				
8	<b>Total No. of Units</b> <i>(Flats/Shops&gt;Showrooms etc.)</i>				
9	<b>Commercial Area</b> <i>(in case of Group housing/ Flatted Development project)</i>				
10	<b>Community Facilities area</b> <i>(Club, community hall, Society office, Swimming pool etc.)</i>				
11	<b>Refuge area (if any)</b>				
12	<b>Total No. of Staircases</b>				
i)	No. of Open Fire stair case				
ii)	No. of Pressurized Fire Stair case				
13	<b>No. of Lifts</b> <b>Size of Lift</b>				
14	<b>No. of Escalators</b>				
15	<b>Provision for Physically Challenged Persons</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramp</li> <li>• Toilet</li> <li>• Car Parking</li> <li>• Lifts</li> </ul>				
16	<b>Cut-Out/Open to Sky/Shachts</b>				
17	<b>Projections/Balconies etc.</b> <i>(Covered/extended)</i>				
18	<b>Porch (if any)</b>				

<b>B- Parking Parameters:</b>				
S.No	Details	As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
<b>1</b>	<b>Total E.C.U Required</b>			
<b>2</b>	<b>Total No. of Car parking</b>			
i)	<b>Surface Parking</b>			
ii)	<b>Mechanical Car Parking</b>			
iii)	• Basement (I,II,III,...)			
	• Stilt			
	• Open Area			
<b>3</b>	<b>Two-Wheeler Parking</b>			
<b>4</b>	<b>Bus Parking</b>			
<b>5</b>	<b>Visitors Parking</b>			
<b>6</b>	<b>EV Charging Facility Car parks</b>			
<b>7</b>	<b>Ramp (for parking floors)</b>			
	• Width			
	• Slope			
<b>8</b>	<b>Provision of Car Lift</b>			

<b>C- Outer Development Parameters:</b>				
S.No	Details	As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
<b>1</b>	<b>Green &amp; Plantation</b>			
i)	Total Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
ii)	Surface Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
iii)	Podium Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
iv)	Plantation Corridor ( <i>If any</i> )			
v)	Tree Plantation ( <i>As per Norms</i> )			
<b>2</b>	<b>Approved Services in the Project</b> <i>(STP, WTP, Under Ground Water Tank, Pump room, Panel Room, etc.)</i>			
<b>3</b>	<b>Driveways for Fire tender Movement/Parking, etc.</b>			
<b>4</b>	<b>No. of Entry/Exit &amp; Width</b>			
<b>5</b>	<b>No. of Security Rooms &amp; Size</b>			
<b>6</b>	<b>Height of Compound wall</b> <i>(As per Norms)</i>			

<b>D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy:</b>				
<i>Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.</i>				
<b>EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location</b>		<i>On main plot/ Split Location</i>		
<i>In case, EWS/LIG unit provided on Split Location</i>				
<b>Address of Split Location</b>				
S.No	Details	As per Latest Approval	As per Site	Comments (if any)
1	<b>No. of EWS units</b>			
2	<b>No. of LIG units</b>			
3	<b>Total Carpet Area Provided (Sq.mts)</b>			
4	<b>Total SBUA Area Provided (Sq.mts)</b>			
5	<b>Parking of EWS/LIG Units</b>			
6	<b>Completion time of EWS/LIG units</b>			

<b>E- Development Work of Building Blocks (for Completion Certificate)</b>				
S.No	Development Works	Work to be Completed at the time of CC (in percentage)	Work done on in Project (Mark "YES")	Comments (if any)
1	<b>Civil construction work of Super structure</b>	100%		
2	<b>Internal &amp; External Plaster and Paint work</b>	100%		
3	<b>Door and window/ Structural Glazing work</b>	100%		
4	<b>Flooring Work</b>	100%		
5	<b>Balconies and railing work</b>	100%		
6	<b>Installation of Sanitary and Plumbing Fittings</b>	100%		
7	<b>Installation of Electrical Fittings</b>	100%		
8	<b>Community Facilities</b> <i>(Club, community hall, Society office, Swimming pool, shops etc.)</i>	100%		
9	<b>Development works of Common areas</b> <i>(Lobbies/Corridors/Staircase/Lift well/Terraces/Ramp/etc.)</i>	100%		
10	<b>Installation of Lifts/Escalators</b>	100%		
11	<b>Covered Parking Areas &amp; Mech. Parking (Basement/Stilt/etc.)</b>	100%		
12	<b>Elevational Work</b>	100%		
13	<b>Overhead and Underground Water Tanks</b>	100%		
14	<b>HVAC works</b>	100%		
15	<b>Provision for Physically Challenged Persons</b>	100%		
16	<b>Installation of Fire Safety Equipment's</b>	100%		
17	<b>Status of EWS/LIG units</b>	100%		

<b>F- Outer Development Works and Services of the Project (for Completion Certificate)</b>				
S.No	Development Works	Work to be Completed at the time of CC (in percentage)	Work done on in Project (Mark "YES")	Comments (if any)
1	<b>Compound wall</b>	100%		
2	<b>Entry &amp; Exit Gates/Guard Rooms</b>	100%		
3	<b>Driveways &amp; Pathways</b>	100%		
4	<b>Open Parking Areas</b>	100%		
5	<b>Meter Room/Pump Room etc.</b>	100%		
6	<b>Electrical Work/Light poles etc.</b>	100%		
7	<b>Water Supply lines/UG Tank</b>	100%		
8	<b>Storm Water Drains</b>	100%		
9	<b>Construction of Rain Water Harvesting Structure</b>	100%		
10	<b>Structure of Waste water Treatment/Recycling Plant</b>	100%		
11	<b>Laying of Sewerage line and Construction of Sewerage Treatment Plant (STP)</b>	100%		
12	<b>Any other work</b>	100%		

<b>G- NOC's/Certifications Required (for Completion Certificate)</b>			
S.No	Type of NOC/Certification	Applicable/ Not Applicable	Obtained
1	<b>Structural Certificate (Building Height more than 15 Mts.)</b>		
2	<b>Enviorment NOC (GBUA more than 20,000 Sq.Mts.)</b>		
3	<b>Consent to Establish (GBUA more than 2500 Sq.Mts.)</b>		
4	<b>Green Building Certification (LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM GEM)</b>		
5	<b>Labour Cess No Dues Certificate</b>		
6	<b>IBS NOC (For Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and Shopping mall/ Commercial Complexes.)</b>		
7	<b>Any other (as applicable)</b>		

**Completion Fee (To be deposited in Local Authority)**

Gross-Built up area of the completed Part \_\_\_\_\_ Sq.mts X Rs \_\_\_\_\_/- =

**Total Amount Rs\_\_\_\_\_/- (In words\_\_\_\_\_)**

(Seal & Signature of Architect with date)

(Seal & Signature of Developer with date)

Name of Architect:

Name of Developer: .....

Reg. No (Issued by COA): -.....

Reg. No (Issued by CTP RAJ.):-

Renewal date of Reg. No. CTP RAJ.: - .....

**Note-**

1. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.
2. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other related Norms complied in the Project.
3. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as mentioned in Table "E" and Outer Development Works as mentioned in Table "F" must be completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as "YES" in the concerning columns before submitting Checklist.
4. Project Architect must ensure that all the NOC's and Certification (as applicable) must be obtained before submitting Checklist in the Authority.
5. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write 'NA' for Not applicable in the concerning columns.
6. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist. Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not changed.
7. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.
8. If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E & F) are not completed in all respect i.e. 100% and all the NOC's and Certification (as applicable) are not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.

*(Letter to be issued by the Local Authority to the Developer)*

*(on Letter Head)*

Dispatch no. ....

Date of issue: .....

### **Acknowledgment Letter**

To,

.....  
.....  
.....

**Subject: - Acceptance of Completion Certificate/Partial Completion Certificate issued by  
Empaneled Architect.**

**Reference: - Your Letter of submission of Completion Certificate/Partial Completion  
Certificate dated \_\_\_\_\_ .**

Dear Applicant,

In reference to the above mentioned subject and your letter dated \_\_\_\_\_, it is hereby informed that Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the Project “      (Name of the project)      ” located at       (Address of Project)       Issued by Empaneled Architect \_\_\_\_\_, is accepted by the Authority.

Kindly note that if Authority finds that the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued on the basis of wrong facts or any false documents are submitted alongwith Completion Certificate/Partial Completion Certificate, then, Completion Certificate/Partial Completion Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against you and Empaneled Architect, as the case may be.

Kindly be informed.

.....

(Seal & Signature of Competent Officer with date)

Designation

*(Letter to be submitted by the Developer in Local Authority)*

To,

.....  
.....  
.....

**Subject :- Submission of Occupancy/Partial Occupancy Certificate issued by Empaneled Architect.**

Sir/Madam,

This is to inform you that our project “(Name of the project)” located at  
(Address of Project) is completed in all respects, we have obtained applicable NOC's/ Certifications and taken all connections like Water supply, Electricity etc. The project is ready to occupy by the allottees of the Project.

Therefore, we have taken Occupancy Certificate of the Project from Empaneled Architect  
(Name of the Architect) on (date).

We have deposited the Occupancy Certificate fee of Rs. \_\_\_\_\_/- in the Local Authority and are submitting all the requisite documents alongwith Occupancy Certificate as per prescribed checklist.

Kindly accept the Occupancy Certificate.

*(Enclosed:- Annexures as per attached list)*

*(Seal and Sign)*

.....  
**Name of the Developer/Promoter**

**Date:-**

## List of Documents to be submitted with Occupancy Certificate

S.No	Documents	Annexure's	Page Nos.
1	<b>Checklist of Occupancy Certificate</b>	Annexure 1	
2	<b>OC Fee deposition Receipt</b>	Annexure 2	
3	<b>Copy of Lease deed and Site Plan</b> <i>(issued by the Local Authority)</i>	Annexure 3	
4	<b>As-Built Drawings</b> <i>(Attested by Empaneled Architect)</i>	Annexure 4	
5	<b>Copy of Latest Approved Building Plans</b> <i>(On the basis of which CC is issued)</i>	Annexure 5	
6	<b>Certified Copy of Google Map</b> <i>(with Latitude &amp; Longitude)</i>	Annexure 6	
7	<b>Site Photographs</b> <i>(from all the sides)</i> <i>(Building Blocks/Internal/Outer Development Works)</i>	Annexure 7	
8	<b>Certificate of Structural Engineer</b>	Annexure 8	
9	<b>Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC and Earthquake resistance provisions</b> <i>(Attested by the Architect, Structural Engineer and Developer of the Project)</i>	Annexure 9	
10	<b>NOC from Fire Department</b> <i>(if applicable)</i>	Annexure 10	
11	<b>Consent to Operate from Pollution Control Board</b> <i>(if applicable)</i>	Annexure 11	
12	<b>NOC from Labour Department</b>	Annexure 12	
13	<b>List of EWS/LIG units and Status of Completion &amp; Allotment</b> <i>(if applicable)</i>	Annexure 13	
14	<b>Working/Services Drawings of the Project</b> <i>The scanned copy of all the drawings can be submitted in Pen-drive having Seal and sign of Concerned Consultant, Project Architect and Developer in separate folders as mentioned below.</i>	Annexure 14/ Scanned Copies in Pendrive	
i)	All Working Drawings	Sub-Annexure 14.1	
ii)	All Structural Drawings	Sub-Annexure 14.2	
iii)	All Electrical Drawings	Sub-Annexure 14.3	
iv)	Plumbing & Water Supply Drawings	Sub-Annexure 14.4	
v)	Storm Water and Sewerage Drawings	Sub-Annexure 14.5	
vi)	Fire Fighting Drawings	Sub-Annexure 14.6	
vii)	HVAC Drawings	Sub-Annexure 14.7	
viii)	Rain Water Harvesting Structure Drawings	Sub-Annexure 14.8	
ix)	Any Other Drawings	Sub-Annexure 14.9	

*Seal and Sign*  
**(Name of the Developer/Promoter)**  
**Date :-**

**Annexure-1**

Dispatch no. ....

Date of Issue: .....

**Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate**

I, \_\_\_\_\_ S/o Shri \_\_\_\_\_, Resident of \_\_\_\_\_ hereby certified that the Project \_\_\_\_\_ having Plot area \_\_\_\_\_ Sq.mts. located at Plot no./ Khasra No. \_\_\_\_\_ Village \_\_\_\_\_, Tehsil \_\_\_\_\_, District \_\_\_\_\_ (Raj.) by M/s. \_\_\_\_\_ was personally inspected by me on \_\_\_\_\_ and found that the construction of the Project is completed on site in accordance with the Building Plans approved by \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_. All the services in the project like Electrical, Water supply, STP/WTP, Solar system, etc. are functional and promoter has obtained all necessary connections accordingly. Therefore, the said Project is ready to occupy by the allottees.

The details filled in the Checklist of Occupancy Certificate are correct and Developer/ Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC's & Certifications.

**Therefore, the Occupancy Certificate is issued under my signature today on dated**

.....

(Seal & Signature of Architect with Date)

Name of Architect:.....

Reg. No (Issued by COA):-.....

Reg. No (Issued by CTP Raj.):-.....

Renewal Date of Reg. No. CTP Raj.:-.....

<b>Check List for Occupancy Certificate</b>	
<b>Basic Details of the Project</b>	
<b>Name of Developer/Promoter</b>	
<b>Address of Developer/Promoter</b>	
<b>Name of the Project</b>	
<b>RERA Registration No.</b>	
<b>Address of the Project (Plot no./Khasra no.)</b>	
<b>Plot Area (Sq.mts.) (As per Approved Building Plan)</b>	
<b>Width of Front Road</b>	
<b>Landuse of Plot as per Lease deed</b>	<b>Date of issue of Lease Deed:</b>
<b>Use of Approved Building Plans</b> (Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group Housing/Studio/Row Houses/CMJAY-1A/3A/3B/3C/Hotel/Resort/Mall/Commercial Complex/Offices/School/College/Hospital/etc.)	
<b>Building Plans approving Authority</b>	
<b>Latest Building Plans Release date</b>	
<b>Building Plans Validity Date</b>	
<b>Building Plan Approval as per Building Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other)</b>	
<b>Architect of the Project &amp; COA no.</b>	
<b>Structural Engineer of the Project</b>	
<b>Completion Certificate issued by</b>	
<b>Completion Certificate issued on</b>	
<b>Completion Certificate deposited in Local Authority on</b>	

Site Inspection Report					
A-Technical Parameters of Building Blocks:					
S.No	Details		As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
<b>1</b>	<b>Setbacks</b>		<b>Direction</b>		
	<b>Front</b>				
	<b>Side I</b>				
	<b>Side II</b>				
	<b>Rear</b>				
<b>2</b>	<b>Ground Coverage</b>				
<b>3</b>	<b>Gross Built-up Area (Sq.mts)</b>				
<b>4</b>	<b>F.A.R/B.A.R (Sq.mts &amp; Ratio)</b>				
<b>5</b>	<b>Total No. of Floors</b> <i>(Basement, Stilt, above floors, service floor, etc.)</i>				
<b>6</b>	<b>Total Height of Building</b>				
i)	<b>Plinth</b>				
ii)	<b>Stilt/Podium</b>				
iii)	<b>Ground/First to Terrace</b>				
iv)	<b>Parapet/Mumty/Lift Machine Room/any other architectural element</b>				
<b>7</b>	<b>No. of Blocks/Towers</b>				
<b>8</b>	<b>Total No. of Units</b> <i>(Flats/Shops&gt;Showrooms etc.)</i>				
<b>9</b>	<b>Commercial Area</b> <i>(in case of Group housing/ Flatted Development project)</i>				
<b>10</b>	<b>Community Facilities area</b> <i>(Club, community hall, Society office, Swimming pool etc.)</i>				
<b>11</b>	<b>Refuge area (if any)</b>				
<b>12</b>	<b>Total No. of Staircases</b>				
i)	No. of Open Fire stair case				
ii)	No. of Pressurized Fire Stair case				
<b>13</b>	<b>No. of Lifts</b> <b>Size of Lift</b>				
<b>14</b>	<b>No. of Escalators</b>				
<b>15</b>	<b>Provision for Physically Challenged Persons</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramp</li> <li>• Toilet</li> <li>• Car Parking</li> <li>• Lifts</li> </ul>				
<b>16</b>	<b>Cut-Out/Open to Sky/Shfts</b>				
<b>17</b>	<b>Projections/Balconies etc.</b> <i>(Covered/extended)</i>				
<b>18</b>	<b>Porch (if any)</b>				

<b>B- Parking Parameters:</b>				
S.No	Details	As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
<b>1</b>	<b>Total E.C.U Required</b>			
<b>2</b>	<b>Total No. of Car parking</b>			
i)	<b>Surface Parking</b>			
ii)	<b>Mechanical Car Parking</b>			
iii)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basement (I,II,III,...)</li> <li>• Stilt</li> <li>• Open Area</li> </ul>			
<b>3</b>	<b>Two-Wheeler Parking</b>			
<b>4</b>	<b>Bus Parking</b>			
<b>5</b>	<b>Visitors Parking</b>			
<b>6</b>	<b>EV Charging Facility Car parks</b>			
<b>7</b>	<b>Ramp (for parking floors)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Width</li> <li>• Slope</li> </ul>			
<b>8</b>	<b>Provision of Car Lift</b>			

<b>C- Outer Development Parameters:</b>				
S.No	Details	As per Latest Approved Building Plans	As per Site	Comments (if any)
<b>1</b>	<b>Green &amp; Plantation</b>			
i)	Total Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
ii)	Surface Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
iii)	Podium Green Area ( <i>Sq.mts</i> )			
iv)	Plantation Corridor ( <i>If any</i> )			
v)	Tree Plantation ( <i>As per Norms</i> )			
<b>2</b>	<b>Approved Services in the Project</b> <i>(STP, WTP, Under Ground Water Tank, Pump room, Panel Room, etc.)</i>			
<b>3</b>	<b>Driveways for Fire tender Movement/Parking, etc.</b>			
<b>4</b>	<b>No. of Entry/Exit &amp; Width</b>			
<b>5</b>	<b>No. of Security Rooms &amp; Size</b>			
<b>6</b>	<b>Height of Compound wall</b> <i>(As per Norms)</i>			

<b>D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy:</b>				
<i>Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.</i>				
<b>EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location</b>			<i>On main plot/ Split Location</i>	
<i>In case, EWS/LIG unit provided on Split Location</i>				
S.No	Details	As per Latest Approval	As per Site	Comments (if any)
1	No. of EWS units			
2	No. of LIG units			
3	Total Carpet Area Provided(Sq.mts)			
4	Total SBUA Area Provided (Sq.mts)			
5	Parking of EWS/LIG Units			
6	Completion time of EWS/LIG units			

<b>E- Development Work of Building Blocks (for Occupancy Certificate)</b>				
S.No	Development Works	Work to be Completed at the time of CC (in percentage)	Work done on in Project (Mark "YES")	Comments (if any)
1	Civil construction work of Super structure	100%		
2	Internal & External Plaster and Paint work	100%		
3	Door and window/ Structural Glazing work	100%		
4	Flooring Work	100%		
5	Balconies and railing work	100%		
6	Installation of Sanitary and Plumbing Fittings	100%		
7	Installation of Electrical Fittings	100%		
8	Community Facilities <i>(Club, community hall, Society office, Swimming pool, shops etc.)</i>	100%		
9	Development works of Common areas <i>(Lobbies/Corridors/Staircase/Lift well/Terraces/Ramp/etc.)</i>	100%		
10	Installation of Lifts/Escalators	100%		
11	Covered Parking Areas & Mech. Parking (Basement/Stilt/etc.)	100%		
12	Elevational Work	100%		
13	Overhead and Underground Water Tanks	100%		
14	HVAC works	100%		
15	Provision for Physically Challenged Persons	100%		
16	Installation of Fire Safety Equipment's	100%		
17	Status of EWS/LIG units	100%		

<b>F- Outer Development Works and Services of the Project (for Occupancy Certificate)</b>				
S.No	Development Works	Work to be Completed at the time of CC (in percentage)	Work done on in Project (Mark "YES")	Comments (if any)
1	<b>Compound wall</b>	100%		
2	<b>Entry &amp; Exit Gates/Guard Rooms</b>	100%		
3	<b>Driveways &amp; Pathways</b>	100%		
4	<b>Open Parking Areas</b>	100%		
5	<b>Meter Room/Pump Room etc.</b>	100%		
6	<b>Electrical Work/Light poles etc.</b>	100%		
7	<b>Water Supply lines/UG Tank</b>	100%		
8	<b>Storm Water Drains</b>	100%		
9	<b>Construction of Rain Water Harvesting Structure</b>	100%		
10	<b>Structure of Waste water Treatment/Recycling Plant</b>	100%		
11	<b>Laying of Sewerage line and Construction of Sewerage Treatment Plant (STP)</b>	100%		
12	<b>Any other work</b>	100%		

<b>G- Installation Works (for Occupancy Certificate)</b>				
S.No	Development Works	Work to be Completed at the time of OC (in percentage)	Work done on in Project (Mark "YES")	Comments (if any)
1	<b>Development of Green and Landscape areas</b>	100%		
2	<b>Tree Plantation (As per Norms)</b>	100%		
3	<b>Installation of Transformer/ DG set/ Meters/ Electrical Connection</b>	100%		
4	<b>Water Supply Connection/Boring</b>	100%		
5	<b>Installation of Machinery of WTP</b>	100%		
6	<b>Installation of Machinery of STP</b>	100%		
7	<b>Installation of equipment's for Solid Waste Management</b>	100%		
8	<b>Installation of Solar Panels/Solar Water Heater</b>	100%		
9	<b>Installation of Gas Bank &amp; Pipe lines (If applicable)</b>	100%		

<b>H- NOC's/Certifications Required</b>			
S.No	Type of NOC/Certification	Applicable/ Not Applicable	Obtained
1	<b>Fire NOC</b>		
2	<b>Consent to Operate (as applicable)</b>		
3	<b>Any other (as applicable)</b>		

**Occupancy Fee (To be deposited in Local Authority)**

Gross-Built up area of the completed Part \_\_\_\_\_ Sq.mts X Rs\_\_\_\_\_/- =

**Total Amount Rs \_\_\_\_\_/- (In words \_\_\_\_\_)**

(Seal & Signature of Architect with date)

(Seal & Signature of Developer with date)

Name of Architect: ..... Name of Developer: .....

Reg. No (Issued by COA): -.....

Reg. No (Issued by CTP RAJ.):- .....

Renewal date of Reg. No. CTP RAJ.: - .....

**Note-**

1. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.
2. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other related Norms complied in the Project.
3. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as mentioned in Table "E" and Outer Development Works as mentioned in Table "F" must be completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as "YES" in the concerning columns before submitting Checklist.
4. Empaneled Architect must ensure that all the NOC's and Certification (as applicable) must be obtained before submitting Checklist in the Authority.
5. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write 'NA' for Not applicable in the concerning columns.
6. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist of Occupancy Certificate, Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not changed.
7. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.
8. If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E, F & G) are not completed in all respect i.e. 100% and all the NOC's and Certification (as applicable) are not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.

*(Letter to be issued by the Local Authority to the Developer)*

*(on Letter Head)*

Dispatch no. ....

Date of issue: .....

### **Acknowledgment Letter**

To,

.....  
.....  
.....

**Subject:** - Acceptance of Occupancy/Partial Occupancy Certificate issued by Empaneled Architect.

**Reference:** - Your Letter of submission of Occupancy Certificate dated \_\_\_\_\_ .

Dear Applicant,

In reference to the above mentioned subject and your letter dated \_\_\_\_\_, it is hereby informed that Occupancy Certificate of the Project “(Name of the project)” located at (Address of Project) Issued by Empaneled Architect \_\_\_\_\_, is accepted by the Authority.

Kindly note that if Authority finds that the Occupancy Certificate is issued on the basis of wrong facts or any false documents are submitted alongwith Occupancy Certificate, then, Occupancy Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against you and Empaneled Architect, as the case may be.

Kindly be informed.

.....  
(Seal & Signature of Competent Officer with date)

Designation

500 मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेतु  
हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप  
(100/- रु नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर)  
(प्रारूप-ब)

### शपथ-पत्र (अण्डरटेकिंग)

मैं .....पुत्र/पुत्री / पत्नी श्री.....आयु.....वर्ष .....

..निवासी ..... मेरे पूरे होश हवास में शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ करती हूँ कि

1. यह कि प्लाट नम्बर ..... योजना ..... रिथित है, जिसका क्षेत्रल ..... वर्गमीटर है, का वैधानिक स्वामित्वधारी हूँ तथा भूखण्ड पर निर्विवाद मेरा कब्जा है, तथा कोई न्यायिक वाद अथवा अवाप्ति की कार्यवाही इस भूखण्ड के स में लंबित नहीं है।
2. यह कि उक्त भूमि पूर्णतया मेरे स्वामित्व की है तथा .....(निकाय का नाम) / राज्य सरकार की अवाप्ति में नहीं आती है और न ही भूमि आवप्त है।
3. यह कि राज्यादेश अनुसार श्रमिक उपकर राशि श्रम विभाग, जयपुर में नियमानुसार मेरे द्वारा जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यह कि मेरे द्वारा भूखण्ड पर तहखाना खुदाई एवं निर्माण करवाया जाना है। तहखाना खुदाई व मकान निर्माण के दौरान पड़ोसी भूखण्डधारियों को किसी प्रकार की हानी एवं क्षति होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। .....(निकाय का नाम) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का कोई हर्जा खर्चा या हानी होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
5. यह कि मेरे द्वारा भवन का निर्माण भवन विनियमों के प्रावधानों अनुसार मापदण्ड रखते हुये (निकाय का नाम) में पंजीकृत तकनीकीविद से तैयार करवाकर किया जावेगा भवन निर्माण में निर्धारित सैटबैक व पार्किंग का प्रावधान रखते हुये किया जायेगा। भवन विनियमों के प्रावधानों अनुसार वर्षा जल संग्रहण वृक्षारोपण, ठोस कचरा निस्तारण, जलमल निकासी, अग्निशमन आदि प्रावधान रखे जावेगे।
6. यह है कि भवन विनियमों के अनुसार भवन अनुज्ञा संबंधित समस्त शुल्क मेरे द्वारा (निकाय का नाम) में जमा करवा दिया गया है, और कोई शुल्क बकाया लगा तो मेरे द्वारा देय होगा।
7. यह कि मेरे द्वारा किये गये निर्माण में यदि भवन विनियमों का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो (निकाय का नाम) उक्त उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।
8. यह कि मेरे द्वारा भवन विनियमों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

### सत्यापन

मैं .....शपथग्रहिता यह सत्यापित करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रुबरु तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

500 व.मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो,  
हेतु वास्तुविद्/पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र  
(प्रारूप-स)  
घोषणा पत्र

मैं .....(वास्तुविद्/तकनीकीविद का नाम) जिनका कार्यालय पता..... में  
स्थित है पूरे होश हवाश में शपथपूर्वक निम्न तथ्यों का वर्णन करता हूँ।

1. वास्तुविद् / तकनीकीविद पंजीयन सं .....
2. भूखण्ड स्वामी का नाम, पता एवं फोन नं. ....
3. भूखण्ड जिस हेतु मानचित्र प्रमाणित किये जा रहे हैं का विवरण :-
  - (i) भूखण्ड संख्या .....
  - (ii) योजना का नाम .....
  - (iii) माप .....
  - (iv) क्षेत्रफल .....
  - (v) सड़क की चौड़ाई .....
4. भवन के प्रस्तावित मापदण्ड—
  - (i) भवन के प्रस्तावित सैटबैक
 

अग्र	.....
पार्श्व प्रथम	.....
पार्श्व द्वितीय	.....
पीछे	.....
  - (ii) भवन की प्रस्तावित ऊँचाई
  - (iii) मौके पर यदि निर्मित भवन हो तो –
    - (अ) प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार निर्धारित सैटबैक छोड़कर समस्त तलों पर किये गये निर्माण का सकल निर्मित क्षेत्रफल
    - (ब) भवन विनियमों के विपरीत सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण का, जिसे आवेदक द्वारा हटाया जाना है, का सकल निर्मित क्षेत्रफल
  - (iv) सभी मंजिलों का सकल निर्मित क्षेत्रफल .....
  - (v) भवन के प्रस्तावित मंजिलों की संख्या व उनका प्रस्तावित उपयोग
  - (vi) सभी मंजिलों का कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल— बीएआर
  - (vii) बेटरमेंट लेवी हेतु मानक बीएआर से अतिरिक्त बीएआर
  - (viii) प्रस्तावित पार्किंग — कार ..... स्कूटर .....
  - (ix) रैनवाटर हार्डस्टिंग ..... प्रस्तावित है / प्रस्तावित नहीं।
  - (x) वृक्षारोपण का प्रावधान — प्रस्तावित है / प्रस्तावित नहीं। –

तकनीकीविद् के हस्ताक्षर  
(मय मोहर पंजीकरण क्रमांक के साथ)

### सत्यापन

मैं .....((तकनीकीविद) वह सत्यापित करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त भूखण्ड पर भवन मानचित्र प्रचलित भवन विनियमों के तहत तैयार किये गये हैं। मानचित्र तैयार करते समय विनियमों की गलत व्याख्या नहीं की गई है एवं भवन मानचित्र तैयार करते समय एवं प्रस्तुत करते समय कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रुबरु तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है।

(हस्ताक्षर तकनीकीविद)

500 क.मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेतु भवन विनियम 6.0 (प) हेतु पंजीकृत तकनीकीविद/आवेदन द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र  
मांग पत्र (प्रारूप-द)

**भूखण्ड का विवरण :-**

भूखण्ड संख्या	.....
योजना का नाम	.....
पता	.....
भूखण्ड की माप व क्षेत्रफल	.....

क्रसं.	विवरण	राशि
1	<b>जांच शुल्क</b> आवासीय / संस्थागत / औद्योगिक / पर्यटन ईकाई- 15/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम राशि 1,00,000/-) मिश्रित / वाणिज्यिक - 45/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम राशि 3,00,000/-)	
2	<b>मानचित्र अनुमोदन शुल्क</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आवासीय / संस्थागत / औद्योगिक / पर्यटन ईकाई – प्रस्तावित मंजिलों की संख्या x भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में x 25/-</li> <li>• वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु प्रस्तावित मंजिलों की संख्या x भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में x 50/-</li> </ul>	
3	<b>वर्षा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत राशि –</b> भूखण्ड क्षेत्रफल 225 से अधिक व 500 वर्गमीटर तक 50000/-	
4	<b>अतिरिक्त बीएआर हेतु बेटरमेंट लेवी</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आवासीय / संस्थागत / औद्योगिक / पर्यटन ईकाई उपयोग हेतु – आवासीय आरक्षित दर का 20 प्रतिशत</li> <li>• वाणिज्यिक – आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत</li> </ul>	
5	<b>भवन विनियमों अनुसार मौके पर बिना अनुमति निर्मित निर्माण हेतु शास्ती</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• गैर व्यावसायिक भूखण्डों में सकल निर्मित क्षेत्र x 90</li> <li>• व्यावसायिक व मिश्रित भूखण्डों में सकल निर्मित क्षेत्र x 150</li> </ul>	
6	<b>अन्य शुल्क</b> कुल राशि राशि अक्षरे	
7	नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सेस (50/- प्रति वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्र पर)	जमा राशि की रसीद की प्रति
8	<b>श्रमिक उपकर राशि</b> (10 लाख से अधिक निर्माण लागत पर निर्माण लागत का 1%)	जमा राशि की रसीद की प्रति

वास्तुविद्/तकनीकीविद के हस्ताक्षर

पंजीकृत वास्तुविदों द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्रों को स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्ति स्वीकार की सूचना  
**(Acknowledgement Letter)**  
**(प्रारूप-य)**

आवेदक का नाम .....  
 आवेदक का पता .....

विषय: आवेदित भूखण्ड सं. .... योजना ..... शहर .....  
 हेतु प्रस्तुत भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की **Acknowledgement** बाबत्।

उपरोक्त विषयात्तर्गत आप द्वारा आवेदित भूखण्ड सं. .... योजना ..... शहर .....  
 ..... के भवन निर्माण स्वीकृति से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज मय पंजीकृत  
 वास्तुविद् से अनुमोदित कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं।

आप द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चिता करते हुए भवन निर्माण किया जा सकेगा। भवन विनियमों के मानदण्डों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्डधारी की होगी एवं स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे भवन विनियमों के विपरीत निर्माण को नियमानुसार सीज अथवा ध्वस्त किया जा सकेगा।

सक्षम अधिकारी

पदनाम

## (आवेदक द्वारा दिये जाने वाला शपथ पत्र)

शपथ-पत्र

मैं/हम .....आयु.....वर्ष, निवासी .....  
 ..... शपथपूर्वक बयान करता/ करती हूँ/ करते हैं कि मेरे/हमारे  
 द्वारा प्राधिकरण/ नगर विकास न्यास/ नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका .....  
 .(शहर का नाम) में भवन निर्माण हेतु सम्बन्धित भूमि का पूर्व विवरण भूखण्ड संख्या .....  
 ...योजना..... (शहर का नाम) के मानचित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

मैं/हम शपथपूर्वक निम्न तथ्यों का वर्णन करता/करती हूँ :—

1. भूमि पूर्णतया मेरे/हमारे स्वामित्व की है, न ही मेरे/हमारे द्वारा उक्त भूखण्ड को अथवा उक्त भूखण्ड के किसी भू-भाग को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को बेचान/उपहार/भेट/मोर्गेज रखा गया है तथा प्राधिकरण/निगम/परिषद/न्यास/आवासन मण्डल/राज्य सरकार की अवाप्ति में नहीं आती है और न ही भूमि अवाप्त है।
2. प्रश्नगत भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का वाद-विवाद नहीं हैं तथा किसी भी प्रकार का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है।
3. प्रस्तावित भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का मंदिर/मस्जिद/एच.टी.लाइन/स्थायी/अस्थायी निर्माण नहीं है।
4. मेरे द्वारा भवन निर्माण करते समय भवन विनियम/NBC के प्रावधानानुसार सोलर पैनल/वर्षा जल संग्रहण/राजस्थान विद्युत एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड/अग्निशमन/पर्यावरण संरक्षण/हरित क्षेत्र/ठोस कचारा निस्तारण आदि की सुनिश्चितता की जावेगी एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं परिपत्रों की पालना भी की जावेगी।
5. मेरे द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना NBC के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी एवं अधिवास प्रमाण-पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा।
6. परियोजना में आग से बचाव हेतु भवन विनियम/NBC के प्रावधान अनुसार क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है को अन्य उपयोग अथवा कमरों में शामिल नहीं किया जावेगा। (यदि लागू हो तो)
7. मेरे द्वारा भवन में आकासीय बिजली से बचाव हेतु तडित चालक का प्रावधान NBC के प्रावधानानुसार किया जाना जावेगा। (यदि लागू हो तो)
8. मेरे द्वारा भवन मानचित्रों में प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु ही किया जावेगा। योजना में प्रस्तावित पार्किंग का मेरे द्वारा केवल आवंटन किया जावेगा एवं बेचान नहीं किया जावेगा। आगन्तुक पार्किंग का मेरे द्वारा किसी को भी आवंटन/बेचान नहीं किया जावेगा।
9. मेरे द्वारा भवन विनियम के प्रावधान अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विर्निर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजन के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चितता की जावेगी।

11. मेरे द्वारा भवन विनियम के प्रावधान अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधानों की सुनिश्चितता की जावेगी ।
  12. मेरे द्वारा भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जावेगा ।
  13. मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के उपयोगकर्ताओं/रहवासियों की संख्या का आंकलन तदानुसार भवन विनियम/NBC के प्रावधान अनुसार परियोजना में निर्धारित क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/वेस्ट वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट(अपशिष्ट जल शुद्धिकरण) का निर्माण किया जावेगा एवं उक्त प्लान्ट को सुचारू रूप से संचालन की सुनिश्चितता अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व कर ली जावेगी ।
  14. मेरे द्वारा भूखण्ड से लगती हुई सभी सड़कों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान किया जावेगा, जिस हेतु व्यय मेरे द्वारा किया जावेगा ।
  15. मेरे द्वारा प्रश्नगत योजना का बेचान हेतु प्रचार—प्रसार अथवा किसी व्यक्ति/फर्म/संस्था को बेचान/आवंटन/बुकिंग किये जाने से पूर्व रेस के अधिनियम एवं नियम के अनुसार राजस्थान रेस में योजना का पंजीकरण करवा लिया जावेगा । (यदि लागू हो तो)
  16. मेरे द्वारा नियमानुसार संबंधित विभाग से आनापति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर स्थानीय निकाय में पूर्णता/अधिवास प्रमाण—पत्र के समय प्रस्तुत कर दिया जावेगा ।
  17. मेरे द्वारा भवन का निर्माण भवन विनियम/NBC के प्रावधान अनुसार पूर्ण किये जाने पर पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावेगा ।
  18. उक्त भवन निर्माण स्वीकृति के कारण यदि प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका..... (शहर का नाम) को किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी के सक्षम किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च नुकसान मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो मैं/हम उनकी इस क्षति को पूर्ण करूंगा/करूंगी/करेंगे ।
  19. मेरे द्वारा किसी तथ्य को छुपाया जाकर अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने पर जारी भवन निर्माण स्वीकृति को स्थानीय निकाय द्वारा निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं स्थानीय निकाय नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा ।
  20. भवन निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात् यदि कोई शुल्क बकाया रहता है तो मैं बकाया शुल्क जमा करने हेतु बाध्य रहुंगा ।
- यह की उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा पालना नहीं किये जाने पर स्थानीय निकाय मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने/शास्ती आरोपित करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मैं/हम .....शपथग्रहिता यह सत्यापित करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रू—ब—रू तहरीर कर दी गई है तथा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(वास्तुविद्/तकनीकीविद् द्वारा स्थानीय निकाय में भवन मानचित्र प्रस्तुत किये जाने हेतु शपथ पत्र)

### शपथ—पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....  
..निवासी..... पूरे होश हवास में शपथपूर्वक निम्न तथ्यों का वर्णन करता/करती हूँ

1. मैं आर्किटेक्ट अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वास्तुकला परिषद, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट हूँ पंजीयन नम्बर ..... वर्ष ..... तक के लिये पंजीकृत हूँ।
2. भूखण्ड संख्या ..... जो योजना ..... के अन्तर्गत है उसके ..... प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र तैयार करने एवं भवन के पर्यवेक्षण करने का कार्य भूखण्डधारक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिया गया है।
3. मेरे द्वारा योजना के ले—आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप है।
4. भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है।
5. प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—
  - (i) भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल .....
  - (ii) प्रस्तावित भवन का प्रयोजन .....
  - (iii) भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार (पट्टे के अनुसार) .....
  - (iv) भवन के पैरामीटर साईट प्लान/भवन विनियमों के अनुसार :—

क्रस.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
1.	सैटबेक (मी.)		
	सामने		
	पाश्व प्रथम		
	पाश्व द्वितीय		
	पीछे		
2.	आच्छादित क्षेत्र		
3.	भवन की ऊँचाई		
4.	प्रस्तावित मंजिलों की संख्या		
5.	सकल निर्मित क्षेत्रफल		
6.	बी.ए.आर क्षेत्रफल		
7.	पार्किंग		
	(i) भू—तल		
	(ii) बेसमेन्ट		
	(iii) स्टिल्ट		

(v) फ्लोर ऐरिया का विवरण :—

क्रस.	तलो का विवरण	सकल निर्मित क्षेत्रफल	गणना योग्य निर्मित क्षेत्र (बी.ए.आर.)
1	बेसमेन्ट		
2	बेसमेन्ट		
3	स्टिल्ट		
4	भूतल		
5	प्रथम मंजिल		
6	द्वितीय मंजिल		
7	तृतीय मंजिल		
8			
9			

6. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका..... (शहर का नाम) की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्डधारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध है।
7. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे में सूचित करूंगा।
8. भवन विनियमों के मापदण्डों एवं लीज डीड की शर्तों के अनुसार तैयार किये गये हैं एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छुपाया गया है। मेरी सेवा एवं देख-रेख में यदि भवन निर्माता भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण मानचित्रों के अनुरूप ही निर्माण करवाया जावेगा।
9. प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं/स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूखण्ड सड़क की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है।
10. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग कोई भी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउसिंल आफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है।
11. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शापथ—पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत् विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि को चालान संख्या .....द्वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के ..... (आवासीय/कॉमर्शियल/ औद्योगिक/संस्थानिक) प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

मैं ऊपर वर्णित आर्किटेक्ट आज दिनांक..... वर्ष ..... को .....  
(शहर का नाम) में प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर शापथ—पत्र मे दिये गये तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं तथा इनमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है।

स्थान :

दिनांक :

आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

(वास्तुविद द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन पत्र)

(नगर नियोजन विभाग से पंजीकृत वास्तुविद के Letter head पर जारी किया जाना है।)

पत्र क्रमांक:

दिनांक:

श्री .....,

पता— .....

विषयः— भूखण्ड संख्या .....जो योजना.....के अन्तर्गत है उसके .....  
...प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या .....जो योजना.....के अन्तर्गत है उसके .....प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत योजना के ले—आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है।

प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :—

- (i) भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल .....
- (ii) प्रस्तावित भवन का प्रयोजन .....
- (iii) भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार (पट्टे के अनुसार) .....
  
- (iv) भवन के पैरामीटर साईट प्लान / भवन विनियमों के अनुसार :—

क्र.स.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
1.	सैटबेक (मी.)		
	सामने		
	पार्श्व प्रथम		
	पार्श्व द्वितीय		
	पीछे		
2.	आच्छादित क्षेत्र		
3.	भवन की ऊँचाई एवं प्रस्तावित मंजिलों की संख्या		
4.	सकल निर्मित क्षेत्रफल		
5.	बी.ए.आर क्षेत्रफल		
6.	पार्किंग		
	(अ) भू-तल		
	(ब) बेसमेन्ट		
	(स) स्टिल्ट		

(v) फलोर एरिया का विवरण :-

क्रस.	तलो का विवरण	सकल निर्मित क्षेत्रफल	गणना योग्य निर्मित क्षेत्र (बी.ए.आर.)
1	बेसमेन्ट		
2	बेसमेन्ट		
3	स्टल्ट		
4	भूतल		
5	प्रथम मंजिल		
6	द्वितीय मंजिल		
7	तृतीय मंजिल		
8			
9			

2. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका..... (शहर का नाम) की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्डधारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध है।
3. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे में सूचित करूंगा।
4. भवन विनियम-2024 के मानदण्डों एवं लीज डीड की शर्तों के अनुसार तैयार किये गये हैं एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छुपाया गया है।
5. भवन मानचित्र अनुमोदन करने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं/स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूखण्ड सड़क की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है।
6. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग कोई भी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउसिल आफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है।
7. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत् विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि को चालान संख्या ..... द्वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के आवासीय/कॉर्मशियल/ औद्योगिक/ संस्थानिक प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र।

(संख्या.....)

पंजीकृत वास्तुविद के हस्ताक्षर मय सील

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

सचिव/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय.....।

पंजीकृत वास्तुविद के हस्ताक्षर मय सी

शपथ-पत्रअग्निशमन के प्रावधान व आपदा की स्थिति में मौके पर यथोचित निकास की व्यवस्थाकरने हेतु

मैं/हम .....आयु.....वर्ष, निवासी.....  
 .....पूरे होश हवास में शपथपूर्वक निम्न प्रस्तुत करता/करती हूँ / करते हैं कि –

यह कि भूखण्ड संख्या.....योजना .....(शहर का नाम) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल.....वर्गमीटर है के स्वामी/होल्डर हूँ/हैं, जिसके लिए अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका.....(शहर का नाम) द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावेंगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन के प्रावधान रखे जावेंगे तथा इनको संचालित करने के लिए भवन में हर समय उपलब्ध रहेगा। भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर सुरक्षा के उपकरण संचालित करने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति (केयर टेकर) की नियुक्ति करुंगा/करुंगी/करेंगे, जिसके पास बिल्डिंग का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहेंगे। इसी प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाइल नं० एवं Land line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त/शहर में नियुक्त उच्चतम पुलिस अधिकारी (सम्बन्धित शहर) व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावेंगी ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मैं/हम ..... शपथग्रहिता यह सत्यापित करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरे/हमारी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रुबरु तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(To be submitted at the time of approval of building plan)

**CERTIFICATE OF THE UNDERTAKING  
FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF NBC PART-IV  
FOR EARTHQUAKE SAFETY**

Plot Detail .....

Area of Plot.....

Use of Building.....

Proposed height of building .....

1. Certified that the building plans submitted for approval satisfy's the safety requirement as per Building Byelaws & provisions of NBC and the information given therein is factually correct to the best of our knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from earthquake shall be duly incorporated in the design of the building and these provisions shall be adhered to during the construction.

Signature of Owner .....

Name & address(Owner).....

Signature of Structural engineer.....

Name & Address(Structure Engineer).....

Registration No.....

Signature of Architect .....

Name & Address(Architect).....

CoA No.....

Registration No.....

(To be submitted at the time of application for Completion certificate of building)

**CERTIFICATE OF UNDERTAKING  
FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART – VI  
FOR EARTHQUAKE SAFETY**

Plot Detail .....

Area of Plot.....

Use of Building.....

Height of building .....

1. The building/s has/have been constructed according to the sanctioned plans.
2. The building/s has/have been constructed as per approved plans and structural design (One set of structural drawings as executed and certified by the Structural Engineer is enclosed) which incorporates the provision of structural safety as specified in the regulations/NBC.
3. Construction has been done under our supervision/guidance and is adheres to the drawings submitted.

Signature of Owner .....

Name & address(Owner).....

Signature of Structural engineer.....

Name & Address(Structure Engineer).....

Registration No.....

Signature of Architect .....

Name & Address(Architect).....

CoA No.....

Registration No.....

(पंजीकृत वास्तुविद के Letter head पर जारी किया जाना है)

### मांग पत्र (Demand Letter)

श्री/ श्रीमति.....

महोदय/ महोदया,

मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) विनियम , 2020 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को भवन विनियमों के नियम 19 एवं 20 के तहत पंजीकृत होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपके द्वारा दिनांक ..... को भूखण्ड सं. ...., क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर, पता ..... हेतु ..... प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन/ भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रस्तावित भवन जिसकी कुल निर्मित क्षेत्रफल .....वर्गमीटर तथा ॐ्चाई ..... मीटर है, के लिए की गयी शुल्क गणना संलग्नक (परिशिष्ट – “अ”) के अनुसार ..... (निकाय का नाम) में कुल राशि रूपये ..... का भुगतान कराते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता का जमा पर्ची मय इस बाबत शपथ–पत्र, कि “यदि उक्त भवन/भूखण्ड के संबंध में नगरीय निकाय द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन से पूर्व अथवा पश्चात भी किसी मद की अदैये राशि की मांग की जाती है तो मेरे द्वारा मांग पत्र में निर्धारित समयावधि के दौरान जमा करादिया जावेगा ओर यदि मैं उक्त शपथ की अवहैलना करता हूँ/करती हूँ तो नगरीय निकाय उक्त भवन को सीज करने अथवा ध्वस्त करने हेतु स्वतंत्र होगी,” उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।

- पार्किंग/वर्षा जल संचयन/वृक्षारोपण/पर्यावरण अनापत्ति के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम के अनुसार शपथ–पत्र/अप्डरटेकिंग प्रस्तुत करें।
- आप द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं अधिवास प्रमाण के आवदेन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अतः उपरोक्त के संबंध में आप शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अग्निशमन शुल्क की राशि रूपये ...../ – फायर सेस हेतु संबंधित बैंक खाता संख्या ..... , Bank, Branch ..... में जमा करवाकर जमा रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
- लेबर सेस राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 24.06.2020 के अनुसार जमा कराया जाकर रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।  
नोट:- भवन विनियम, 2020 की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार मांग पत्र जारी होने के दिवस से 60 दिवस में राशि जमा करनी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जावेगी।

उक्त मांग राशि स्थानीय निकाय में जमा करा कर सूचित करें ताकि भवन मानचित्र अनुमोदन/निर्माण जारी की जा सके।

भवदीय,

(नाम मय हस्ताक्षर)  
पंजीकृत वास्तुविद

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय।
2. अग्निशमन अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय।
3. क्षेत्रीय श्रम कार्यालय संबंधित नगर।

(नाम मय हस्ताक्षर)  
पंजीकृत वास्तुविद

### भवन मानवित्र अनुमोदन बाबत् शुल्क की गणना

भूखण्ड की स्थिति (भू-निर्देशांक, भूखण्ड संख्या, स्कीम का नाम/खसरा संख्या मय राजस्व ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र)				
भूखण्ड का क्षेत्रफल				
भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन का प्रयोजन				
भवन की प्रस्तावित ऊँचाई				
मानक बी.ए.आर.				
प्रस्तावित बी.ए.आर.				
आवासीय आरक्षित दर				
क्र. सं.	विभिन्न शुल्क मदों का विवरण	शुल्क गणना		
		संख्या/क्षेत्रफल (व.मी.)	दर/प्रति इकाई (रुपयों में)	शुल्क गणना (रुपयों में)
1.	प्रार्थना पत्र / आवेदन शुल्क (एक मुश्त निर्धारित)			
2.	मानवित्र ऊँच शुल्क (भूखण्ड के क्षेत्रफल पर)			
3.	अनुमोदन शुल्क (i) आवासीय (ii) व्यवसायिक (iii) संस्थानिक (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)			
4.	शेल्टर फण्ड (BSUP) (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)			
5.	बेटरमेंट लेवी (मानक बी.ए.आर. से अधिक प्रस्तावित बी.ए.आर. पर)			
6.	मलबा धरोहर राशि (भूखण्ड के क्षेत्रफल अनुसार)			
7.	वर्षा जल संग्रहण शुल्क (भूखण्ड के क्षेत्रफल अनुसार)			
8.	EWS/LIG हेतु अतिरिक्त शेल्टर फण्ड			
9.	अतिरिक्त आवासीय इकाई शुल्क			
10.	अमानत राशि (पार्किंग) (राशि प्रति ई.सी.यू. पर)			
11.	मैकेनिकल पार्किंग (राशि प्रति कार पर)			
12.	बिना अनुमति निर्माण शास्ति (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)			
13.	कुल योग			
14.	श्रमिक उपकर			
15.	अग्निशमन सुविधा हेतु देय शुल्क (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)			
		पंजीकृत वास्तुविद के हस्ताक्षर		